खण्ड-353, अंक-10
सोमवार, 12 माघ, शक संवत् 1903
(1 फरवरी, 1982 ई0)

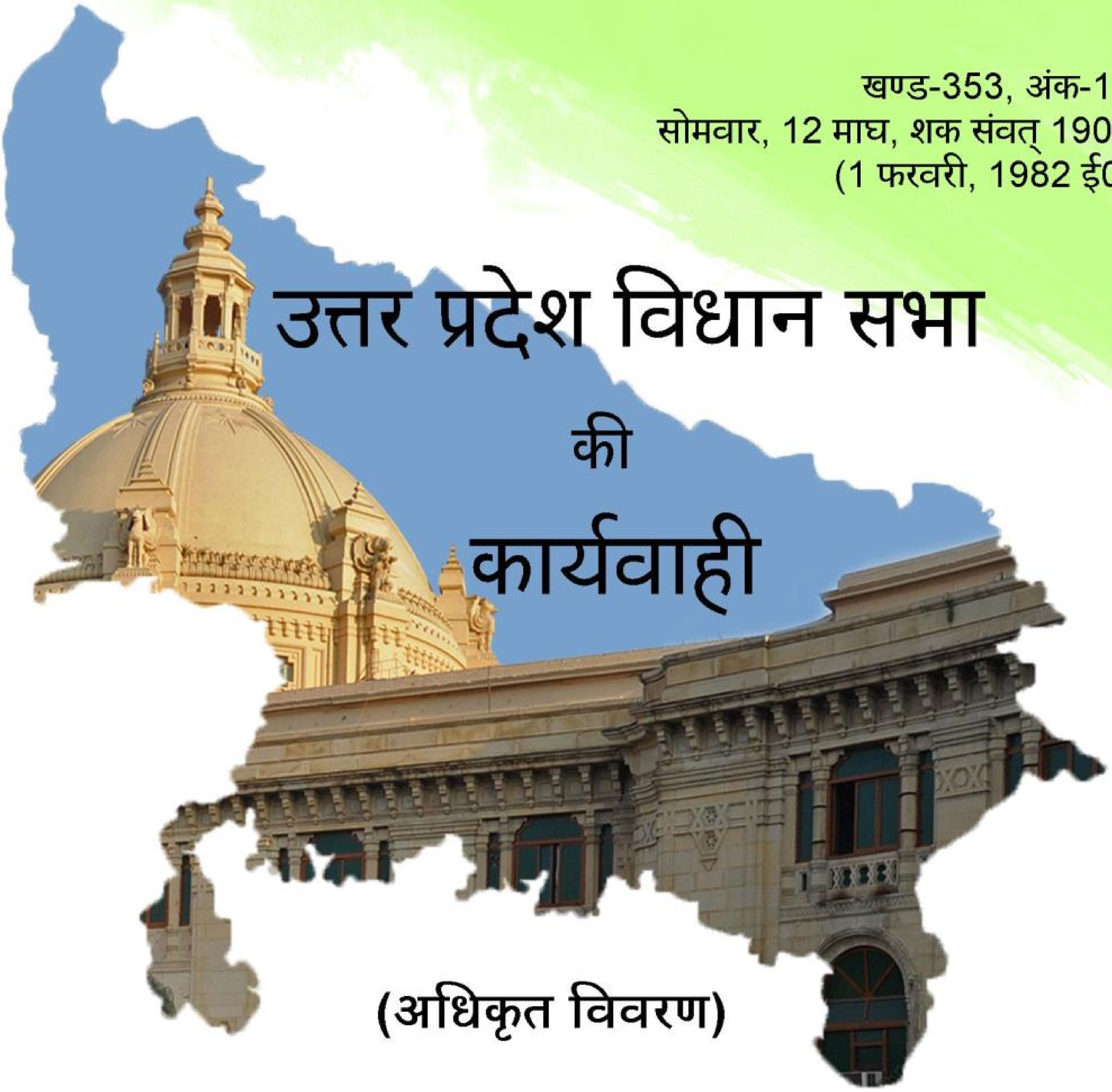

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1287–1290
प्रश्नोत्तर	1291–1328
जनपद इटावा के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रायमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवनों की मरम्मत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1328–132
गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1329
जालौन जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टरों व अन्य कर्मचारियों को वेतन वितरित न किये जाने से असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1329–1330
मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम, झांसी की अव्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1330
श्री परसन प्रसाद, सचिव, साधन सहकारी समिति, बमनौली पाण्डेय, ब्लाक सार, जिला देवरिया की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1331
राज्य मंत्री, श्री निर्भय नारायण सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1331–1332
मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1332
गन्ने के समुचित मूल्य दिलाये जाने के संबंध में गोण्डा जनपद में किसानों के प्रदर्शन पर क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा एस0 डी0 एम0 द्वारा लाठी चार्ज तथा विधायक श्री अकबाल हुसैन पर प्राणघातक हमले के संबंध में वक्तव्य	1333–1336
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुःरस्थापित किया गया)	1336–1337
पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों की हत्या की साजिश के संबंध में हुए वक्तव्य पर पत्रावली दिखाये जाने की मांग	1337
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	1337
आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाषणों के लिये समय निर्धारण ..	1337
1982–83 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	1337–1381
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1382
प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से प्रदेश व्यापी हड़ताल और किसानों में व्याप्त असंतोष के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1382–1388
जनपद रामपुर में सालपुर ग्राम के निकट कोसी नदी पर बने पुल के गिरने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1388–1389
नत्थियां	1391–1392

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 1 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य, 304

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर इमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ए0सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट), — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खानगुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गेदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्द्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चारु चन्द्र आभा, श्री — पिथौरागढ़
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद आभा, श्री — गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'वकल-साकेती', श्री — फैजाबाद

जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूप राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ीगढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्मल कुमार, श्री	फैजाबाद
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विववेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ब्रज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री	एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज)	गोंडा
महराज सिंह, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मालपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर

मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोतीलाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहनलाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रती राम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल

विनोद कुमार तिवारी, डा0 पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
विशन लाल, श्री बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री बांदा
विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री जालौन
शम्भूनाथ, श्री आजमगढ़
शिव दर्शन, श्री रायबरेली
शिरोमणि, श्री बांदा
शिव नरेश, श्री बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव
शिवमंगल सिंह, श्री मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री बिजनौर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री बाराबंकी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री शाहजहांपुर
सन्त बक्स रावत, श्री लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती बदायूं
साहब सिंह, श्री गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती इटावा
सुनीता चौहान, श्रीमती रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
हंसराज सिंह वर्मा, श्री एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री सीतापुर
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
हरि सिंह, श्री बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर
हरीशंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

संसदीय पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 1 फरवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा मैसर्स दयाल फर्टिलाइजर, मेरठ से क्रयित जिंक सल्फेट की किस्म व कृषि विभाग वाराणसी को आपूर्ति

*1—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ की फसल के लिए दयाल फर्टिलाइजर, मेरठ से कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश ने कितने टन जिंक सल्फेट खरीदा ? क्या उसमें से 10 टन वाराणसी कृषि विभाग में भी भेजा गया है? क्या यह सत्य है कि उक्त जिंक सल्फेट पोलिथिन में नहीं था और रद्दी किस्म का है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उसका नमूना लिया गया और टेस्ट भी लिया गया? इसको खरीदने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? किन-किन जिलों के कृषि अधिकारियों ने उक्त फर्म को पेमेन्ट कराया है ? क्या सरकार बिना नमूना लिए पेमेन्ट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

कृषि एवं पशुधन मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह)—

मैसर्स दयाल फर्टीलाइजर प्रा0 लि0, मेरठ से 498—070 मी0 टन जिंक सल्फेट क्रय किया गया।

कृषि विभाग वाराणसी को दस नहीं बल्कि 48 मै0 टन की आपूर्ति कराई गई। जिंक सल्फेट की आपूर्ति प्लास्टिक बैग में प्राप्त हुई। विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उक्त स्टाक स्तरीय पाया गया।

उक्त जिंक सल्फेट के क्रय हेतु कृषि निदेशक द्वारा उद्योग निदेशक, उ0 प्र0 को लिखा गया था तथा उद्योग निदेशक से उक्त क्रय हेतु अधिकार पत्र दिया गया।

वांछित सूचना संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1391 पर ।)

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में आय सीमा के निर्धारण का औचित्य

*2—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर को देखते हुए एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में रु0 3,500 प्रति वर्ष की आय सीमा का क्या औचित्य है? क्या इस सीमा निर्धारण से खेतिहर मजदूर परिवार एकीकृत ग्राम्य विकास योजना से लाभान्वित होने से वंचित नहीं हो जाते? यदि हां, तो क्या सरकार इस सीमा को तुरन्त रु0 7,000 करने की घोषणा करेगी?

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

रु0 3,500 प्रति वर्ष की आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र के पांच सदस्यों वाले परिवार की न्यूनतम उपभोक्ता आवश्यकताओं पर आधारित है। खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को देखते हुए भी यह परिवार गरीबी की सीमा रेखा के भीतर ही आते हैं, यदि परिवार में कमाने वाला सदस्य एक ही है।

जी नहीं।

छठी पंच वर्षीय योजना काल हेतु यही नार्म्स बनाए रक्खे जा रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह–

इस बात की जानकारी होते हुए कि खेतिहर मजदूरों के परिवार के अधिकांश सदस्य मजदूरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही सदस्य मजदूरी करता हो, तो इसमें यह प्रतिबन्ध रखना कि मात्र एक सदस्य मजदूरी करता हो, तो जब अधिक सदस्य अगर मजदूरी करते हों तो लाभ से वंचित हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है?

श्री काशी नाथ मिश्र–

मजदूरों के परिवार में अमूमन जो बालिग हो जाते हैं वह अलग-अलग हो जाते हैं। इस लिए परिवार की परिभाषा जो है, जो आई0 आर0 डी0 और प्लानिंग कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है, वह यह है कि एक बालिग, 4 नाबालिग और एक कमाने वाला हो। इसलिए 5 को आधार मानकर 35 सौ रुपये रखा गया है।

श्री जयदीप सिंह–

आई0 आर0 डी0 में उन्होंने परिवार की गलत परिभाषा दी है। उसमें वह सब सदस्य जो एक मकान में रहते हों, एक जगह खाना बनाते हों। तो क्या इसको देखते हुए, परिवार की परिभाषा में संशोधन करवाने की कृपा करेंगे? जहां तक खेतिहर मजदूरों के परिवार हैं, उनके लिए इस प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेंगे?

श्री काशी नाथ मिश्र–

इसके हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार की परिभाषा प्लानिंग कमीशन और अर्थ शास्त्री करते हैं और जो है वह बहुत ही साइंटिफिक है। दो कमाने वाले खेतिहर मजदूरों के यहां एक साथ उनकी हाण्डी कतई नहीं जलती।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

एक बालिग और चार नाबालिग, इसका एक परिवार है। तो मैं जानना चाहता हूं कि चाहे केन्द्र सरकार के हिसाब से या सूबाई सरकार के हिसाब से परिवार की परिभाषा तो यह है–बालिग स्त्री पुरुष और उनके बच्चे और आप कहते हैं एक बालिग और सब नाबालिग, तो आप इस को स्पष्ट कर दें?

श्री काशी नाथ मिश्र–

मान्यवर, प्रश्न का मकसद ही यह है कि 35 सौ की आमदनी के नीचे के परिवारों को जब हम उठा लेंगे तब हम 7 सौ पर आयेंगे।

श्री रियासत हुसैन–

जो खेतिहर मजदूरों के परिवार हैं उनके अन्दर उस परिवार के स्त्री और पुरुष दोनों ही मजदूरी करते हैं और उनके नाबालिग बच्चे भी मजदूरी करते हैं, अगर उन सब को जोड़ा जायेगा तो कोई भी परिवार 35 सौ से नीचे में रहने वाला नहीं है। इसलिए हर परिवार के जो पुरुष हैं, उनकी ही आमदनी को देखते हुए क्या यह लागू होगा?

श्री काशी नाथ मिश्र–

स्त्री, पुरुष और बच्चे सहारनपुर, मेरठ में दूसरी स्थिति है, काम करते हों लेकिन पूर्वी जिलों में रोज काम नहीं करते, रोज मिलता ही नहीं है और जब काम मिलता है तो 6-7 रुपये रोज। इस को आप जोड़ लें तो भी 36 सौ से कम हो जायेगा अगर रोज सब काम करेंगे तो यह 35 सौ की सीमा केन्द्र सरकार से निर्धारित हुई है, प्लानिंग कमीशन से।

श्री रियासत हुसैन–

35 सौ रुपये की जो आमदनी है, वह परिवार के मेन पुरुष की होगी, उसकी ही आमदनी से सम्बन्धित होगा, स्त्री और पुरुष से सम्बन्धित नहीं होगी, क्या आप ऐसा करेंगे?

श्री काशी नाथ मिश्र–

स्त्री अगर काम करती है तो उस को आप जोड़ लीजिए, कहीं काम करती है कहीं नहीं करती है।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के एक वर्ग के छात्रों द्वारा गांधी भवन एवं सुभाष भवन के छात्रों के साथ मारपीट तथा दोषी छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही

*3–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में 8 मई, 1981 को छात्रों के एक वर्ग द्वारा गांधी भवन एवं सुभाष भवन छात्रावासों में घुस कर सोते हुए अनेक छात्रों को घायल करने तथा उनका सामान आदि उठा ले जाने की घटना घटी? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

8 मई, 1981 को छात्रों के एक वर्ग द्वारा गांधी भवन एवं सुभाष भवन के छात्रों के साथ, जिनमें से कुछ दोपहर में अपने कमरे में सो रहे थे, मार पीट की गई। इसके बाद छात्रों के एक दल ने, जिनकी संख्या लगभग 30–40 होगी, अपराह्न लगभग 5 बजे चक्रफेरी पुल पर विश्वविद्यालय की बस को रोक कर उसमें बैठे छात्रों को बुरी तरह पीटा। घायल छात्रों द्वारा सामान उठाये जाने की कोई शिकायत नहीं की गयी है।

घायल छात्रों द्वारा नामजद रिपोर्ट कराये जाने के आधार पर पुलिस ने दोषी छात्रों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध मुकदमें दायर किये हैं। विश्वविद्यालय ने अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर छानबीन के बाद दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की है:–

1–पांच विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से सदैव के लिए निष्कासित किया गया।

2–एक विद्यार्थी को तीन त्रैमास के लिए निष्कासित किया गया।

3–चार विद्यार्थियों को एक त्रैमास के लिए निष्कासित किया गया।

4–एक विद्यार्थी को कड़ी चेतावनी दी गयी।

श्री मित्रसेन–

इस घटना में कितने लड़कों का सामान गायब किया गया? क्या उसका जिक्र एफ0 आई0 आर0 में है? क्या जांच रिपोर्ट में उसका जिक्र है?

श्री भानुप्रताप सिंह–

सामान उठाये जाने की कोई शिकायत किसी ने नहीं की है।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

जिन छात्रों के खिलाफ दावे दायर किये गये हैं वे किस दफा में हैं? और इस घटना के घटने का कारण क्या था?

श्री भानुप्रताप सिंह–

यह विश्वविद्यालय बहुत सालों से कुछ जातिवाद तथा राजनीति का शिकार रहा है और कुछ लड़के अराजक तत्व हैं गड़बड़ी करते हैं। उन्होंने अपना एक गुट बना लिया है और जो लड़के उनका साथ नहीं देते उनको वे परेशान करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। मेरे पास एफ0 आई0 आर0 इस समय नहीं है, इस कारण दफा बताना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें, जब सारे तथ्य सामने आ जायें, तब इसे लिया जाय।

श्री हुकम सिंह–

मंत्री जी ने कहा कि वहां पर जातिवाद के कारण वातावरण दूषित है। यह इस प्रदेश का प्रमुख विश्वविद्यालय है, इसलिये आपने प्रशासनिक दृष्टि से वहां पर जातिवाद आदि दोषों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये?

श्री भानुप्रताप सिंह–

सरकार के साथ-साथ जो राजनैतिक साथी हैं वह सभी अगर मिल कर इस कार्य में सहयोग दें तो वातावरण वहां का जल्दी सुधारा जा सकता है और जो भावात्मक द्वन्द वहां पर है वह समाप्त हो सकता है और स्थिति शान्तिमय हो सकती है। खाली सरकार के करने से वह सम्भव नहीं है। वैसे सरकार प्रयत्नशील है और हर सम्भव प्रयास भी कर रही है कि वहां पर शान्ति रहे और जिस भावना से लड़के शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वे शिक्षा ग्रहण कर सकें और वहां किसी प्रकार की अशान्ति का वातावरण न रहे।

विकास खण्ड, जमालपुर, मिर्जापुर के कार्यालय का भवन

*4–श्री रामचरण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जमालपुर, जनपद मिर्जापुर का कार्यालय अपने नव निर्मित भवन में न चल कर किराए के भवन में चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू किये जाने पर विचार

*5–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि फसल बीमा योजना प्रदेश में लागू कर दी गयी है? यदि हां, तो कब से और किन-किन क्षेत्रों में तथा उसकी प्रारम्भिक आवश्यकतायें और शर्तें क्या हैं?

श्री सीताराम निषाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन–

क्या सरकार किसानों की फसल बीमा योजना लागू करने में सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करती है और अगर करती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? सदन में भी घोषणा की गयी है और आज कहते हैं कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। तो मैं जानना चाहता हूं कि घोषणा के बावजूद लागू न करने के क्या कारण हैं?

श्री भानुप्रताप सिंह–

मान्यवर, सदन में इसकी घोषणा हो चुकी है और सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार किया गया है लेकिन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से जो बीमा कम्पनियों ने प्रारूप हम लोगों के सम्मुख रखा था उसको देखने के बाद और उस पर विचार-विनिमय करने के पश्चात् ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी शर्तों के हिसाब से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा बल्कि यह कहना चाहिए कि लाभ नहीं होगा इस लिए हमने उस योजना के लिए फिर उनसे कहा कि आप इसका इस प्रकार सरलीकरण करिए कि इसका लाभ किसानों को पहुंचे इसलिए इसको लागू नहीं किया जा सका।

सहायक आबकारी आयुक्त श्री बी0 एन0 मल्ल का निलम्बन व जांचोपरान्त उनकी दोष मुक्ति

*6–श्री केदार नाथ सिंह तथा श्री सूबेदार सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में सहायक आबकारी आयुक्त श्री बी0 एन0 मल्ल को तत्कालीन शासन ने निलम्बित कर दिया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच विभाग द्वारा पूरी कर लिए जाने के पश्चात् भी अब तक निलम्बन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री निर्मल कुमार)–

जी हां, श्री बी0 एन0 मल्ल, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त (सेवा निवृत्त) को वर्ष 1978 में तत्कालीन शासन द्वारा निलम्बित किया गया था।

मामले पर समुचित विचारोपरान्त वर्तमान शासन ने श्री मल्ल को दोष मुक्त कर दिया है। और यह भी आदेश दिये हैं कि श्री मल्ल को निलम्बन अवधि को ड्यूटी पर माना जायेगा। श्री मल्ल को इस अवधि का पूर्ण वेतन देय होगा और इस अवधि की गणना पेंशन आदि की ओर भी मानी जायेगी।

श्री केदारनाथ सिंह–

क्या मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 एन0 मल्ल, सहायक आबकारी आयुक्त ने इस आशय का कोई प्रत्यावेदन शासन को दिया है कि कुछ शराब के ठेकेदारों ने शासन के अधिकारियों पर प्रभाव डालकर यह नीलामी की धन-राशि कम कराते हैं और नेताओं से मिलकर उनको उत्पीड़ित करते हैं। ऐसा कोई अभ्यावेदन उन्होंने शासन को दिया है?

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रश्न से कहां सम्बन्धित है?

श्री केदार नाथ सिंह–

उनको जब निलंबित किया गया था तो उन्होंने ऐसा अभ्यावेदन दिया था कि उनको निहित स्वार्थ के कारण निलंबित किया गया है और अधिकारियों और ठेके-दारों की सांठ-गांठ से किया गया है?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न था कि क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में सहायक आबकारी आयुक्त श्री बी0 एन0 मल्ल को तत्कालीन शासन ने निलंबित कर दिया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच विभाग द्वारा पूरी कर लिए जाने के पश्चात् भी अब तक निलंबन के संबंध में अन्तिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया है? इस सबका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री मोहन सिंह–

मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब बी0 एन0 मल्ल के निलंबन के मामले में छानबीन कराई गई तो क्या यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि श्री मल्ल का निलंबन उनकी लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि जिसकी वजह से उनका गलत निलंबन हुआ, यदि जांच के उपरान्त इस तरह के तथ्य प्रकाश में आयें कि किसी उच्चाधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को प्रताड़ित किया तो क्या उनके विरुद्ध भी शासन कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है?

श्री निर्मल कुमार–

जांच रिपोर्ट के तहत आबकारी परिवेक्षक के रूप में उनको दोष मुक्त माना। जांच रिपोर्ट के समय अवश्य यह बात सामने लाई गई कि जो आरोप उन पर लगाये गए हैं उनका सम्बन्ध उनसे न होकर जो उस समय सहायक आबकारी आयुक्त, गोरखपुर

श्री निर्मल कुमार—
थे, उनसे सम्बन्धित था और चूंकि 78 में वह भी सेवा निवृत्त हो चुके हैं इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही शासन द्वारा अपेक्षित नहीं है।

श्री केदारनाथ सिंह—
मैंने जो प्रश्न किया वह यह कि उनका कहना यह था कि हमको ठेकेदारों की सांठ-गांठ से निलंबित किया गया है तो क्या जांच रिपोर्ट में इसकी सत्यता पाई गई है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सूबेदार सिंह—
चूंकि निर्दोष अधिकारी इस तरह से पीसे जाते हैं और चालाक किस्म के लोग जो हैं वे फायदा उठाते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का कोई कदम उठायेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घट सके?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मुईद अहमद—
क्या इस संबंध में मल्ल साहब ने तत्कालीन आबकारी मंत्री को भी कोई प्रत्यावेदन दिया था? यदि हां, तो उस पर तत्कालीन आबकारी मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*7—श्री हरिवंश सहाय—
[छठें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला विकास अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध आरोपों की जांच

*8—श्री रियासत हुसैन—
क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 81 में जब वह बस्ती गये थे तो जिला विकास अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध युवा जनता के लोगों ने उनको एक ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री काशीनाथ मिश्र—
जी हां। तत्कालीन जिला विकास अधिकारी का स्थानान्तरण दूर स्थित जिले को कर दिया गया है, तथा उनके विरुद्ध जांच अग्रसर है।

श्री रियासत हुसैन—
क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन से जिले में उनका तबादला किया गया है जिससे पता चल सके कि वह दूर है या करीब है? उनके ऊपर जो चार्जेज हैं उनकी जांच किस एजेंसी से कराई जा रही है?

श्री काशीनाथ मिश्र—
उनका तबादला देहरादून में किया गया है और जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—
क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके खिलाफ मुख्य चार्ज एकाउंट के डाक्यूमेन्ट्स का भी है तो उसकी जांच जिलाधिकारी से कराने के बजाय विजिलेंस डिपार्टमेंट से करायेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र—
मान्यवर, विरोधी पक्ष के लोग एक जनरल नोटिस छपवा देते हैं। इस तरह का एक लम्बा चौड़ा पत्र मेरे पास है। इसमें तमाम तरह के जनरल चार्जेज हैं, कोई ठोस चार्ज नहीं है। फिर भी जांच करायी जा रही है और जांच में दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

श्री रियासत हुसैन–

जब माननीय मंत्री जी स्वयं मानते हैं कि उनके खिलाफ चार्जेज हैं और जिलाधिकारी द्वारा उनके खिलाफ जांच करा रहे हैं तो उनका तबादला देहरादून करने की क्या आवश्यकता थी?

श्री काशीनाथ मिश्र–

जो चार्जेज लगाये गये हैं उनकी जांच चल रही है।

श्री हुकम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार यह घोषणा सरकार की तरफ से हुई है कि स्थानान्तरण कोई सजा नहीं है। ज्ञापन दिया गया है और उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाये गए हैं और माननीय सदस्य ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर किस्म के हैं, जैसेकि दुरुपयोग वगैरह की भी बात है, तो ऐसे गम्भीर आरोप के होते हुए भी उनका तबादला जो किया गया वह सरकार की नीति के प्रतिकूल है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जांच के दौरान कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी आयी है या नहीं? यदि आई है, तो उसके आधार पर कोई कार्यवाही की गई या नहीं?

श्री काशीनाथ मिश्र–

इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जांच कराई जा रही है। आरोप ठोस नहीं हैं इसलिए देर लग रही है। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि ट्रान्सफर इज नो पनिसमेन्ट, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। जब आरोप लग जाते हैं तो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि जांच को प्रभावित कर रहे हैं। विरोधी पक्ष की भावना का आदर करते हुए उनको हटा दिया गया है। जांच हो रही है। जांच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से जांच की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित । माननीय मन्त्री जी को एक आदत है अनावश्यक और अनर्गल बात करने की . . . .

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछिए . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है कि विरोधी पक्ष आरोप लगाता है क्योंकि, मंत्री जी को भी वहां बैठने का शौक पूरा हुआ है। इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए. . .

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

समाजवादी स्टाइल है, इसलिए बुरा मत मानिये . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

आरोप बहुत ही गंभीर है। जिलाधिकारी से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जांच करेंगे क्योंकि दोनों आफिसर साथ ही रहते हैं। इसलिए इस मामले को सतर्कता विभाग को जांच करने के लिए देने में क्या परेशानी है? रिश्तेदारी का मामला तो नहीं है। सतर्कता विभाग से जांच कराने में क्या परेशानी हो रही है?

(उत्तर न आने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, उत्तर दिलवा दीजिए . .

श्री अध्यक्ष–

आप तो यह पूछ रहे हैं कि सतर्कता विभाग से मंत्री जी को जांच कराने में क्या परेशानी हो रही है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–
जांच करायेंगे या नहीं, यह पूछ रहा हूं . .

श्री अध्यक्ष–
पहले यह तो आये कि सतर्कता विभाग से करायेंगे . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–
जवाब तो दिलवा दीजिए, मान्यवर . . .

श्री अध्यक्ष–
आप सवाल तो पूछिए . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–
मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री सतर्कता विभाग से जांच करायेंगे कि नहीं?

श्री काशीनाथ मिश्र–
माननीय ओझा जी बहुत पुराने सदस्य हैं। यह जानते हैं कि कैसे मामला सतर्कता विभाग को भेजा जाता है। जब तक प्राइमा-फेसी केस कोई साबित नहीं हो जाता उस के बाद भेजते हैं। अभी तो आरोप का नेचर ही इस्टेब्लिश नहीं हो सका है।

*9–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–
[18-1-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित]

तहसील टाण्डा, फैजाबाद में अन्त्योदय, आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को प्रदत्त सुविधाएं

*10–श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)–
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद में अन्त्योदय आई0आर0डी0 के अन्तर्गत कितने परिवारों का चयन किया गया तथा उन परिवारों को क्या सुविधायें दी गयी? विस्तृत विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलरामसिंह यादव–
सूचना एकत्र की जा रही है।

गोवध के लाइसेन्स संबंधी प्रार्थना पत्र पर जालौन जिला प्रशासन द्वारा कृत कार्यवाही

*11–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–
क्या पशुधन मन्त्री को यह जानकारी है कि क्या यह सच है कि जालौन जिला प्रशासन गोवंश हत्या का व्यापार करने वालों को लाइसेन्स प्रदान करने जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री सीताराम निषाद–
जी नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–
माननीय मंत्री जी आप के इस उत्तर को सही मानकर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लाइसेन्स के समर्थन में वहां के किसी विधायक ने जिलाधिकारी को कोई संस्तुति की है?

श्री भान प्रताप सिंह–
किसी विधायक ने जिलाधिकारी को संस्तुति की है इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–
आप के उत्तर के संदर्भ में पशुधन अधिकारी, कौंच के खिलाफ गोवध व्यापार के संबंध में जनता ने आम शिकायती पत्र आप के पास भेजा था, आप ने पशुधन अधिकारी, कौंच के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए थे, उस की रिपोर्ट भी शासन के पास आ गई

है और अधिकारी के स्थानान्तरण की संस्तुति भी पशु आयुक्त ने की है। तो जिस शिकायती पत्र पर इतनी शासन द्वारा कार्यवाही हुई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस गो बध को रोकने के लिए शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है।?

श्री भानु प्रताप सिंह–

प्रश्नकर्ता स्वयं बहुत सी बातों से अवगत हैं। गो बध अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक प्राविधान है कि गाय को काटने का, गो बध के मांस बनाने का लाइसेन्स किसी को न दिया जाय। एक व्यक्ति हैं श्री अमीन अहमद, कोंच के अन्तर्गत रहते हैं उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उनको लाइसेन्स दे दिया जाय-गो मांस बनाने का। उस प्रार्थना-पत्र की जब जांच हुई तो उनको अवगत करा दिया गया कि यह लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता और यदि इस तरह का लाइसेन्स दे दिया जायेगा तो वहां पर टेंशन हो जायेगा। इसलिए नहीं दिया गया। प्रश्नकर्ता ने भी जिलाधिकारी को इस संबंध में 15-10-81 को एक पत्र लिखा था और उसका उत्तर 10-11-81 को जिलाधिकारी ने आपको भी दिया है कि वह लाइसेन्स नहीं दिया गया।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से शंका पैदा हो गई।

श्री अध्यक्ष–

सभी प्रश्नों के उत्तर आ तो गये।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि काउ-स्लाटरिंग की जो दरखास्त दी गई थी लाइसेन्स के लिए, वह इसलिए नहीं दिया गया जिससे वहां पर टेंशन पैदा होने की संभावना समझी। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ऐसी जगह काउ-स्लाटिंरिंग का लाइसेंस देंगे जहां टेंशन न पैदा हो?

श्री भानु प्रताप सिंह–

जो अधिनियम है उसके अन्तर्गत कोई लाइसेंस देने का प्राविधान ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, एक प्रश्न की इजाजत और दे दें।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न किये थे, उन सब के तो उत्तर आ गये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

उनके उत्तर से ही संबंधित है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आने में क्या कमी रह गई है?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पशुधन अधिकारी श्री त्यागी को इन सब नियमों की जानकारी होते हुए भी उन्होंने लाइसेन्स देने की संस्तुति की है, जिलाधिकारी को। उसके बाद आपने वह प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे उच्च अधिकारी को नियमों की जानकारी होने के बावजूद भी उनको दोषी ठहराते हुए अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री भानु प्रताप सिंह–

इसकी जानकारी उनको थी और वह पत्रावली मुझे प्रेषित की गई है, यह सूचना मेरे पास नहीं आयी है। यदि आयेगी तो उस पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जायेगा।

*12–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

[3रे सोमवार के नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 की पुनरावृत्ति होने

गोरखपुर के विकास खण्ड खोराबार के कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर विचार

*13--श्री कुंवर भंडारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास खण्ड खोराबार-सनहा सम्पर्क मार्ग से खोराबार हरिजन बस्ती होते हुए ग्राम भक्ता तक, एवं गोरखपुर-देवरिया मार्ग से ग्राम जंगलचौरी होते हुए चण्डी के टोला तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कराये जाने के सम्बन्ध में विधायक श्रीमती गौरी देवी ने एक आवेदन-पत्र मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को 30 अगस्त, 1981 को दिया है? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां। प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी, खोराबार से योजनाओं का इस्टीमेट तैयार कराया गया है। यह प्रस्ताव जिला स्टियरिंग कमेटी की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है तथा समिति के अनुमोदन के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, 30 दिसम्बर को खाद्यान्न योजना बन्द किये जाने के बाद, क्या यह सत्य है कि एक साल किसी भी मार्ग पर कोई भी कार्य नहीं हुआ और ग्रामीण रोजगार योजना में इस समय भी तेजी नहीं है। इसमें तेजी से काम करने के लिये कौन सा कदम माननीय मंत्री जी उठायेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, माननीया गौरी देवी ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-8-81 को दिया था। उसके बाद 4 नवम्बर, 1981 को स्टियरिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय हुआ कि खाद्यान्न योजना में जो अधूरे काम रह गये हैं, वह पूरे किये जायेंगे उसके बाद जो लिख कर दिया, तो यह विचार हुआ कि स्टियरिंग कमेटी की अगली बैठक जो होगी, उसमें इस पर विचार होगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, खोराबार से सनहा तक जो मार्ग है, कुछ बना हुआ है। क्या उस स्कीम में यह प्राथमिकता नहीं है कि जो अधूरे मार्ग हैं, उसमें प्राथमिकता दी जायेगी? क्या यह बताने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे कि अधूरे मार्ग जो हैं, वे कब तक पूरे करा दिये जायेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, स्टियरिंग कमेटी, गोरखपुर ने संस्तुति की है कि जो काम अधूरे रह गये हैं, वे पूरे किये जायेंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य जो प्रार्थना-पत्र देते हैं, उस पर भी विचार किया जाता है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के अन्दर जो इस तरह के कार्य हैं, उनके सम्बन्ध में कोई ऐसा कदम उठायेंगे, जिससे कि वे अधूरे काम पूरे हो जायेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, जैसा फण्ड हमारे यहां अवेलेबुल है, जो धनराशि प्राप्त है, सरकार को उसके अन्तर्गत जो काम बहुत ही जरूरी हैं, आर्थिक वरीयता के आधार पर, उनको निश्चित रूप से पूरा किया जायगा।

नोट :--तारांकित प्रश्न 13 श्रीमती गौरी देवी ने पूछा।

गोरखपुर के ब्लाक परतावल में खाद्यान्न योजना का पकड़ा गया खाद्यान्न तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री परमहंस पाण्डेय के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*14—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक परतावल में माह दिसम्बर, 1980 में खाद्यान्न योजना का लाखों रुपए का अनाज परगनाधिकारी, महराजगंज व सी0ओ0 (पुलिस), फरेंदा के द्वारा पकड़ा गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री काशीनाथ मिश्र—

गोरखपुर जनपद के ब्लाक परतावल में माह दिसम्बर, 1980 में पुलिस द्वारा 29 बोरा गेहूं पकड़ा गया था। प्रारम्भिक जांच के उपरान्त श्री परमहंस पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, यह मामला बहुत ही गंभीर है। इसमें अपने बेटे और दूसरे के बेटे को सजा देने से संबंधित मामला दिया गया है। इसमें युवक कांग्रेस (आई) के श्री उमेश तिवारी के घर में गल्ला रखा हुआ पकड़ा गया जिसमें उनके चाचा भी पकड़े गये। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्थानीय थाने में उनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और उस विषय में अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल ग्राम्य विकास अधिकारी पर ही क्यों चलाई गई?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जो सूचना इस समय इस शासन के पास उपलब्ध है उसके आधार पर केवल संबंधित ग्राम सेवक ही पकड़ा गया उसके यहां 29 बोरे चावल के तथा 88 खाली बोरे पकड़े गये थे और उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है इसके अलावा कोई सूचना नहीं है और कोई शिकायत कांग्रेस (आई) के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी विरोधी पक्ष के सदस्य की तरफ से नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि चावल के जो बोरे पकड़े गये वह किस स्थान पर पकड़े गये और किसने एफ0आई0आर0 दायर कराई, किस के घर में वह पकड़े गये?

श्री अध्यक्ष—

यह बोरे कहां पकड़े गये?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो सूचना है, ग्राम सेवक द्वारा गांव में किसी के यहां रखे थे?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

वह व्यक्ति किस पार्टी से सम्बन्धित है ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह गैर क्षेत्र का मामला है। (व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो चावल पकड़ा गया वह किस गांव में किस व्यक्ति के यहां से पकड़ा गया एफ0आई0आर0 में किसका नाम दर्ज है?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जो सूचना शासन के पास है वह इतनी ही है कि 29 बोरे पकड़े गये और ग्राम सेवक निलंबित कर दिया है। बाकी सूचना नहीं है कि किसके यहां पकड़ा गया। (व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

वह व्यक्ति युवक कांग्रेस (आई) का महामंत्री है। (व्यवधान)

श्री हुकम सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में किसके विरुद्ध केस रजिस्टर हुआ है और जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है जहां से यह बोरे पकड़े गए वह क्या है? क्या एफ0आई0आर0 पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री काशीनाथ मिश्र–

एफ0आई0आर0 ग्राम्य विकास विभाग में नहीं आती वह गृह विभाग में आती है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, यह तथ्य छिपा रहे हैं (व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, शांति रखें। प्रश्न का उत्तर समाप्त होने दें। क्या आपके पास एफ0आई0आर0 की कापी है?

श्री काशीनाथ मिश्र–

एफ0आई0आर0 की कापी नहीं है। माननीय सदस्य कहेंगे तो एफ0आई0आर0 की कापी मंगा कर श्रीमन्, आपके सामने रख देंगे।

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल स्थगित किया जाता है।

जिला परिषदों के अप्रशिक्षित कम्पाउण्डरों को प्रशिक्षण दिये जाने पर विचार

*15–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 6962-क/33-1/162-78, पंचायती राज अनुभाग, लखनऊ दिनांक 29-11-80 के द्वारा जिला परिषदों में कार्यरत अप्रशिक्षित कम्पाउण्डरों को रेफ्रेशर कोर्स देकर प्रशिक्षित कराने का मामला शासन के विचाराधीन है? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 1944/5-7-3423/66 चिकित्सा विभाग-7, दिनांक 30-9-81 के आदेश के विपरीत जिला परिषदों में अन्ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षण से वंचित रखा गया है? ऐसा क्यों? क्या परिषदों के अन्ट्रेंड कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षित कराने हेतु अलग से आदेश निर्गत किए जायेंगे?

श्री बलरामसिंह यादव–

जी हां। जिला परिषदों के अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को रेफ्रेसर कोर्स देकर प्रशिक्षित बनाने हेतु शासन प्रयत्नशील है। इसी विचार से शासनादेश दिनांक 29-11-1980 द्वारा अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों की सूची मांगी गई थी। परन्तु, यह प्रशिक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है और उनके द्वारा फिलहाल राजकीय अस्पतालों में कार्यरत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को ही सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतएव, फिलहाल स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों में कार्यरत फार्मेसिस्टों को प्रशिक्षण देने का निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसी कारण इस समय यह तिथि निश्चित कर पाना संभव नहीं है कि कब तक अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए कल्याण कोष की स्थापना

*16–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा हाल में ही पत्रकारों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कोष में सरकार ने कितना रुपया जमा किया है और कोष में सेवायोजकों द्वारा कितना अंश जमा किया गया है? तथा कितना जमा करना अपेक्षित है तथा कोष का संगठन किस प्रकार होगा?

श्री काशीनाथ मिश्र–

जी हां।

शासन ने रु0 3 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है। समाचार पत्र प्रतिष्ठानों तथा पत्रकारों से, कोष के लिए, कितना अंशदान लिया जाना है और उस अंशदान को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी–यह प्रश्न विचाराधीन है। कोष का संचालन शासन द्वारा गठित एक समिति करेगी।

*17–श्री नन्द किशोर सिंह–

[18-1-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित]

महापंडित राहुल सांकृत्यायन के जन्म-स्थान ग्राम कनैला, आजमगढ़ को पर्यटक केन्द्र बनाने पर विचार

*18–श्री दूधनाथ राजभर (अनुपस्थित)–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित कोई पत्र, जो जनपद आजमगढ़ के ग्राम कनैला, जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म-स्थान है, को पर्यटन केन्द्र बनाने के संबंध मेंहै, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब (दिनांक 10-12-1918) तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री विद्याभूषण)–

जी हां।

प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया।

पर्यटन के दृष्टिकोण से आधारभूत सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण एवं सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

*19–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसानों को पावर अल्कोहल बनाने के लाइसेन्स दिये जाने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश का प्रस्ताव

*20–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कानपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा एक साल से पावर अल्कोहल से कारें चलाये जाने की घोषणा को देखते हुए और पावर अल्कोहल बनाने की फैक्टरियों की कमी महसूस करते हुए क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि किसानों को अपनी कृषि सम्बन्धी मशीन चलाने के लिए पावर अल्कोहल बनाने के लाइसेंस दिये जायं और उन्हें कर मुक्त किया जाय? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री निर्मल कुमार–

जी नहीं। किसानों को पावर अल्कोहल बनाने का लाइसेन्स दिये जाने और उन्हें कर मुक्त किये जाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश किया जाना निम्नलिखित

कारणों से उचित नहीं है:—

1—पावर अल्कोहल विशुद्ध मद्यसार (अब्सल्यूट अल्कोहल) से बनाया जाता है।

2—विशुद्ध मद्यसार तथा औद्योगिक अल्कोहल की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त पर्याप्त मात्रा में शीरा, जो विशुद्ध मद्यसार के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल है, प्रदेश में उपलब्ध नहीं है जिससे कि विशुद्ध मद्यसार का उत्पादन करके किसानों को कृषि सम्बन्धी मशीनों को चलाने के लिए पावर अल्कोहल की आपूर्ति की जा सके।

3—आर्थिक दृष्टिकोण से पावर अल्कोहल का कर सहित मूल्य डीजल आयल की तुलना में बहुत अधिक बैठेगा और यदि केन्द्र सरकार अपनी ड्यूटी छोड़ भी दे तब भी किसानों पर अधिक आर्थिक भार पड़ेगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो उत्तर का भाग 2 है उसमें आपने कहा कि हमें सीरा उपलब्ध नहीं है तो आपका तात्पर्य उस सीरे से है जो चीनी मिलों से प्राप्त होता है, जो प्रदेश का सारा गन्ना है उससे कम है या क्या मतलब है? दूसरा आप इसका ब्रेक अप दे दें कि किस तरीके से इसका आंकलन किया है कि यह डीजल की तुलना में तेज पड़ेगा?

श्री निर्मल कुमार—

मान्यवर, पावर अल्कोहल की जो संरचना है वह यह है उसमें मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए पावर अल्कोहल की बात होती है, तो उसमें 80 प्रतिशत पेट्रोल यह और 20 प्रतिशत एब्सोलूट अल्कोहल का सम्मिश्रण हमें करना पड़ेगा। तो 80 प्रतिशत के हिसाब से एक लीटर का मूल्य लें तो 5 रुपये के आस पास पड़ेगा और 20 प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाते हैं तो वह ड्यूटी सहित 60 पैसे पड़ेगा। तो कृषि संयंत्रों के लिए उसका प्रयोग कर सकें तो 5.60 पड़ेगा। जो डीजल के मूल्य रुपया 3.25 से बहुत ज्यादा है। तो आर्थिक दृष्टि से पावर अल्कोहल के उपयोग की बातें कहीं से उचित प्रतीत नहीं होती हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

लगता है कि मंत्री जी हमारा सवाल समझ ही नहीं पाए हैं। पावर अल्कोहल ही वह नहीं समझ पाए हैं, तो जवाब क्या देंगे? आप पावर अल्कोहल को बताएं जो शुद्ध मद्यसार से तैयार होता है। उसमें पेट्रोल मिलाया नहीं जाता है, तो उसको समझाएं? उसमें 1 टन से 400 लीटर पावर अल्कोहल बनता है?

श्री निर्मल कुमार—

अगर पेट्रोल के मिश्रण की बात न की जाए, सिर्फ पावर अल्कोहल से ही चलाने की बात हो तो उसका मूल्य भी लगभग रु0 3.25 के आसपास बैठेगा, वह भी तब ....

श्री रामस्वरूप वर्मा—

आपको इसका पता ही नहीं है, 75 पैसा फी लीटर बैठता है।

इसको आप स्थगित कर दीजिए। मंत्री जी को भ्रम हो गया है। यह अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। यह पावर अल्कोहल को समझे ही नहीं। वह पावर अल्कोहल नहीं, वह शब्द मैं भूल गया हूं, जो उसके लिए कहते हैं ....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, जब दोनों आदमी याद कर लीजिएगा तब पूछिएगा। अब आगे चलते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आप इसका सही उत्तर दिलाने के लिए इसको स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने बताया तो, उन्होंने दुबारा तो स्पष्ट कर दिया है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा–

उन्होंने कहा है कि पेट्रोल मिलाने की बात न भी हो, तो रु0 3.25 बैठता है । इनको मालूम नहीं है, इसलिए आप इसको स्थगित कर दीजिए ।

श्री हरिवंश सहाय–

मंत्री जी ने कहा कि शीरे से एब्सोलूट एल्कोहल बनता है, तो क्या इसके लिए अलग से कोई तरीका है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न भी बिलकुल अस्पष्ट है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

इस सवाल के बारे में मुझे कोई उत्तर ही नहीं मिला । आप इसको श्रीमन्, स्थगित कर दीजिए । इसके पीछे जो मकसद था, वह आया ही नहीं और आपके सामने भी रिपीट किया जा रहा है । तो इसको आप जरूर स्थगित कर दीजिए ।

श्री मित्रसेन–

श्रीमन्, इसे आप स्थगित ही कर दीजिए ।

(अगला प्रश्न लेने पर)–

श्री रामस्वरूप वर्मा–

श्रीमन्, मेरा संरक्षण नहीं हुआ।

अतारांकित प्रश्न

पशुधन विकास अधिकारियों का स्थायीकरण

1–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-1-81 तक कितने व्यक्तियों का स्थायीकरण नहीं किया गया था और उनमें से कितने का 6-11-81 तक कर दिया गया है तथा शेष का स्थायीकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह–

दिनांक 9-1-81 तक 125 पशुधन विकास अधिकारियों का स्थायीकरण नहीं किया गया । यही स्थिति दिनांक 6-11-81 को थी । शेष पात्र अधिकारियों के स्थायीकरण के बारे में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराने की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है ।

स्वर्गीय बाल चन्द्र के आश्रितों द्वारा औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि का भुगतान

2–श्री पंचानन राय–

क्या कृषि मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 बाल चन्द्र के आश्रितों द्वारा क्या-क्या औपचारिकताएं पूरी नहीं की गयी हैं जिनके कारण ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जा सका है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि स्व0 बाल चन्द्र की मृत्यु के चार वर्षों में औपचारिकताएं पूर्ण कराने

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नोत्तर समय समाप्त हो गया ।

की दिशा में यू0 पी0 स्टेट एग्रो कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा क्या प्रयास किए गये हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

स्व0 बालचन्द्र के आश्रितों द्वारा निम्न औपाचरिकतायें अभी तक पूरी नहीं की गयी हैं, ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु सही उत्तराधिकारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही जिला जज का सक्सेशन सर्टीफिकेट प्रस्तुत किया गया है । ये औपाचरिकतायें उनके आश्रितों द्वारा अपूर्ण हैं ।

यू0 पी0 एग्रो द्वारा पत्र दिनांक 29-8-79 तथा 9-7-81 द्वारा स्व0 बालचन्द्र के आश्रितों से सूचना मांगी गयी ।

3--श्री मोतीलाल देहलवी--

[दिनांक 21-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित]

श्री विद्या सागर तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी, बछरावां, रायबरेली के विरुद्ध आरोपों की सतर्कता विभाग द्वारा जांचोपरान्त कृत कार्यवाही

4--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, बछरावां, जिला रायबरेली (श्री विद्या सागर) के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार पद के दुरुपयोग आदि से संबंधित आरोपों से युक्त कोई आरोप-पत्र सतर्कता निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वर्ष 1975 में जांच हेतु भेजा गया था, जिसकी जांच सतर्कता विभाग के उप पुलिस अधीक्षक ने बछरावां जाकर वर्ष 1977-78 में किया था और प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामला बनने पर विकास खंड बछरावां के सम्बन्धित अभिलेखों को जांच हेतु कब्जे में किया था ? क्या उस मामले में खण्ड विकास अधिकारी दोषी पाए गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक निलम्बित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव--

श्री विद्या सागर तिवारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बछरावां, जिला रायबरेली के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के अनुसरण में श्री तिवारी को प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गई हैं ।

परियोजनाधिकारी (कृषि), गोरखपुर कार्यालय के लिपिक श्री नन्द लाल सिंह द्वारा रिश्वत लिए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

5--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजनाधिकारी (कृषि), गोरखपुर कार्यालय का एक लिपिक (श्री नन्द लाल सिंह) घूस लेते हुए रंगे हाथों सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 1978 में पकड़ा गया था? यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध मुकदमा कायम करके अभियोग चलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानुप्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नन्द लाल सिंह लिपिक कार्यालय परियोजनाधिकारी कृषि गोरखपुर को प्रश्न में वर्णित परिस्थितियों में 4-10-77 को पकड़ा गया तथा थाना कैन्ट गोरखपुर में धारा 161 भा0 द0 वि0 एवं 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया था । मामले की विवेचना के फलस्वरूप श्री नन्द लाल सिंह के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजना चलाये जाने का औचित्य सतर्कता विभाग द्वारा नहीं पाया गया।

बछरावां विकास खण्ड, रायबरेली में हुए जिप्सम घोटाले की जांच के परिणाम

6—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1971-72 व1972-73 में बछरावां विकास खण्ड, जिला रायबरेली में हुए जिप्सम घोटाला काण्ड की सतर्कता विभाग द्वारा की गयी जांच में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गये हैं ? उनके खिलाफ अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री भानुप्रताप सिंह—

प्रश्नगत मामले की जांच सतर्कता विभाग व विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराई गयी। जांच में जिप्सम के वितरण के संबंध में किसी अनियमितता की पुष्टि न होने के कारण किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश शर्मा, सेवा मुक्त अति0 जिला कृषि अधिकारी की पेन्शन, जीवन बीमा तथा अवशेष वेतन आदि का भुगतान

7—श्री लोकमणि शर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, अति0 जिला कृषि अधिकारी जो परियोजनाधिकारी (कृषि), जनपद रायबरेली के कार्यालय से 31-7-75 को सेवामुक्त हुए थे उनका अवशेष धन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, क्यों? प्रोविजनल पेंशन दिनांक 1-4-76 से 31-7-76 तक 656.00 रुपए, जीवन बीमा पालिसी नं0864963 58 इस पालिसी का सन् 1972 में ही महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को बीमा कम्पनी ने भुगतान कर दिया था जिसकी धनराशि 2505.12 रु0 व बोनस 77.44 रु0, 5282.56 रु0 का भुगतान कर दिया तथा अवशेष वेतन वृद्धि दिनांक 1-6-70 से 31-1-73 तक 750.00 रु0 तथा एरियर वेतन 280.00 का खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर ने अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कुबेर भण्डारी, विधायक द्वारा दी गयी कृषि विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची पर कृत कार्यवाही

8—श्री श्याम नारायन तिवारी तथा श्री कुबेर भण्डारी—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि कृषि विभाग में प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक धन एवं सम्पत्ति का दुरुपयोग होने से संबंधित कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की प्रथम सूची एक विधायक (श्री कुबेर भण्डारी) के पत्र दिनांक 4-2-81 संलग्नक सहित शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सूची के अधिकारियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

जांच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण, विषय विस्तार के कारण, उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

9—श्री लल्लू सिंह चौहान—

[6 ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन 1981-82 की सिफारिश संख्या 25 पर कृत कार्यवाही

10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन (भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76) (सिविल) पर आधारित की सिफारिश संख्या 25 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री विद्या भूषण—

प्रश्नगत सिफारिश संख्या 25 के संबंध में स्थिति निम्नवत है :—

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया से दिनांक 9 मार्च, 1974 को रुपये 13,442.69 पैसे के फर्जी आहरण के विषय में यह निर्णय किया गया है कि सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायी जाये जिसके लिए आदेश गृह विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ख) रुपये 607.75 पैसे तथा रुपये 2,074.40 पैसे के गबन के संदर्भ में एक मुकदमा न्यायालय में चलाया गया। न्यायालय द्वारा भूतपूर्व कैशियर श्री सुभाष चन्द्र बोहरा को दोषी पाया गया तथा 3,000 रुपये का जुर्माना किया गया। न्यायालय के निर्णय की लिखित सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। श्री बोहरा का विभाग में इतनी ही धनराशि जमानत के रूप में जमा है। अतः न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त इस धनराशि को गबन की गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

(ग) रुपये 10,811 के गबन के मामले में न्यायालय में एक दूसरा मुकदमा दायर किया गया। न्यायालय ने 10,000 रुपये का जुर्माना अथवा एक वर्ष की कड़ी सजा श्री सुभाष चन्द्र बोहरा को दी। श्री बोहरा ने जुर्माने की रकम के बदले एक वर्ष की सजा काटी।

न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध श्री बोहरा ने कोई अपील नहीं की। उनकी सेवायें 31.10.75 से समाप्त की जा चुकी है।

श्री परमानन्द सिंह, बी0 एफ0 ए0 आराजी लाइन्स, वाराणसी का शिकायती पत्र तथा अवशेष वेतन का भुगतान

11—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवशेष वेतन 456 रुपए का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भान प्रताप सिंह—

जी नहीं।

महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विभाग में कतिपय अनियमितताओं के संबंध में आयुक्त, कृषि उत्पादन, उत्तर प्रदेश को दो भूतपूर्व विधायकों के पत्र

12—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि मटर खरीद एवं प्रदर्शन, अमोनियम नाइट्रेट फास्फेट खाद, बोरे नीलामी, धान नीलामी आदि से संबंधित अनियमितताओं के प्रति आयुक्त, कृषि उत्पादन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भू0 पू0 विधायक (श्री अंगने लाल

एवं श्री दधीच सिंह) का पत्र दिनांक 26-4-76 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक कृत कार्यवाही रिपोर्ट को मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह–

कथित पत्र संभवतः प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय इन्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़ के निकट शराब की दुकान खोलने की अनुमति

13–श्री पंचानन राय–

क्या आबकारी मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षण संस्थाओं के पास शराब की दुकान न खोलने के शासन के निर्देश हैं? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इन्टर कालेज, तहबरपुर, आजमगढ़ के सन्निकट शराब की दुकान खोलने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गयी है? क्या इस दुकान को यहां से तत्काल हटाने के संबंध में सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोबर्धन तिवारी)–

जी हां, आबकारी नियमों में यह प्राविधान है कि शिक्षण संस्थाओं के बहुत करीब शराब की नई दुकाने न खोली जायें। तहबरपुर देशी शराब की दुकान नई नहीं खोली गयी है अपितु वर्तमान चौहद्दी पर पिछले वर्षों से चली आ रही है। इस चौहद्दी पर इस दुकान को चलाये जाने के बारे में वर्तमान वर्ष से पूर्व कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गयी थी। दुकान की स्थिति के विषय में एक यह भी तथ्य है कि दुकान मुख्य सड़क की ओर है जबकि राष्ट्रीय इंटर कालेज का मुख्य द्वार इस सड़क पर नहीं है। चूंकि दुकान राष्ट्रीय इंटर कालेज तहबरपुर के अधिक नजदीक में नहीं है और चूंकि दुकान की चौहद्दी निर्धारित करते समय कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसीलिए उस चौहद्दी पर दुकान खोलने की अनुमति दी गयी थी। वर्तमान सत्र में दुकान को तत्काल अन्यत्र हटाना व्यवहारिक नहीं है।

कृषि बीज गोदाम, चील्ह, मिर्जापुर के प्रभारी का निलम्बन, दूसरे प्रभारी की नियुक्ति तथा गोदाम को सील करने की कार्यवाही

14–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज गोदाम चील्ह, मिर्जापुर के प्रभारी को सन् 80 में जिला कृषि अधिकारी ने निलंबित कर दिया था? यदि हां, तो उक्त गोदाम की सुरक्षा हेतु तथा वहां के स्टाक को नये प्रभारी को ट्रांसफर करने की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी?

श्री भानु प्रताप सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

15–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि गोदाम चील्ह, मिर्जापुर को 14-11-80 को खंड विकास अधिकारी चील्ह तथा अन्य कर्मचारियों के सामने जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर ने सील किया है? यदि हां, तो तथ्य क्या है?

श्री भानु प्रताप सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर में गोदामों पर उर्वरकों की आपूर्ति

16--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर/दिसम्बर, 1980 में मिर्जापुर जनपद में कितना उर्वरक विभिन्न प्रकार का उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक गोदामों पर कितना-कितना दिया गया ? क्या यह सही है कि नरायनपुर कृषि गोदाम के प्रभारी को एक रिलीज आर्डर उर्वरक का दिया गया और बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक एलाट भी किया गया है? उसमें से 1/4 ही किसानों को दिया गया? क्या सरकार इसका सत्यापन 80/81 के वर्ष का करायेगी?

श्री भान् प्रताप सिंह--

माह नवम्बर, दिसम्बर 80 में मिर्जापुर जनपद को 400 मै0 टन0 डी0 ए0 पी0 तथा 850 मै0 टन यूरिया कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक गोदाम को भेजे गये उर्वरक का ब्योरा संलग्नक में दर्शाया गया है।

दिनांक 8 दिसम्बर 80 को दो रिलीज आदेश एक 200 मै0 टन डी0 ए0 पी0 हेतु वेयरहाउस वाराणसी से तथा दूसरा 300 मै0 टन यूरिया हेतु आई0पी0एल0 वाराणसी का मिर्जापुर जनपद को प्राप्त हुआ। दिसम्बर में बुआई तथा टाप ड्रेसिंग हेतु उक्त दोनों प्रकार की उर्वरकों की तत्काल कृषकों की मांग को पूरा करने के लिये डी0 ए0 पी0 का रिलीज आदेश बफर गोदाम प्रभारी तथा यूरिया का रिलीज आदेश वाराणसी के निकट के गोदाम नरायनपुर के प्रभारी को एक साथ उठाने हेतु दिया गया। उक्त 300 मै0 टन यूरिया में से 81-82 मै0 टन यूरिया नरायनपुर की मांग को पूरा करने के लिये रोककर, शेष 218.4 मै0 टन यूरिया जनपद के अन्य गोदामों को वितरण हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1392 पर ।)

जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर के वेयर हाउस, आजमगढ़ से डी0 ए0 पी0 उठाने का आदेश

17--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी 80 में जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर को कितनी डी0 ए0 पी0 वेयर हाउस, आजमगढ़ से आवंटित हुई थी और उसको उठाने की क्या व्यवस्था की गयी? क्या यह सही है कि आदेश को संशोधन करके बफर गोदाम मिर्जापुर निरीक्षक को उक्त स्टाक उठाने का आदेश दिया गया है? वह आदेश कब किस तारीख को दिया गया और संशोधित आदेश वेयर हाउस मैनेजर आजमगढ़ को किस तिथि को प्राप्त हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

50 मै0 टन डी0 ए0 पी0 आजमगढ़ वेयर हाउस से आवंटित की गई थी। उक्त स्टाक उठाने हेतु श्री संकठा प्रसाद सिंह, प्रभारी चील्ह बीज गोदाम को तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया था ।

जी हां।

उक्त आदेश दिनांक 29-9-80 को दिया गया।

संशोधित आदेश हाउस मैनेजर आजमगढ़ को 22-11-80 को प्राप्त हुआ।

ब्लाक सेवापुरी, जिला वाराणसी के बी0 डी0 ओ0 की पदावनति

18--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक सेवापुरी, जिला वाराणसी के बी0 डी0 ओ0 को पदावनति कर दी गयी थी जिसके खिलाफ उक्त बी0 डी0 ओ0 ने मा0 हाई कोर्ट में मुकदमा किया और पदावनति को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया

है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मा0 हाईकोर्ट के आदेश को जिलाधीश व सी0 डी0, ओ0 वाराणसी नहीं मान रहे हैं और उक्त बी0 डी0 ओ0 को मई से अब तक वेतन नहीं दे रहे हैं और आफिस में अटैच किये हैं, ऐसा क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयुक्त वाराणसी मण्डल द्वारा बी0 डी0 ओ0 की तैनाती खण्ड विकास अधिकारी के पद पर जनपद जौनपुर में की गई, जहां वह कार्यरत है। जिला वाराणसी में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर रिक्त उपलब्ध न होने के कारण तैनाती में कुछ विलम्ब हुआ।

ब्लाक आराजी लाइन, जिला वाराणसी के बी0 डी0 ओ0 का स्थानान्तरण

19–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक आराजी लाइन, जिला वाराणसी के बी0 डी0 ओ0 अक्तूबर, 80 में ब्लाक चकिया से ट्रांस्फर होकर आयी थीं? क्या यह सही है कि जुलाई, 81 में उक्त बी0 डी0 ओ0 का ट्रांस्फर सेवापुरी में किया गया और कुछ दिन के अन्दर पुनः आराई ब्लाक, वाराणसी में सी0 डी0 ओ0 किया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

स्थानान्तरण जिलाधिकारी के आदेश से प्रशासनिक कारणों से किया गया है न कि सी0 डी0 ओ0 द्वारा।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के पशुधन विकास अधिकारी एवं जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों पर नियुक्तियां

20–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में 31-10-81 को कितने पशुधन विकास अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं ? इनमें से कितने की जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों पर नियुक्तियां की गई हैं? यदि नियुक्तियां कोटे से कम हैं तो क्या कोटे का ध्यान रखकर इनकी उक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानुप्रताप सिंह–

दिनांक 31-10-81 को 10 पशुधन विकास अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। इनमें से केवल एक जिलास्तरीय पशु चिकित्सालय पर पदस्थ है। जिलास्तरीय पशु-चिकित्सालय पर पद स्थापना हेतु कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

21–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बस्ती जनपद के पशु सेवा केन्द्र के भवन निर्माण पर विचार

22–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान समय में जनपद बस्ती के 45 पशु सेवा केन्द्र ऐसे हैं जहां भवन नहीं है जिस कारण इन सेवा केन्द्रों का संचालन सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन भवनविहीन पशु सेवा केन्द्रों हेतु शीघ्र कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री भानुप्रताप सिंह–

बस्ती जनपद में 46 पशु सेवा केन्द्र ऐसे हैं जहां विभागीय भवनों की व्यवस्था नहीं है, और यह किराये के भवनों में कार्यरत हैं। भविष्य में वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार ही इन केन्द्रों के विभागीय भवन निर्माण पर विचार सम्भव होगा।

ब्लाक पिंडरा व बड़ागांव, जिला वाराणसी में प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल के भवनों का निर्माण

23–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि ब्लाक पिंडरा व बड़ागांव, जिला वाराणसी के कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों की इमारतों को बनाने का बजट ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वाराणसी को सन् 78-79, 79-80 एवं 80-81 में दिया गया है क्या वे इमारतें बना दी गयीं और क्या यह सत्य है कि प्रा0 पा0 चितौरा व जूनियर हाईस्कूल हिरामनपुर, ब्लाक पिंडरा की भी इमारत उसमें है? यदि हां, तो अब तक उन्हें बनाए न जाने के कारण क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्ष 1978-79 में विकास खण्ड बड़ा गांव में एक प्राइमरी पाठशाला भवन तथा विकास खंड पिंडरा में एक जूनियर हाई स्कूल भवन हिरामनपुर के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा वाराणसी को बजट प्राप्त हुआ था। इन भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मन्द प्रगति का कारण सीमेन्ट का अभाव रहा है। वर्ष 1979-80 एवं 80-81 में भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ।

प्राइमरी पाठशाला भवन चितौरा का निर्माण कार्य वर्ष 81-82 में निर्माण कार्य हेतु प्राप्त भवनों की सूची में है, जिसके निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

24–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, खण्ड विकास अधिकारी, सरदार नगर के विरुद्ध कौन-कौन आरोप माह जून, 1981 से अब तक स्थानीय अधिकारियों व सरकार के पास प्रश्नकर्ता व जनता ने भेजा है ? शिकायती-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर, गोरखपुर के विरुद्ध जून 1981 से अब तक सर्वश्री फिरंगी प्रसाद विधायक बटेश्वर नाथ दुबे व राम प्रसाद दुबे की शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों के आधार पर जांच अग्रसर है।

जिला परिषद्, शाहजहांपुर के कनिष्ठतम अस्थाई कर समाहर्ताओं की समाप्त सेवायें

25–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि श्री राम शरन लाल (हरिजन) तथा श्री हरद्वारी लाल आदि चार कर समाहर्ता (टैक्स कलेक्टर) जिला परिषद शाहजहांपुर जिनकी सेवायें सात से आठ वर्ष तक की थीं तथा उगाही (कलेक्शन) कार्य में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे हैं की सेवायें मार्च सन् 81 में क्यों तथा किस कारण समाप्त की गयी हैं, जबकि इनसे कनिष्ठ समाहर्ता जिनकी उगाही भी सदैव शोचनीय रही है अभी सेवा में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त टैक्स कलेक्टर्स की सेवायें पुनः बहाल करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जिला परिषद्, शाहजहांपुर के कनिष्ठतम अस्थायी कर समाहर्ताओं सर्वश्री राम सरन लाल, हरद्वारी लाल, अवनीश चन्द्र तथा कृष्ण मुरारी दीक्षित की सेवायें परिषद् द्वारा गत वर्ष मार्च/अप्रैल, 1981 में खराब वसूली तथा चेतावनी दिए जाने पर भी सुधार न होने के कारण समाप्त की गयी थी । उनमें से एक कर समाहर्ता श्री अवनीश चन्द्र मिश्र की अपील मंडलायुक्त के विचाराधीन होने तथा शेष तीन के मामले माननीय उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा अधिकरण उत्तर प्रदेश के विचाराधीन होने के कारण उनकी बहाली शासन द्वारा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

लिपिक संवर्ग में भर्ती के लिए अधिकतम आयु का प्रतिबन्ध तथा ए0 डी0 एम0 (डी0), जनपद फैजाबाद द्वारा की गयी नियुक्ति का आधार

26–श्री राम करन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिपिक संवर्ग में भर्ती के लिए अधिकतम आयु का भी प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो ए0डी0एम0 (डी0), जनपद फैजाबाद ने किसी गैर जिले के अभ्यर्थी को बिना विकलांग एवं अनुसूचित जाति का कोटा देखे सितम्बर मास 1981 में सीधी भर्ती की है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, नियुक्ति हेतु आयु का प्रतिबन्ध है ।

ए0 डी0 एम0 (डी0) जनपद फैजाबाद ने कार्य के हित में तथा तत्काल विकलांग एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण जनपद फैजाबाद के ही निवासी श्री राम कुमार की नियुक्ति केवल एक माह के लिए की थी । 10-12-81 को चयन समिति के माध्यम से अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उसकी नियुक्ति कर दी गयी तथा अल्प अवधि के पश्चात श्री राम कुमार की सेवायें समाप्त कर दी गई अतः उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास अभिकरण, इटावा में स्वीकृत सहयोगी पद पर भर्ती

27–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम्य विकास अभिकरण इटावा में स्वीकृत सहयोगी के 2 पदों पर शासनादेश संख्या 100 एस0 सर0/2-बी/316-1964, दिनांक 15-3-65 के अनुसार अनुसूचित जाति का एक पद आरक्षित था ? क्या उक्त शासनादेश में दिए गए रोस्टर के अनुसार भर्ती हुई थी?

श्री बलराम सिंह यादव–

संदर्भित शासनादेश राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति से संबंधित है । ग्राम्य विकास अभिकरण स्वायत्तशासी संस्थायें हैं ।

श्री सुग्रीव सिंह (हरिजन) की बहाली के आदेश

28–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या श्री सुग्रीव सिंह (हरिजन) की नियुक्ति जो नियमित हुई थी को सेवा से पृथक कर दिया गया ? क्या ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री सुग्रीव सिंह को बहाली के कोई आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई थी । श्री बैजनाथ के पुनः सेवा में पदारूढ़ होने पर श्री सुग्रीव सिंह को अभिकरण की सेवा से पृथक कर दिया गया तथा उनकी नियुक्ति वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के कार्यालय में कर दी गयी है ।

जिला विकास अधिकारी, इटावा के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

29—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विकास अधिकारी, इटावा के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है तथा स्वीपर-कम-चौकीदार के कितने पद स्वीकृत हैं उनमें कितने कर्मचारी स्वीपर जाति के अतिरिक्त अन्य जाति के कार्यरत हैं और क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जिला विकास अधिकारी इटावा के अधीन कार्यरत स्वीपर-कम-चौकीदार के 14 पद स्वीकृत हैं तथा 13 स्वीपर जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं एक कर्मचारी केवल अन्य जाति का कार्यरत है ।

श्री धनेश्वर गुप्त ग्राम सेवक के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

30—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धनेश्वर गुप्त ग्राम सेवक के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 1-10-80 के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री धनेश्वर गुप्त ग्राम सेवक के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 1-10-80 के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ को नहीं प्राप्त हुआ है अतः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरैया-अबांब सम्पर्क मार्ग के अनियमित निर्माण से संबंधित प्रार्थना-पत्र

31—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरैया-अबांब सम्पर्क मार्ग के अनियमित निर्माण से संबंधित ग्राम सभा बस्ती, विकास खंड सठियांव, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का पत्र दिनांक 11-10-80 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-10-80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, नागरिकों का प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-10-80 माननीय विधायक के पत्र दिनांक 14-10-80 के साथ प्राप्त हुआ था । सम्पर्क मार्ग की भूमि के संबंध में दो पक्षों में विवाद होने के कारण पैमाइश कराकर विवाद हल कराने का प्रयास किया गया परन्तु इस पर भी सहमति नहीं हो सकी । एक पक्ष ने इसी मामले में परगनाधिकारी मुहम्मदाबाद के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है । इस कारण कार्य नहीं हो पा रहा है ।

अजमतगढ़ में शराब की दुकान हटाए जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

32—श्री पंचानन राय—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया अजमतगढ़ (आजमगढ़) में स्थित शराब की दुकान को मुख्य बाजार से हटाए जाने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 21-11-80 जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गोवर्द्धन तिवारी–

जिलाधिकारी आजमगढ़ ने सूचित किया है कि टाउन एरिया अजमतगढ़ में स्थित शराब की दूकान को मुख्य बाजार से हटाने के संबंध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 21-11-80 प्राप्त नहीं प्रतीत होता परन्तु यह तथ्य है कि अजमतगढ़ शराब की दूकान अन्यत्र हटाने के विषय में जनप्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ से वर्तमान सत्र में मई, 1981 में मांग की गयी थी। चूंकि उक्त दूकान कई वर्षों से इसी चौहद्दी पर चली आ रही है अतः वार्षिक नीलाम के उपरान्त वर्तमान सत्र में उस दूकान को अन्य स्थानान्तरित करना व्यवहारिक नहीं है ।

रौनापार नैनीजार सड़क पर काम किए हुए हरिजनों की मजदूरी न मिलने संबंधी शिकायती-पत्र

33–श्री पंचानन राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् द्वारा निर्मित रौनापार नैनीजार सड़क पर काम किए हुए हरिजनों की मजदूरी न मिलने से संबंधित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 81 के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

यह मामला शासन के विचाराधीन है और शीघ्र ही भुगतान हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ग्राम सैदपुर भितरी, जिला फैजाबाद के हरिजनों हेतु कालोनी निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि तथा जांचोपरांत दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

34–श्री भोला पाण्डेय तथा श्री प्रियदर्शी जेतली–

1980 के प्रथम सत्र के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कालोनी के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या वह धन पूरा नहीं खर्च किया गया ? दो मकान जो खराब बने हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्ष 1977-78 में ग्राम-सैदपुर भितरी, तहसील अकबरपुर जिला–फैजाबाद के हरिजनों हेतु कालोनी निर्माण के लिए निम्नांकित धनराशि उपलब्ध कराई गई ।

	रुपया
1–बैंक आफ बड़ौदा से ऋण	19,000.00
2–शासन द्वारा अनुदान	31,000.00
3–अंशदान (चन्दा)	1,000.00
कुल योग :	51,000.00

जी हां । यह धन पूरा नहीं खर्च हुआ है।

जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) द्वारा किये गये निरीक्षण के मौके पर निर्मित किये गये दो मकान टपकते हुए पाये गये । जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फैजाबाद को जांच के उपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं तथा जांच की कार्यवाही अभी चल रही है ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

35—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन विधायक डा0 अश्विनी कुमार चतुर्वेदी द्वारा चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में दिनांक 22 मई, 1979 को विधान सभा में प्रस्तुत काम रोको प्रस्ताव में संबंधित दस्तावेज की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच से क्या निष्कर्ष निकला ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जांच पूरी नहीं हुई है।

जनपद फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निलम्बित/पदावनत किये गये अधिकारी/कर्मचारी

36—श्री रामकरन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 1979-80 एवं 1980-81 में कुछ कर्मचारी निलम्बित/पदावनत किये गये थे जिनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही जांच अधिकारी स्तर से पूर्ण हो चुकी है तथा कई महीनों से उन्हें ए0 डी0 एम0 (डी0) स्तर पर लम्बित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद फैजाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 79-80 व 80-81 में तीन अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किये गये थे तथा एक अधिकारी निलम्बित तथा प्रत्यावर्तित किया गया था । इनमें से एक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा तीन के संबंध में अभी जांच आख्या जांच अधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है। यह सही नहीं है कि ए0 डी0 एम0 (डी0) के स्तर पर कोई जांच आख्या या कार्यवाही लम्बित है ।

बांगरमऊ (उन्नाव), सहकारी दुग्ध डेरी की स्थापना तथा उससे आय तथा व्यय

37—श्री भीखा लाल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में कस्बा बांगरमऊ में सहकारी दुग्ध डेरी की स्थापना कब की गई थी और उस पर कितना धन व्यय किया गया और उस डेरी में उस समय से अब तक प्रति वर्ष कितनी आय हुई ? क्या यह सही है कि उक्त डेरी कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसको पुनः चालू कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

श्री भानुप्रताप सिंह—

बांगरमऊ सहकारी दुग्ध डेरी की स्थापना दिसम्बर, 1976 में की गई । उस पर 9.675 लाख रुपये व्यय किया गया । डेरी में हुई आय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय
1976-77	1,10,078.80
1977-78	2,58,384.97
1978-79	65,051.00
1979-80	44,880.00
1980-81	77,933.09

जी नहीं । यह डेरी कुछ माह के लिए वर्ष 1978 तथा सितम्बर, 1979 से दिसम्बर, 1980 तक बन्द रही । जनवरी, 1980 से डेरी पुनः चालू कर दी गई है ।

श्री आनन्द किशोर अग्रवाल लेखाकार, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन, शाखा मेरठ की भविष्य निधि तथा बढ़े हुए वेतन का भुगतान

38—श्री धनीराम वर्मा—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आनन्द किशोर अग्रवाल, लेखाकार प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन शाखा, मेरठ ने 19 अप्रैल, 1976 को अपने पद से त्यागपत्र देकर सेवा मुक्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या श्री अग्रवाल को भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी एवं बोनस तथा बढ़े हुए वेतन आदि की समस्त धनराशि दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जी हां ।

भविष्य निधि का भुगतान दिनांक 16-10-79 एवं 23-7-81 को किया गया । बढ़े हुए वेतन का भुगतान दिनांक 18-1-82 को किया गया । ग्रेच्यूटी तथा बोनस नियमानुसार देय नहीं है ।

सलेमपुर, जिला देवरिया में अनधिकृत गुमटियों को हटाने के आदेश

39—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री मोहर राम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सलेमपुर, जिला देवरिया की मकान व दुकान को दिनांक 10-5-81 को परगनाधिकारी, सलेमपुर ने गिरवा दिया तथा उन्हें जेल भेजवा दिया ? यदि हां, तो मकान व दुकान गिराने का आदेश जिला परिषद, देवरिया ने कब दिया था ? यदि नहीं, तो किसके आदेश से दुकान गिरायी गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री मोहर राम सहित अन्य अनाधिकृत गुमटियों को हटवाया गया था जिनसे सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हो रहा था । अशान्ति का वातावरण उत्पन्न करने के आरोप पर श्री मोहर राम को गिरफ्तार किया गया । गुमटियों को जिला परिषद की सहमति से तहसीलदार के आदेशों से हटाया गया ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में कांजी हाउस खोलने पर विचार

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई कांजी हाउस नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम में कांजी हाउस खोलने पर विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

इस ग्राम में कांजी हाउस खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

जनपद बांदा में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा सम्पन्न किये गए जल सर्वेक्षण

41—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि बांदा जनपद में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 78-79, 79-80, 80-81, 81-82 में किन-किन स्थानों पर जल सर्वेक्षण किया है?

श्री बलराम सिंह यादव—

बांदा जनपद में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के डी0पी0ए0पी0 खंड ने 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में जिन-जिन स्थानों पर जल सर्वेक्षण किया है उसका विवरण† संलग्न है ।

†छापा नहीं गया।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में चलाई जा रही चावल मिल योजना में रिक्त पद तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग

42—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चावल मिल उद्योग के विकास हेतु वर्ष 1975 से चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में चलाई जा रही चावल मिल योजना में स्वीकृत अनेकों पद रिक्त पड़े हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय सहायता का उपयोग भी नहीं हो सका एवं अब चावल मिल योजना को कानपुर से अन्यत्र हटाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय सहायता का उपयोग कुछ रिक्त पदों के वेतन के मद को छोड़ कर अन्य मदों में हो रहा है।

चावल मिल योजना को कानपुर से अन्यत्र हटाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

43—श्री हरवंश सहाय तथा श्री कुबेर भण्डारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद जौनपुर, विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के नाले पर पुल का निर्माण

44—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जमआरी के नाले पर पुल कब और किस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन था? क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय अधिकारियों की लापरवाही और गोलमाल के कारण इस पुल का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया? क्या जनहित में सरकार इस पुल का शीघ्र निर्माण करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

45—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जौनपुर जनपद के विकास खण्ड कर्मचारियों हेतु आवास सुविधा पर विचार

46—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के किन-किन विकास खण्डों में उनके कर्मचारियों के लिए वर्तमान समय में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार इनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, जौनपुर जनपद के 6 विकास खण्डों (बरसठी, रामनगर, खुटहन, मुफ्तीगंज, सुजानगंज तथा महराजगंज) में कर्मचारियों के लिए वर्तमान समय में आवासीय भवन अभी नहीं बने हैं।

आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर शासन इस संबंध में विचार करेगा।

जिला परिषद्, हरदोई में किराये पर उठे आवासीय भवन

47—श्री हरीशंकर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद् हरदोई के कितने आवासीय भवन किराये पर उठे हैं तथा उनका वार्षिक किराया क्या है? उक्त भवनों का कुल कितना किराया बकाया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव–

कुल 38 आवासीय भवन किराये पर उठे हैं तथा उनका वार्षिक किराया रु0 27,236-40 है। दिसम्बर, 1981 तक इन भवनों के किरायेदारों पर कुल रु0 54,856-53 किराया बकाया है, जिसकी वसूली परिषद् द्वारा संभव न होने पर कुल इस धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु रु0 37,548-47 के रिकवरी प्रमाण-पत्र माह सितम्बर, 1981 तक जारी किए गए तथा 13 किरायेदारों के विरुद्ध रु0 27,880-50 की वसूली एवं भवनों की बेदखली हेतु नियमानुसार विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिए गये हैं।

भूतपूर्व जिला पशुधन अधिकारी, वाराणसी को पेंशन

48–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि डा0 आर0 एन0 गोयल, भू0 पू0 जिला पशुधन अधिकारी, वाराणसी को एक वर्ष से ज्यादा रिटायर हुए हो गया है अभी तक पेंशन क्यों नहीं दी गयी? ऐसा क्यों?

श्री भानुप्रताप सिंह–

डा0 आर0 एन0 गोयल नाम का कोई भी अधिकारी जिला पशुधन अधिकारी, वाराणसी के पद से सेवानिवृत्त नहीं हुआ है।

49–श्री रियासत हुसैन–

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

50–श्री बलवीर सिंह–

[18-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 द्वारा उत्तरित]

लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गये आबकारी निरीक्षक का स्थायीकरण

51–श्री पन्ने लाल–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1972 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये हुए आबकारी निरीक्षक का स्थायीकरण अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों? इन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा?

श्री गोवर्धन तिवारी–

जी हां।

वर्ष 1972 बैच के आबकारी निरीक्षकों का स्थायीकरण निम्नलिखित कारणों से अभी तक नहीं किया जा सका है:–

(1) विभाग में लिपिक/ताड़ी पर्यवेक्षक सम्वर्ग में तदर्थ रूप से प्रोन्नत किये गये आबकारी निरीक्षकों का अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा होना है, जो विचाराधीन है।

(2) इनमें से बहुत से आबकारी निरीक्षक, वर्ष 1972 के पूर्व से ही आबकारी निरीक्षक पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं इनके संबंध में भी निर्णय लेना आवश्यक है। लिपिक एवं ताड़ी पर्वेक्षक संवर्ग से प्रोन्नत आबकारी निरीक्षक के लोकसेवा आयोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात् वर्ष 1972 में लोकसेवा आयोग द्वारा चयन किए गए आबकारी निरीक्षकों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव, सहायक आबकारी आयुक्त की लखनऊ में नियुक्ति तथा निवास स्थान

52–श्री पन्ने लाल–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव, सहायक आबकारी आयुक्त विगत दस वर्षों से लखनऊ में नियुक्त हैं क्या उनका निवास स्थान भी लखनऊ में है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गोवर्धन तिवारी--

जी नहीं। श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव सहायक आबकारी आयुक्त, लखनऊ जनपद में 2-9-76 से 30-3-79 तक सहायक आबकारी आयुक्त मोहन मीकिन डिस्टिलरी, लखनऊ के पद पर नियुक्त थे तद्पश्चात् श्री श्रीवास्तव 31-3-79 से सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ जनपद के पद पर कार्यरत हैं। श्री श्रीवास्तव का निवास स्थान सीतापुर जनपद में है।

श्री राम नारायण सिंह, सरपंच, न्याय पंचायत मंगारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग तथा जांच

53–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालत पंचायत मंगारी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के अदालत सरपंच राज नारायण सिंह के बारे में शासन के आदेश से ता0 21-11-81 को सी0डी0ओ0, वाराणसी के यहां से श्री नन्दूराम पंचायत उद्योग इंचार्ज वाराणसी ने जांच किया है और लोगों का बयान भी लिया है? यदि हां, तो क्या शासन को रिपोर्ट प्राप्त हो गयी, वह क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। श्री नन्दूराम, पंचायत उद्योग इन्चार्ज ने जांच किया और लोगों का बयान भी लिया। जांच रिपोर्ट संबंधित परगनाधिकारी को कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री रामनारायण सिंह, सरपंच, न्याय पंचायत मंगारी को अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया।

श्री बांके लाल द्वारा सेवाओं की समाप्ति से सम्बन्धित उच्च न्यायालय में दायर याचिका

54–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जबकि सात कर्मचारी कनिष्ठ थे तो श्री बांके लाल की सेवायें समाप्त की गयीं? और इसके लिए तत्कालीन कार्यालय सहायक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? और क्या श्री लाल की अपील पर निर्णय लेकर सितम्बर, 75 से जुलाई, 1981 तक के वेतन भुगतान, स्थायीकरण तथा पदोन्नति का आदेश पारित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार श्री लाल की अपील पर निर्णय करेगी? यदि हां, तो कब तक? क्या यह भी सत्य है कि उप कृषि निदेशक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ने श्री लाल की अपील पर निर्णय न करने के प्रयोजन से प्रश्नकर्ता को 25-8-81 को असत्य सूचना प्रेषित किया है कि अपील पर आख्या उपलब्ध नहीं है जबकि परियोजना अधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 21-8-81 को ही आख्या प्रेषित कर दिया था?

श्री भानुप्रताप सिंह--

श्री बांके लाल द्वारा इस संबंध में एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर है जिस पर न्यायालय का निर्णय अपेक्षित है। इनको 18-2-81 को पुनः नियुक्त किया जा चुका है। इनके मामले में अब अन्य कोई कार्यवाही न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बाद ही किया जाना उपयुक्त होगा।

परियोजना अधिकारी गोरखपुर की पूरक आख्या दिनांक 21-8-81 उप कृषि निदेशक गोरखपुर के यहां दिनांक 26-8-81 को प्राप्त कराई गई और इसी कारण माननीय विधायक को उक्त आख्या की सूचना प्राप्त न होने की बात उप कृषि निदेशक द्वारा कही गई।

बांदा जनपद में चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का कैम्प्स खोले जाने का प्रस्ताव

55–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन के समक्ष बांदा जनपद में चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय का कोई कैम्प्स खोले जाने का प्रस्ताव वर्तमान समय में विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्री भानुप्रताप सिंह–

वर्तमान समय में चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वद्यालय कानपुर का बांदा जनपद में कोई कैम्प्स खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परियोजना अधिकारी, कृषि, जनपद बस्ती के कार्यालय में सहायक कृषि निरीक्षक बस्ती सदर व खलीलाबाद के विरुद्ध आरोपित तथ्यों की जांच तथा निलम्बन

56–श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के भूतपूर्व परियोजना अधिकारी, कृषि, श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह के कार्यकाल 12-7-77 से 6-5-78 की अवधि में राजकीय कृषि बीज भंडार बस्ती सदर एवं खलीलाबाद में कौन सहायक कृषि निरीक्षक कार्यरत था? क्या यह सही है कि उक्त समय से सम्बन्धित दोनों सहायक कृषि निरीक्षकों द्वारा उर्वरक एवं बीज की ढुलाई एवं पल्लेदारी के बिल में अधिक भुगतान करके कितने धनराशि की क्षति शासन को पहुंचायी गयी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त भुगतान के मामले में दोनों प्रभारियों को माह जून, 1979 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो दोनों प्रभारियों के विरुद्ध कितने धनराशि के गबन एवं विनियोग का आरोप लगाया गया है? क्या उक्त दोनों प्रभारियों के विरूद्ध आरोपित तथ्यों एवं उप कृषि निदेशक, गोरखपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट से माननीय मंत्री महोदय सदन को अवगत करायेंगे?

श्री भानुप्रताप सिंह–

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह परियोजनाधिकारी, कृषि, बस्ती के कार्यालय में बीज भण्डार बस्ती सदर के सहायक कृषि निरीक्षक के पद पर श्री फतेह बहादुर सिंह बघेल तथा खलीलाबाद बीज भण्डार पर श्री रामदेव सिंह कार्यरत थे। बस्ती सदर के प्रभारी श्री फतेह बहादुर सिंह बघेल को ढुलाई एवं पल्लेदारी का अधिक भुगतान करके तथा अन्य अनियमिततायें करके रु0 41736.37 तथा खलीलाबाद के प्रभारी श्री रामदेव सिंह को रु0 27167.35 के शासकीय क्षति और दुर्विनियोग करने के लिये आरोपित किया गया। दोनों प्रभारियों को इस सम्बन्ध में दिनांक 6-6-79 को निलम्बित किया गया था।

श्री फतेह बहादुर सिंह बघेल के विरुद्ध कुल 10 आरोप लगाये गये थे, जिनकी श्री शहजाद सिंह, उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा जांच की गयी और पांच आरोपों की पुष्टि हुयी, शेष आरोप सिद्ध नहीं हुए । इसी प्रकार श्री रामदेव सिंह के विरुद्ध 14 आरोप लगाये गये थे जिनकी जांच श्री शहजाद सिंह उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा की गई और उनकी आख्या के अनुसार किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

57–श्री कुबेर भण्डारी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मत्स्य निदेशालय, लखनऊ में वर्तमान उप निदेशक मत्स्य परियोजना तथा सहायक लेखाधिकारी का स्थानान्तरण न होने का कारण

58–श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी–

क्या पशुधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मत्स्य निदेशालय, लखनऊ में कौन-कौन अधिकारी (उप निदेशक, मत्स्य, नियोजन तथा लेखाधिकारी) दिनांक

25-3-78 से विगत पांच वर्षों से अधिक से लखनऊ में कार्यरत हैं ? इनकी इस लम्बी अवधि तक लखनऊ में ही रहने का क्या कारण है क्या तत्कालीन मंत्री तथा कृषि उत्पादन आयुक्त ने इन्हें हटाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उनको अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

श्री भानुप्रताप सिंह–

मत्स्य निदेशालय लखनऊ में वर्तमान उप निदेशक मत्स्य परियोजना श्री के0डी0 पाण्डेय तथा सहायक लेखाधिकारी श्री जी0 एस0 टण्डन, विगत पांच वर्षों से अधिक से, लखनऊ में कार्यरत हैं।

उप निदेशक (परियोजना) श्री के0 डी0 पाण्डेय इससे पहले उप निदेशक मत्स्य नियोजन के पद पर और उससे पहले सहायक निदेशक मत्स्य नियोजन के पद पर कार्यरत थे। इस समय यह अधिकारी उप निदेशक (परियोजना) के कार्य के अतिरिक्त उप निदेशक (नियोजन) का कार्य भी देख रहे हैं। उप निदेशक परियोजना विश्व बैंक मत्स्य परियोजना के समन्वित कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना इकाई के प्रभारी अधिकारी के रूप में उत्तरदायी हैं। शासन द्वारा मत्स्य क्षेत्र में जो विकास योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं उनके कार्य हेतु उप निदेशक (नियोजन) का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों पदों पर जो कार्य हैं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और कार्य निर्वहन के लिये नियोजन, मूल्यांकन और बजटिंग में विशेष योग्यता, दक्षता एवं सक्षमता की आवश्यकता है। श्री के0 डी0 पाण्डेय नियोजन प्रक्रिया, परियोजना निर्माण एवं मूल्यांकन और परफारमेन्स बजटिंग के विषयों में प्रशिक्षित कराये गये हैं और आधुनिक अन्तर्स्थलीय मत्स्य तकनीकों पर उन्होंने चीन में भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विश्व बैंक मत्स्य परियोजना जिसके कार्यान्वयन से, प्रदेश का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबिम्ब प्रभावित होगा और शासन द्वारा प्रारम्भ किये गये वृहद् विकास कार्यक्रमों के सक्षम कार्य निष्पादन की दृष्टि से, विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, श्री के0 डी0 पाण्डेय का स्थानान्तरण जनहित में उचित नहीं समझा गया।

वर्तमान सहायक लेखाधिकारी श्री जी0 एस0 टण्डन द्वारा दिनांक 9-10-75 से वित्त विभाग द्वारा गठित सहायक लेखा अधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित न होने का विकल्प दिया गया था और इस कारण नियमानुसार उन्हें मत्स्य निदेशालय में एक मात्र सहायक लेखाधिकारी के पद से स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं रहा है।

तत्कालीन राज्य मंत्री जी एवं कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा वर्ष 78 में यह निर्णय लिया गया था कि श्री के0 डी0 पाण्डेय के स्थानान्तरण पर अप्रैल, 79 में विचार किया जायगा, परन्तु प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

59–श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद बरेली में खाद्यान योजना के अन्तर्गत बने मार्गों पर मरम्मत व रख रखाव हेतु आवंटित धनराशि

60–श्री जयदीप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में जो खडंजे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा काम के बदले खाद्यान योजना के अन्तर्गत बने मार्गों पर 1 मार्च, 1980 से 1 दिसम्बर, 1981 तक लगाये गये हैं उनकी मरम्मत एवं रख रखाव हेतु कोई धन शासन द्वारा आवंटित किया गया है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक जलालपुर तथा मियांव में खाद्यान योजनान्तर्गत बनी सड़कें तथा व्यय हुई धनराशि

61—श्री शेर बहादुर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के ब्लाक जलालपुर तथा मियांव में सन् 1977-78, 1978-79, 1979-80 में खाद्यान योजना में कौन-कौन सी सड़कें बनीं उनकी लम्बाई क्या है तथा उन पर अलग-अलग कितना धन लगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

62-63—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित ।]

श्री ओम प्रकाश शर्मा कनिष्ठ लिपिक सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र बरेली के समस्त बकाया वेतन के भुगतान के आदेश

64—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 23-7-73 को मुन्सिफ महावन, मथुरा तथा दिनांक 17-1-79 को लोक सेवा अधिकरण 3, द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, बरेली के समस्त बकाया वेतन के भुगतान के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इनके दिनांक 21-12-71 से दिनांक 14-11-79 तक के बकाये का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री भानुप्रताप सिंह—

उक्त दोनों न्यायालयों ने श्री शर्मा के वेतन भुगतान के विषय में श्री शर्मा के पक्ष में निर्णय लिया था।

जी नहीं । भुगतान के संबंध में कृषि निदेशक ने कुछ विशिष्ठ बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन हेतु मामला शासन को सन्दर्भित किया था जिस पर विचार कर इनका बकाया भुगतान करने के आदेश कृषि निदेशक को दे दिये गये हैं।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज में निर्माण योजनायें

65—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज में कई स्थलों पर पुलिया तथा ग्रामीण अंचलों में खड़ंजा लगाने हेतु सारी योजना का प्रारूप अन्तिम रूप से पास करके जिला विकास अधिकारी के पास भेजे जा चुके हैं? और काफी दिनों से लम्बित हैं? यदि हां, तो उसका कारण क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खण्ड जहानागंज जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 20 निर्माण योजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 4 सम्पर्क मार्गों पर पुलिया निर्माण 12 ग्रामों में खड़ंजा/सोलिंग निर्माण कार्य सम्मिलित थे । जिला स्टीयरिंग कमेटी की दिनांक 26 सितम्बर, 1981 की बैठक में 3 सोलिंग खड़ंजा लगाने की योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिन पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को कार्य-आदेश दिये जा चुके हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के ग्राम्य विकास के अन्तर्गत नई सड़कों का निर्माण

66—श्री बलबीर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जिले अनुसार कुल कितनी नई सड़कों का निर्माण वर्ष 1980-81 में किया गया और कितनी सड़कों का निर्माण शासन के विचाराधीन है?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद बस्ती के भूतपूर्व परियोजना अधिकारी श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

67—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री कुबेर भण्डारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के भूतपूर्व परियोजना अधिकारी (श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह) के कार्यकाल 12-7-77 से 6-5-78 की अवधि का सम्प्रेक्षण निदेशालय सम्प्रेक्षण टोली द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि की अनियमितता प्रकाश में आई है ? क्या यह सही है कि 12-7-77 से 6-5-78 की अवधि का उर्वरक बीज सम्बन्धी ढुलाई के बिल एवं वाउचर्स का सम्प्रेक्षण जो भारी घोटाले से संबंधित है, नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसका पुनः सम्प्रेक्षण कराया जायेगा?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जनपद बस्ती के भूतपूर्व परियोजना अधिकारी (श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह) के कार्यकाल 12-7-77 से 5-5-78 की अवधि का सम्प्रेक्षण निदेशालय सम्प्रेक्षण बरेली द्वारा कराया गया था जिसमें रु0 2,01, 886·42 की वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आई है। उक्त अवधि के उर्वरक, बीज सम्बन्धी ढुलाई के बिल एवं वाउचर्स का सम्प्रेक्षण अभी नहीं किया गया है। इनके सम्प्रेक्षण के लिये उप कृषि निदेशक गोरखपुर को पुनः निर्देशित किया गया है।

जनपद फैजाबाद स्थित ब्लाक अकबरपुर को दो भागों में विभक्त करके नया ब्लाक चन्दनपुर बनाने पर निर्णय

68—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित ब्लाक अकबरपुर, जिसकी आबादी 1,99,815 है, को प्रशासन एवं विकास की दृष्टिकोण से दो भागों में बांट कर चन्दनपुर के नाम से एक नया ब्लाक कायम करने पर विचार कर रहो है? यदि हां, तो कब तक यह आदेश अंतिम रूप से परिणित हो जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड अकबरपुर, फैजाबाद को दो भागों में विभक्त करके एक नये विकास खण्ड चन्दनपुर के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रभारी, राजकीय कृषि बीज भंडार, नौगढ़, जनपद बस्ती का स्थानान्तरण रोकने का कारण

69—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री कुबेर भंडारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि बीज भण्डार, नौगढ़, जनपद बस्ती के वर्तमान प्रभारी का स्थानान्तरण शासन के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उप-निदेशक, कृषि, गोरखपुर ने शासन के स्थानान्तरण नीति की खुली अवहेलना करके सम्बन्धित प्रभारी का स्थानान्तरण अपने पत्रांक 220-22, दिनांक 9-9-81 द्वारा रोक दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह–

प्रभारी, राजकीय कृषि बीज भण्डार, नौगढ़, जिला बस्ती का स्थानान्तरण उप-निदेशक, गोरखपुर द्वारा 26-6-81 को किया गया है। तत्पश्चात् संबंधित कर्मचारी ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रतिवेदन दिया जिसके आधार पर स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन 31-3-82 तक स्थगित कर दिया गया।

जनपद बस्ती के प्रभारी, बीज भंडार नौगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

70–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री कुबेर भंडारी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20-8-81 से 31-8-81 के बीच श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, विधायक, क्षेत्र नौगढ़, जनपद बस्ती ने स्थानान्तरित प्रभारी बीज भण्डार, नौगढ़, बस्ती के फरार होने, चार्ज न देने, कृषकों को नुकसान पहुंचाने एवं गोदाम में भारी गबन की सूचना तार एवं उसकी पुष्टीकरण प्रति के माध्यम से शासन एवं प्रशासन को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानुप्रताप सिंह–

जी हां।

जांच की गई। आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

जनपद फैजाबाद के जिलाधीश द्वारा प्रेस को दिये गये आदेश

71–श्री उदल–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद के जिलाधीश ने एक आदेश सभी प्रेस को भेजा है कि बिला उनकी आज्ञा से कोई समाचार या चित्र प्रकाशनार्थ अखबारों को न भेजा जाय? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या यह सही है कि इस आदेश के खिलाफ जर्नलिस्ट एशोसियेशन ने 7 दिसम्बर, 81 को प्रस्ताव पारित करके निन्दा की है? इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री काशीनाथ मिश्र–

जिलाधीश, फैजाबाद ने ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया है। जर्नलिस्ट एसोसियेशन द्वारा पारित प्रस्ताव की कोई जानकारी शासन अथवा जिलाधीश, फैजाबाद को नहीं है।

72–श्री सरदार सिंह–

[4थे सोमवार के लिए स्थगित।]

प्रबन्ध निदेशक द्वारा सचिव एग्रो से स्पष्टीकरण

73–श्री राम लाल वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री पाठक से कब स्पष्टीकरण मांगा गया तथा उसका उनके द्वारा कब व क्या उत्तर दिया गया?

श्री भानुप्रताप सिंह–

श्री के0 एन0 पाठक, सचिव एग्रो से प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 16-6-1979 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा। श्री पाठक ने यह बात स्पष्ट की कि उन्होंने कभी भी अपनी सेवा शर्तों को बदलने हेतु कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं डाला व इस सम्बन्ध में उन पर लगाये गये आरोप निराधार हैं।

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के उद्धार के लिये किये गये उपायों का विवरण

74–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ0 प्र0 में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 50 प्रतिशत है ? यदि हां, तो उनके उद्धार के लिए क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं? यदि हां, तो उनके विवरण क्या हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं।

उ0 प्र0 में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। इनके उद्धार के लिए निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:–

1–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना ।

2–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ।

3–सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ।

4–स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान ।

5–ग्रामीण उद्योग के विभिन्न कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि।

आदि।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से भी इन लोगों का उत्थान करने का प्रयास किया जा रहा है।

परगनाधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर द्वारा ग्राम प्रधान का निलम्बन करने के विरुद्ध कार्यवाही

75–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि 29 मार्च, 1981 को जिलाधिकारी, कानपुर ने गांव प्रधान ग्राम औरंगपुर सांझी के विरुद्ध होने वाली जांच परगनाधिकारी बिल्हौर से लेकर श्री नकवी से कराने का आदेश दिया था? क्या यह सही है कि परगनाधिकारी बिल्हौर ने पहली अप्रैल को बिना किसी अपेक्षित विधिक जांच प्रक्रिया के पूरा किये हुए ही गांव प्रधान को निलम्बित करने का आदेश कर दिया ? यदि हां, तो जांच की यथावश्यक विधिक प्रक्रिया के बगैर निलम्बन आदेश करने के दोष पर परगनाधिकारी बिल्हौर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां । परन्तु पहले ही परगनाधिकारी तथा तहसीलदार ने मौके पर जाकर जांच कर ली थी और परगनाधिकारी ने तदनुसार निलम्बन आदेश पारित कर दिए थे। परगनाधिकारी बिल्हौर द्वारा पारित उक्त निलम्बन आदेश एक न्यायिक आदेश है जिसके विरुद्ध ग्राम प्रधान द्वारा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के न्यायालय में पिटीशन दायर कर दिया गया है जो कि अभी विचाराधीन है। अतः परगनाधिकारी बिल्हौर के विरुद्ध किसी कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बी0 डी0 ओ0, परसपुर ब्लाक, जिला गोंडा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

76–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जैराज गौतम, उप मंत्री, राजस्व दिनांक 13 सितम्बर, 1981 को बाढ़ स्थिति का निरीक्षण करने परसपुर ब्लाक, जिला गोण्डा के कार्यालय पर जब गये तो बी0 डी0 ओ0 परसपुर के भ्रष्टाचार की लिखित व मौखिक शिकायतें प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। शिकायतों में लगाये गये आरोप जांच के परिणाम स्वरूप प्रमाणित नहीं पाये गये।

जनपद गाजीपुर के मरदह विकास खण्ड में अपूर्ण कूपों को पूर्ण न कराने में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

77—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 6ठे सोमवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 2 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 12 अपूर्ण कूपों को पूर्ण न कराने के लिए किन-किन ग्राम सेवकों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बारह अपूर्ण कूपों को पूर्ण न कराने का उत्तरदायित्व अभी सम्बन्धित ग्राम सेवकों पर निर्धारित नहीं हो पाया है। इस हेतु अभी जांच की कार्यवाही चल रही है, जिसके पूर्ण होने पर ही उत्तरदायित्व निर्धारित हो पायेगा ।

ग्राम बरडोहा तथा सिवान, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का फसल सुरक्षा से संबंधित पत्र

78—श्री पंचानन राय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम बरडोहा तथा सिवान आदि के नागरिकों का फसल सुरक्षा से सम्बन्धित पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-4-81 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-4-81 कृषि विभाग में संभवतः नहीं प्राप्त हुआ । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा सदस्य श्री राज किशोर राव द्वारा अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, जिलाधिकारी के विरुद्ध शिकायत तथा उसकी जांच

79—श्री मसरूर जाफरी—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री राज किशोर राव, विधान सभा सदस्य, बहराइच ने 3-12-81 को अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, श्री जसवन्त सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार, जिला अधिकारी, बहराइच की शिकायत के सम्बन्ध में पत्र उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

मण्डलायुक्त, फैजाबाद से जांच कराई जा रही है ।

जनपद बस्ती के पशु चिकित्सालयों में आवासीय व्यवस्था की सुविधा

80—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती के कितने पशु चिकित्सालय ऐसे हैं जहां आवासीय व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार उन चिकित्सालयों में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

बस्ती जनपद में 27 पशु चिकित्सालय ऐसे हैं, जहां विभागीय आवासीय भवनों की व्यवस्था नहीं है । भविष्य में वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार ही विभागीय आवासीय भवनों की व्यवस्था पर विचार सम्भव होगा ।

पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास पर विचार

81–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास करना चाहती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

श्री विद्याभूषण–

81 राज्य सरकार पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के पक्ष में है। भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि पर्यटन की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाए। समझा जाता है कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

जिला उन्नाव में आई0 आर0 डी0 स्कीम द्वारा किसानों व हरिजनों में वितरित ऋण का विवरण

82–श्री भीखा लाल–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 आर0 डी0 स्कीम के अधीन विकास खण्ड, औरास, जिला उन्नाव में वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में कितना ऋण हरिजनों तथा लघु सीमान्त कृषकों को बांटा गया ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्षवार हरिजन तथा लघु/सीमान्त कृषकों में वितरित ऋण की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	ऋण की धनराशि (लाख रु0)	लाभान्वित हरिजन तथा लघु/सीमान्त कृषकों की सं0
1979-80	2.025	83
1980-81	1.54	74
1981-82	2.96	126

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1981-82 में 25 परिवारों को 0.79 लाख रु0 का ऋण स्वीकृति करके नियमानुसार वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद इटावा के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवनों की मरम्मत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(11 बजकर 52 मिनट)

*श्री धनीराम वर्मा–

महोदय, हमारे जनपद इटावा में वर्ष 1980-81 में भीषण बाढ़ का प्रकोप रहा है। वर्ष 1981-82 में भी अत्यधिक वर्षा हुई है, जिससे जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अधिकांश प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन या तो गिर गये हैं अथवा क्षतिग्रस्त हो गये हैं। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु धन आवंटित किया था जिसे जनपद के समस्त विधायकों की संस्तुति के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों की मरम्मत हेतु आवंटित कर दिया है। परन्तु क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत अभी तक नहीं हुई है, जिससे अगली वर्षा तक मरम्मत [illegible] हो गया है। जिले के क्षतिग्रस्त भवनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी

खुले आकाश के नीचे बैठ रहे हैं, जिससे शिक्षा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। बहुत से विद्यालयों के भवन तो ऐसे हैं जो मरम्मत के अभाव में अगली बरसात में ध्वस्त हो जायेंगे।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर सरकार से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवनों की मरम्मत अविलम्ब कराये जाने हेतु अनुरोध करता हूं।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी—

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने परीक्षा में नकल को मान्यता दे दिया। विगत वर्षों में जिस परीक्षा केन्द्र के विरुद्ध सामूहिक नकल की सूचना होती थी वहां के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त करके पुनः परीक्षा करायी जाती थी। परन्तु इस वर्ष कुलपति ने आदेश दिया कि जिस परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल हुई है वहां के परीक्षाफल घोषित कर दिये जायं।

कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये विकास अधिकारियों का वेतन विश्वविद्यालय कोष से दिया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति प्रशासन से नहीं है। बिना अनुबन्ध के एक लाख बाइस हजार रुपये के फर्नीचर की आपूर्ति करायी गयी है। आपूर्ति के पहले बिना स्टाक में चढ़ाये भुगतान हुआ है। महिला छात्रावास की जमीन अपने संबंधी को दे दिया है। विश्वविद्यालय में दिवालियापन हो रहा है।

अक्तूबर, 81 में मुख्य मंत्री जी से छात्र संघ के अध्यक्ष, श्री राधेश्याम सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह, वीरेन्द्र कुमार नायक, आदि छात्र नेताओं ने मिलकर कुलपति के विरूद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच की मांग की थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त कारणों से विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों ने सामूहिक आन्दोलन करने की धमकी दिया है और स्थिति गम्भीर है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कुलपति को हटाने व भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने की मांग करती हूं।

जालौन जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टरों व अन्य कर्मचारियों को वेतन वितरित न किये जाने से असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, जालौन ने धनाभाव के कारण सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के डाक्टर कम्पाउन्डर सहित सेवारत सभी 18 कर्मचारियों को 28 फरवरी, 1981 को सेवा मुक्ति की नोटिस दे दिए थे। कर्मचारी माननीय ग्राम्य विकास मंत्री उ0 प्र0 से दिनांक 11-3-81 को इस संबंध में मिले तथा माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने दिनांक 13-3-81 को वायरलेस द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद, जालौन को आदेश भिजवाया कि अग्रिम आदेश तक किसी भी कर्मचारी की सेवा से न निकाला जाय परन्तु जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, जालौन के द्वारा कर्मचारियों को पूर्व दिए नोटिस, वापिस न लिए जाने से सभी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण स्थाई कर्मचारियों को 1 जून, 81 एवं अस्थाई कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 81 से वेतन नहीं मिला जिस कारण कर्मचारी भयंकर आर्थिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर सिंह नेवी--]
संकट में हैं और आजीविका के लिये परेशान हैं । इन अस्पतालों में दवाइयां न होने से लोग चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं । अस्पतालों के बन्द किये जाने से लोगों में भयंकर आक्रोश है।

सभी कर्मचारी घोर निराशा एवं संकट में हैं।

अतएव मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय ग्राम्य विकास मंत्री से निवेदन करता हूं कि अविलम्ब इन कर्मचारियों की रुके वेतन दे दिये जांय और इन सभी चिकित्सालयों को जनहित में समुचित ढंग से चलाने की व्यवस्था की जाय।

मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम, झांसी की अव्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में अति महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। मेजर ध्यान चन्द के नाम पर झांसी नगर में शासन द्वारा स्टेडियम बनाया गया है उसकी दिन-प्रतिदिन प्रतिष्ठा व गरिमा गिरती जा रही है। स्टेडियम के अधिकारी ने शासन को यह सूचित किया है कि स्टेडियम का मैदान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार है और इसमें राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं लेकिन देखा जा सकता है कि स्टेडियम के मैदान का समतलीकरण एक वर्ष से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है। दर्शकों के बैठने हेतु सीढ़ियां भी नहीं हैं तथा स्टेडियम के अन्दर का अधिकांश भाग उबड़-खाबड़ पड़ा है जिस कारण दिन प्रति दिन होने वाले खेलों में युवकों द्वारा खेल का अभ्यास करने में भी कठिनाई बनी है। जिम्नास्टिक के लिए जो भी सामग्री शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी वो या तो कुछ टूट फूट गई है या वहां से गायब हो गई है। इसी प्रकार खेलकूद का जो सामान उपलब्ध था उसकी भी अब व्यवस्था समाप्त हो गई है।

12 छात्रों को आवासीय स्कूल में प्रवेश मिला है लेकिन इनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है स्टेडियम के शौचालय समाप्त हो चुके हैं और अधिकारी व कर्मचारियों ने स्टेडियम ही को अपना निवास गृह बना लिया है। पेयजल की जो व्यवस्था थी, वह भी नष्ट हो चुकी है। सुधार के लिए शासन ने इस वर्ष जो भी धन दिया था उसमें भी [illegible] घोटाला है।

झांसी नगर की जनता ने खेलकूद मंत्री को इन अनियमितताओं के बारे में कई पत्र लिखे हैं लेकिन अभी तक खेलकूद विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतएव मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि झांसी का स्टेडियम हाकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचन्द के नाम से विख्यात है उसे गौरव के अनुरूप बनाया जाए तथा--

1--स्टेडियम के सुन्दरीकरण के जो कार्य शासन द्वारा स्वीकृत हैं तुरन्त पूरे किए जाय।

2--खेलकूद व जिम्नास्टिक के उपकरणों की तुरन्त व्यवस्था की जाय।

3--आवासीय छात्रों के रहने की उचित व्यवस्था की जाए।

4--स्टेडियम के सुधार के लिए दो वर्ष में जो भी शासन ने धन दिया है, उसके व्यय की जांच की जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री परसन प्रसाद, सचिव, साधन सहकारी समिति, बमनौली पाण्डेय ब्लाक सार, जिला देवरिया की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह–

श्री परसन प्रसाद, सचिव साधन सहकारी समिति, बमनौली पाण्डेय ब्लाक सार, जिला देवरिया को पिछले सप्ताहों में जान से मार डाला गया। इस समिति के सेल्समैन, श्री रुद्रप्रताप तिवारी हैं जो एक सिपाही के पुत्र हैं। थाना लार की पुलिस कुछ सत्ता पक्ष के लोग तथा कोआपरेटिव बैंक लार, के सांठगांठ से समिति के सचिव को रुद्रप्रताप तिवारी, उन्हें अपने गृह जनपद गोरखपुर ले गया जहां सचिव को मारकर नाले में फेंक दिया। तथा उनसे कागजात पर 50 हजार रुपये की प्राप्ति की रसीद लिखा ली। अज्ञात लाश की फोटो जब अखबार में छपी तब लोगों ने जाना। सचिव का पत्र थाने में रपट लिखा दिया है लेकिन पुलिस, बैंक तथा अन्य लोगों ने 50 हजार रुपए में बंटवारा कर लिए हैं तथा मामले पर परदा डालने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बैंक के कागजात को जलवा दिया जा रहा है। पुलिस मुलजिम का पक्ष ले रही है।

साधन समिति, सचिव परिषद् देवरिया आज से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं जिससे जिले की वितरण प्रणाली बन्द हो गयी है। लोगों के सामने भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। उनकी मांग है कि कातिलों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय। जांच सी0आई0डी0 से कराई जाय।

अस्तु आज माननीय सदन के सज्ञान में लाकर माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूं कि समस्त कागजात को सीलवार मामले की जांच सी0आई0डी0 से कराये तथा कातिलों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय।

राज्य मंत्री, श्री निर्भय नारायण सिंह के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 20 जनवरी, 1982 को माननीय राज्य मंत्री, निर्भय नारायण सिंह के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के प्रश्न की एक सूचना दी है जिसमें उनका कहना है कि 16 जनवरी, 1982 को माननीय राज्य मंत्री, श्री निर्भय नारायण सिंह ने एक महत्वपूर्ण नीति की यह घोषणा की कि "माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि एक हजार मीटर की ऊंचाई पर वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गयी है।" माननीय सदस्य का कहना है कि श्री निर्भय नारायण सिंह 15-1-82 को सदन में उपस्थित थे परन्तु उन्होंने कोई सूचना माननीय अध्यक्ष को या सदन को नहीं दी, जबकि सदन के चलते समय नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर करना संसदीय परम्पराओं के अनुसार नहीं है। इस प्रकार श्री हुकुम सिंह की शिकायत के अनुसार उक्त राज्य मंत्री ने जानबूझ कर सदन का अवमान किया है।

श्री हुकुम सिंह–

इस बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब तो मैं निर्णय सुना रहा हूं। उस दिन सुन लिया था क्योंकि वह लोग उस समय मौजूद नहीं थे। पहले सुनकर अब तो निर्णय सुना रहा हूं। आप कह चुके हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकम सिंह--

आपकी पीठ से पिछले सत्र में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश हो चुके हैं कि सदन के चलते नीति सम्बन्धी घोषणा बाहर न की जाय। जो नीति की घोषणा की है वह महत्व-पूर्ण है या नहीं . . .

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांय मैंने इस सम्बन्ध में जो पहले कहा था उस आधार पर नहीं है। उक्त सूचना की द्वितीय प्रति नियमानुसार माननीय निर्भय नारायण सिंह, राज्य मंत्री को भेजी गयी थी। इस सम्बन्ध में श्री निर्भय नारायण सिंह ने अपने पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1982 द्वारा मुझे सूचित किया है कि उन्होंने 16 जनवरी, 1982 को ऐसी कोई घोषणा नहीं की जिसका उल्लेख श्री हुकम सिंह की सूचना में किया गया है।

उक्त लिखित प्रतिवाद किए जाने के पश्चात् मा0 राज्य मंत्री, वन द्वारा सदन का अवमान किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उपर्युक्त कारणों से मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(श्री हुकम सिंह के कुछ कहने पर)

जब उन्होंने इंकार कर दिया कि घोषणा नहीं किया है तो अब और प्रश्न क्या रह गया है।

श्री हुकम सिंह–

सभी समाचार-पत्रों में छपा है कि कहा है। यदि उनके बयान से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है, तो मैं दूसरी नोटिस देता हूं कि उन्होंने सदन और आपको गुमराह किया है।

मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 22 जनवरी, 1982 को मा0 मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन को अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दी है। इस सूचना में मा0 सदस्य का कहना है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से उक्त प्रश्न के संबंध में जो लिखित सूचना दी गयी, वह गलत है और जानबूझकर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से दी गई है तथा पूरक प्रश्नों पर सदन में राज्य मंत्री, श्री त्रिपाठी द्वारा दिए गए उत्तर भी तथ्यों से परे तथा जानबूझकर सदन को गुमराह करने वाले हैं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 के अनुसार मा0 सदस्य को द्विप्रतिक सूचना देनी चाहिए थी, किन्तु उन्होंने सूचना की एक ही प्रति भेजी है और यह भी सूचित नहीं किया है कि उन्होंने उक्त सूचना की प्रति मा0 मुख्य मंत्री या उक्त राज्य मंत्री को भेज दी है, इस प्रकार सूचना नियमानुसार नहीं है। अपनी शिकायत के साथ मा0 सदस्य ने ऐसे यथेष्ट प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिनसे इसे निश्चय पर पहुंचा जाय कि मा0 मुख्य मंत्री या राज्य मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है। अतएव, मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

गन्ने के समुचित मूल्य दिलाये जाने के संबंध में गोण्डा जनपद में किसानों के प्रदर्शन पर क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा एस0डी0एम0 द्वारा लाठीचार्ज तथा विधायक, श्री अकबाल हुसैन पर प्राणघातक हमले के संबंध में वक्तव्य

*गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

मान्यवर, प्राप्त सूचनानुसार जनपद गोण्डा के तुलसीपुर क्षेत्र में दिनांक 7-1-82 से चलाए जा रहे गन्ना किसान आन्दोलन के अन्तर्गत आन्दोलन कर्ताओं द्वारा गन्ना की गाड़ियों को रोकना, क्रय केन्द्रों पर कांटे खोलना, कांटे को खराब कर देना, एक ट्रक ड्राइवर को मारने पीटने तथा शुगर फैक्ट्री की ट्रक और जीप को क्षति पहुंचाने एवं स्टाफ आदि को धमकाने आदि की कार्यवाहियां की गयीं । दिनांक 10-1-1982 से सड़क पर धरना का कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु कुछ राजनैतिक नेताओं द्वारा दिनांक 9-1-82 को अपील की गई थी । परन्तु दिनांक 9-1-82 की शाम से ही माननीय विधायक श्री अकबाल हुसेन, श्री रजवन्त सिंह तथा उनके अन्य साथियों द्वारा गन्ने से भरी गाड़ियों, ट्रालियों, ट्रैक्टरों आदि को बलपूर्वक रोका जाने लगा । क्षेत्राधिकारी और परगनाधिकारी द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर भी ये लोग नहीं माने । अत्यन्त तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्षेत्राधिकारी की संस्तुति पर धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई जिसका विस्तृत प्रचार भी कराया गया । 10-1-82 को लगभग एक बजे दिन माननीय विधायक श्री अकबाल हुसेन, श्री रजवन्त सिंह, श्री अमीर अहमद, श्री शिव-राज नारायण आदि 25-30 व्यक्ति चीनी मिल के द्वार पर लगे कांटे पर तोड़-फोड़ करने लगे । अधिकारियों द्वारा समझाने पर श्री रजवन्त सिंह उत्तेजित होकर भीड़ का आवाह्न करने लगे कि मिल को जला दो, सिपाहियों की वर्दी उतार लो और राइफलें छीन लो तथा उफ करे तो भून दो । परगनाधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी और भीड़ को मजमा खिलाफ कानून करार दिया । इस चेतावनी का भी भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उपस्थित भीड़ ने नारे लगाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का घेराव करना शुरू कर दिया । विवश होकर माननीय विधायक श्री अकबाल हुसेन सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया । जब इन लोगों को ट्रक में बिठाया जा रहा था तो उसी समय एक ट्राली में कुछ आदमी ट्रैक्टर से आए और अधिकारियों और कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किये जिसमें थानाध्यक्ष तुलसीपुर दबते-दबते बचे फिर भी उनके पैर में चोट आ गयी । श्री रजवन्त सिंह व बहुत से अराजक तत्व शोर करते हुए अधिकारियों व कर्म-चारियों पर ईंट-पत्थर बरसाना शुरू कर दिए और कट्टे से भी फायर किए । अतः विवश होकर अधिकारियों द्वारा तेज स्वरों में अंकित चेतावनी देने के पश्चात् साधारण बल प्रयोग किया गया जो भारी पथराव होने के कारण प्रभावहीन रहा । भीड़ और भी उग्र होकर जोरों से पथराव करने लगी । जिससे परगनाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी सहित 13 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और एक कान्स्टेबिल को कट्टे की फायरिंग से चोट आई । भीड़ पथराव करती हुई मिल के फाटक तक पहुंच गई, तब अधिकारियों ने पुनः चेतावनी दी । अन्ततः जीवन व संपति के रक्षार्थ लगभग डेढ़ बजे तीन राउन्ड मस्कट व दो राउन्ड रिवाल्वर से हवा में फायर किए गए जिसका अनुकूल प्रभाव पड़ा । 26 व्यक्तियों को मौके पर घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया । शेष व्यक्ति भाग गए । श्री रजवन्त सिंह जो मौके पर गिरफ्तार हुए थे के पास से एक देशी पिस्तौल और तीन जिन्दा कारतूस बरामद हुए । गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध संख्या 13/82 धारा 147/148/149/307/332/336/427/188 भा0 दं0 वि0 तथा 7 क्रिमनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट के अंतर्गत तथा इनमें से एक व्यक्ति के विरुद्ध इन धाराओं के अतिरिक्त 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग कायम किया गया । पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग से किसी को चोट नहीं आयी।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

माननीय विधायक की जेल में हत्या करने की साजिश का आरोप सत्य नहीं है। जेल में खाने में जहर देने की बात भी निराधार है। इन लोगों ने दिनांक 20-1-82 को मांगें पूरी न होने की दशा में भूख हड़ताल करने की नोटिस दी थी और दिनांक 21 से 23 जनवरी, 1982 तक भूख हड़ताल पर रहे। दिनांक 23-1-82 को श्री राजेन्द्र सिंह, माननीय नेता विरोधी दल के कहने पर इन लोगों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। जेल में इन पर दिनांक 23-1-82 को लाठी चार्ज करने का आरोप असत्य एवं निराधार है। यह भी आरोप सही नहीं है कि माननीय विधायक श्री अकबाल हुसेन के भाई पुलिस की गोली से आहत होकर जेल में हैं या इनके परिवार को आतंकित किया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में डाक्टरी परीक्षण कराया गया और चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था की गयी। जनपद में स्थिति सामान्य है और गन्ना मिलें सामान्य रूप से चल रही हैं।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इस वक्तव्य में तमाम बातें असत्य दोहरायी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर प्रश्न तो होते नहीं हैं।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह मामला एक विधायक से संबंधित है और इसका सत्याग्रहियों से संबंध है। यह सरकार सत्याग्रहियों को गलत दफाओं में और क्रिमिनल धाराओं में गिरफ्तार करके प्रताड़ित करेगी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठने का हम लोगों का सारा औचित्य समाप्त हो जाता है।

श्री अध्यक्ष–

इस वक्तव्य के बाद अब इस पर प्रश्न तो होते नहीं हैं। इसमें भाषण का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं केवल एक आग्रह कर रहा हूं। जिस दिन आपने इसको नियम 56 में वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था उस दिन एक तरह का आश्वासन दिया गया कि वक्तव्य आने के बाद जैसी स्थिति होगी वैसा देखा जायगा। हम आपसे आग्रह भी नहीं करते हैं कि हम इन से प्रश्न करें और स्पष्टीकरण मांगें क्योंकि इससे सत्यता सामने आने वाली नहीं है। सत्य तो तभी सामने आयेगा जब इनका पक्ष आने के बाद अब हमको भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाय। तो आपने तो निर्देश दिया था उस पर पुनर्विचार करें। माननीय विधायक को इस तरह से क्रिमिनल दफाओं में गिरफ्तार करके सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना है और इस तरह का वक्तव्य रखकर सत्य पर पर्दा डालना, यह हम लोगों के अधिकारों का हनन है। इस लिये कम से कम आधे घंटे का ही सही, हम लोगों को समय दिया जाय ताकि हमको उनका पक्ष रखने का अवसर मिल सके।

श्री इयासत हुसैन–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय अकबाल साहब का एक पत्र आया और आपने मुख्य मंत्री को उनकी रक्षा करने के लिए कहा था। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी ने उनकी रक्षा करने का आर्डर तो दिया नहीं है। तो हम लोगों को यह मालूम हो जाता कि उनकी रक्षा करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने क्या-क्या कार्यवाही की है? यह जानकारी दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

(मुख्य मंत्री को संबोधित करते हुए) रियासत साहब यह जानना चाहते हैं कि अकबाल हुसैन साहब के संबंध में पहले यहां सदन में भी बात आ चुकी है और आज हमारे पास भी उनका एक पत्र आया है कि अगर उनकी जमानत पर रिहाई हो गयी तो उनको मार दिये जाने का खतरा है और उन्होंने यह मांग की है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

उनकी सुरक्षा के लिए हम एक रक्षक दे देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से मा0 नेता सदन से यह जानना चाहता हूं और निवेदन भी करता हूं अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता है, तो उस माननीय सदस्य को बुलाकर आप स्वयं उसकी बात को सुन लें और जो यह वक्तव्य तथ्य से परे हट कर दिया गया है, उन्हें दिखा दें, यदि वह कह दें कि यहां वक्तव्य सही तथ्यों के आधार पर दिया गया है, तब तो सही मान लिया जाए और यदि वह इसको गलत कहें तो मान्यवर, इसको गलत माना जाए। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आपमें मौजूद है तो सही जानकारी के लिए उन मा0 सदस्य से मिलकर बात को मालूम किया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मान्यवर, तथ्यों की जानकारी के ही आधार पर वक्तव्य दिया जाता है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री की नैतिकता समाप्त हो चुकी है। वह अपने ही एक विधायक साथी के प्रति (व्यवधान) . . .

श्री मसरूर जाफरी–

यह वक्तव्य मान्यवर, तथ्यों से हटकर दिया गया है इसलिए मैं इसको फाड़ देता हूं (मा0 सदस्य ने वक्तव्य की प्रति फाड़ी और श्री मसरूर जाफरी सदन के फ्लोर पर आ गये यहां पर मा0 सदस्य ने वक्तव्य की प्रति पुनः फाड़कर फेंकी।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, शांत रहें। कृपया आप अपने स्थान पर जायें।

माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, उन्हीं के बीच में आपने जो कार्यकलाप वक्तव्य को फाड़ने का किया है, वह गौरवपूर्ण ढंग का नहीं कहा जा सकता है। (शोर)

श्री विजय सिंह राना–

तानाशाही रवैया नहीं चलेगी, मान्यवर, पूरे प्रदेश में . . . .

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह सब भावनावश हुआ है। एक मा0 सदस्य जेल में हैं, उनके सम्बन्ध में जिला प्रशासन, गोंडा ने व मिल मालिक तुलसीपुर की साजिश से जो षड़यंत्र रचा गया है और इसके बाद उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने बिना तथ्यों के जाने एक विधायक के खिलाफ मुकदमा मनगढ़न्त टाइप से गढ़ कर चलाकर उन्हें केवल आप परेशान करने की नियत से ऐसा कर रहे हैं, तो भावनावश माननीय सदस्यों का ऐसा व्यवहार करना कोई मान्यवर, खास बात नहीं है। स्पष्ट स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए यदि श्रीमन्, हम लोगों को भी सुन लिया जाए और हम लोगों का पक्ष भी सदन के सामने आ जाए तो शासन के समक्ष सही बातों की जानकारी आ जायेगी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस पर चर्चा अवश्य करा दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इससे पहले भी सदन में यह दृष्टांत रहे हैं कि जब भी कोई माननीय सदस्य किसी मुकदमें में इन्वाल्व हो गये हैं या जब कभी किसी माननीय सदस्य का हित इन्वाल्व होता है तो आपका संरक्षण मिलता है। शासन का जो वक्तव्य आया है, उसमें चूंकि कुछ शंका है, इसलिये स्पष्टीकरण मांगा गया है। विशेष परिस्थिति है, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, इसके पूर्व दृटान्त भी हैं, माननीय बनारसी दास जी जब अध्यक्ष थे, हम लोगों ने प्रार्थना की थी, उन्होंने इसे हमेशा के लिये परम्परा न बनाते हुए हम लोगों को स्पष्टीकरण का मौका दिया, तो या तो स्पष्टीकरण का मौका दे दें या जैसा कि नेता, विरोधी दल ने कहा कि सदस्य के सम्मान का सवाल है और रूलिंग पार्टी के सदस्य का उल्लेख हो रहा है कि आपको सही तथ्य बता देंगे और पर्दाफाश कर देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नियमों को शिथिल कर विशेष परिस्थिति में चर्चा करा दें या स्पष्टीकरण का मौका दे दें।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था, मुझे मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष–

कौन सा प्रश्न था?

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मुझे मौका मिलना चाहिये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा यह कहूंगा कि यह कितना झूठ है। नम्बर एक अगर यह रिपोर्ट सही है तो 7 तारीख को जो घटना हुई, उसकी एफ0 आई0 आर0 कहां है? 9 तारीख को जो घटना हुई, उसकी एफ0 आई0 आर0 कहां है? और 10 तारीख को जो घटना हुई उसकी एफ0 आई0 आर0 कहां है? और उसके बाद में जब पथराव हुआ, उसकी रिपोर्ट कहां है? यदि यह सही है तो एफ0 आई0 आर0 दिखा दें वरना आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें, जिन्होंने यह कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइए, सूबेदार सिंह जी।

वक्तव्य हुआ, उस पर जो कुछ भावनायें आपकी थीं, उसको मैंने सुना। यह निश्चय ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एक विधायक का मामला है, लेकिन नियम को स्थगित करके स्पष्टीकरण का मैं अवसर नहीं दूंगा। जहां तक इसमें चर्चा की बात है, नियम 52 में दे दें, कम से कम आधे घण्टे की चर्चा दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982†

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 3 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री नियाज हसन खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों की हत्या की साजिश के सम्बन्ध में हुए वक्तव्य पर पत्रावली दिखाये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें अब सुनने का प्रश्न नहीं है। माननीय नेता, सदन ने कहा कि वह पत्रावली मुझ को दे देंगे, मैं देख लूं उसमें क्या-क्या है। नेता, विरोधी दल की ओर से यहां इस बात का प्रतिवाद हुआ। इसके बाद न मैंने मांगी, न उन्होंने मुझे दी न आपने कोई प्रश्न उठाया, तब इसका प्रश्न ही कहां उठता है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

शासन ने यह बात कही थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मामला गम्भीर है पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैली हुई है। इस घटना का सहारा लेकर सरकार पत्रावली को छिपाना चाहती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि ऐसे पूर्व दृष्टान्त सदन में रहे हैं, एक बार बाजरा काण्ड हुआ था, पत्रावली नेताओं को दिखा दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रसंग में माननीय नेता सदन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसकी पत्रावली वह अध्यक्ष को दिखला देंगे, अगर अध्यक्ष आज्ञा दें तो। उनके इस कथन के बाद प्रतिवाद हुआ था कि नहीं, उसे सदन में नहीं आना चाहिए। इसके बाद कोई बात ही नहीं हुई न ही आपने मांगी, न ही हमने चाही, फिर मैं कैसे उसको उठाने दूं?

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में केवल एक ही प्रस्ताव आया था श्री सूबेदार सिंह का कि मैनपुरी जनपद में थाना भोगांव के अन्तर्गत ग्राम छाछा तथा उसके नगला जगतपुर के हरिजनों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में, वह अस्वीकार हुआ है।

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाषणों के लिये समय निर्धारण

(12 बजकर 21 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

अब वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी। इसमें जहां तक माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न है, उनके लिये कोई समय निर्धारित नहीं है, अपने स्वविवेक से जितना समय वे चाहेंगे लेंगे। अन्य दलों के नेताओं और मंत्रिगणों के लिये 25-25 मिनट का समय बोलने के लिये रहेगा और माननीय सदस्यों के बोलने के लिये 10-10 मिनट का समय रहेगा।

1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने सन् 1981-82 का जो बजट रखा था, उसमें उस समय 97.82 करोड़ का घाटा दिखाया था, वह घाटे का बजट था। उस बजट भाषण में उन्होंने ऐसी इच्छा और अपेक्षा व्यक्त की थी कि उसमें से 15 करोड़ रुपये का जो सरकार का बकाया है, उसकी रिकवरी प्रभावशाली बना कर करेंगे। कुछ अपने खर्चों में सादगी लायेंगे, शेष धन वह केन्द्र

[श्री राजेन्द्र सिंह]
सरकार से सहायता प्राप्त करने की जो उनकी इच्छा थी। उन्होंने उस समय ऐसा रूप अपना दिखाया था उससे प्रदेश की जनता समझी कि अबकी जो बजट आयेगा तो उससे कोई भार नहीं पड़ेगा। जैसा कि बजट पेश हुआ है, बाई इलेक्शन था, आपने जो वादे किये थे, उसे पूरा करेंगे परन्तु उसके बाद ही इन्होंने कर लगाने शुरू कर दिये। इस सरकार ने विद्युत के रेट बढ़ा करके 27 करोड़ कर दिये। बस का किराया बढ़ा करके 15 करोड़ कर दिया। गुड्स टैक्स बढ़ा करके 12 करोड़ कर दिया। सिंचाई की दरें बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया। इसी तरह से बिक्री-कर और ड्यूटी बढ़ा करके 10 करोड़ रुपये के संसाधन बढ़ायें आपका यह आश्वासन इस सदन को कि आप केन्द्र सरकार से सहायता ले कर इस घाटे को पूरा करेंगे, सत्य नहीं उतरा। श्रीमन्, इसके बाद पुनः इस वर्ष का बजट जब पेश हुआ तो यद्यपि यह घाटे का बजट था और गत वर्ष की अपेक्षा अधिक घाटे का बजट था, इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से कोई निर्धारण नहीं किया कि इस घाटे को कहां से पूरा करेंगे। वही पुरानी बातें की कि जो पिछले ड्यूज हैं, जो टैक्सेज बकाया है, उसकी प्राप्ति में, उसकी रिकवरी में सुधार लायेंगे, सख्ती बरतेंगे और उसी तरह फिर इस में कहा लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से इस माननीय सदन और इस प्रदेश की जनता के सामने कह देना चाहता हूं कि यह सरकार निश्चित तौर से शीघ्र ही भविष्य में नये कर लगा कर के इस प्रदेश की गरीब जनता की रीढ़ को पुनः तोड़ेगी। इसी संबंध में रिकवरी की बात कही, उनके रियलाइजेशन में चेष्टा करेंगे। पिछले बजट में भी यह बजट भाषण दिया था, राज्य सरकार ने कदम उठाये हैं, न वसूल होने वाले देयों को वसूल किया जायेगा और मैंने यह आशंका व्यक्त की थी कि माननीय वित्त मंत्री कहीं इस रिकवरी या बकाये के मामले में भ्रष्टाचार न हो? कोई आंकड़े, प्रक्रिया नियम आप बना लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैंने कुछ सुझाव भी दिये थे, लेकिन उन्होंने उसका पालन न कर के उस पूरी सत्ता को अपने हाथ में रखा कि किसी को माफ कर देंगे और किसी से वसूल करेंगे। अब पुनः भाषण 29 जनवरी को आया। माननीय वित्त मंत्री जी ने फिर कहा कि राजस्व परिषद् के वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन प्रस्तावित है जो पुराने बकायों की वसूली, देयों के सम्बन्ध में, अपनी सिफारिश करे। 29 तारीख को कहते हैं कि एक कमेटी बनायेंगे और उससे आशा करेंगे कि वह यह बतायें कि कौन से देय हैं जो वसूल नहीं हो सकते। माननीय वित्त मंत्री जी का एक बयान है "इण्डियन एक्सप्रेस" 30 दिसम्बर, 81 में। यह निर्णय तो पहले ही किया जा चुका था, कुछ शब्द, आपकी इजाजत से मैं अंग्रेजी में कह देना चाहता हूं बाद में हिन्दी में कह दूंगा 'एरियर्स आफ टैक्स एण्ड नान टैक्स ड्यूज टोटल्ड रुपीज 316 करोड़ आउट आफ व्हिच आनेली रुपीज 161 करोड़ कुड बी रियलाइज्ड व्हाइल दि रिमेनिंग रुपीज 155 करोड़ कुड बी रिटेन आफ' यह तो निर्णय पहले कर चुके हैं कि 155 करोड़ को वित्त मंत्री राइट आफ करेंगे। अगर इसका एक परसेंट भी रख लें तो डेढ़ करोड़ तो आप का हो जाता है।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि पुनः सदन को गुमराह किया है। यह निश्चय तो इन्होंने पहले ही कर लिया था कि कौन सा राइट आफ होना है और कौन सा नहीं प्रश्न तो इतना रह जाता है कि 316 करोड़ वसूल हो सकता है तो इसमें आप इनकी क्षमता देख लें। बकायों को वसूल करने के लिए और राइट आफ करने के लिए यह सरकार जो प्रक्रिया अपना रही है, वह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मामला है और इस सरकार पर मैं भ्रष्टाचार का आरोप इस सम्बन्ध में लगाता हूं। फिर एक बात आती है डेफिसिट फाइनेंसिंग की। सब जानते हैं कि जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा घाटे का बजट होगा तो मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। जब मुद्रा स्फीति बढ़ेगी तो कीमतें निश्चित तौर से बढ़ेंगी उसको कोई रोक नहीं सकता। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं डा0 मैल्काम एडिस सलाह उन्होंने कहा है कि रिड्यूसिंग डेफिसिट फाइनेन्सिंग एण्ड इम्प्रूविंग पब्लिक [illegible] कुड इफेक्टिवली काउन्टर इनफ्लेशन एण्ड चैक हाई कास्ट इकोनिमी

डेफिसिट फाइनेंसिंग को रोक कर ही और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा बना कर ही हाई प्राइस को रोका जा सकता है। इसी सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री आर0 वेंकटरमण के उस भाषण की तरफ दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने पिछले दिनों राज्य सभा चल रही थी, उसमें दिया था। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 1981 से नवम्बर, 81 तक मुद्रा स्फीति 3.8 प्रतिशत कम हुई है। यह ठीक भी है लेकिन माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने बड़ी चतुराई से इस बात को छिपा लिया कि 80 से लेकर के मार्च, 81 तक मुद्रा स्फीति 40 प्रतिशत बढ़ चुकी थी। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी प्रदेश या देश के अन्दर मुद्रा स्फीति होगी, कीमतें बढ़ेंगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक सवा साल के इनके शासन काल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में मुद्रा स्फीति जब 40 प्रतिशत बढ़ गयी थी तो प्रदेश या देश में कीमतें 50 प्रतिशत बढ़ जाना स्वाभाविक था।

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)–

40 प्रतिशत मुद्रा स्फीति इंदिरा जी के शासन काल में कब बढ़ी?

श्री राजेन्द्र सिंह–

80 से लेकर मार्च, 81 तक। भारत सरकार की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें 81 की रिपोर्ट के अनुसार जहां प्राइज गत वर्ष की अपेक्षा 8.1 प्रतिशत बढ़ी। फिर उसमें आगे किन-किन चीजों पर, यह भी उद्धरित है। प्राइमरी आर्टिकिल्स पर 8.1 प्रतिशत, फ्यूल, पावर लाइट और लुब्रीकेशन पर 22.7 प्रतिशत, मैन्यूफैक्चरिंग गुड्स पर, जो वस्तुएं कारखानों से तैयार होती हैं, उन पर 4.6 प्रतिशत। ये आंकड़े हैं। आप तो मिश्रा जी बहुत पढ़ते हैं, फिर भी बता देना चाहता हूं। अब 1980-81 की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है "आन करेंसी एण्ड फाइनेंस"। इसमें कहा गया है कि दयेर इज नो इन्डीकेशन आफ ए हाल्ट टू मच लैस ए रीवरसल आफ दि इनफ्लेशनरी ट्रैन्ड मोनेटरी एक्सपैन्सन वाज एट ए हायर रेट दैन दि प्रीवियस इयर.

पिछले साल की बनिस्बत जनता सरकार के शासन के मुकाबले में मुद्रा का अधिक प्रचलन हुआ। इसी तरह से औद्योगिक मजदूरों के लिए अखिल भारतीय कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स की कुछ बातें आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। यह कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स दिसम्बर, 79 में 363 था। यह सितम्बर, 1980 में 402 और अक्टूबर, 1981 में 460 हो गया। अखिल भारतीय कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स इस तरह से इनके शासन काल में 27 परसेंट बढ़ गया जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सन् 81 में थोक मूल्यों में गिरावट हुई तो उनकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन थोक मूल्यों में गिरावट का प्रभाव क्या कन्ज्यूमर प्राइस पर पड़ा, यह हमको देखना है और वह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 15 नवम्बर, 1980 के मुकाबले 14 नवम्बर, 1981 तक कितनी यह आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई इसके कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। मिर्च में 97.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्याज में 95.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मछली के दामों में 46.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूंगफली के तेल में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिल के तेल में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ज्वार में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वनस्पति में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चाय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चावल में 10.4 प्रतिशत कीवृद्धि हुई।

मैं इसको भी स्वीकार करता हूं कि आलू के दाम में जरूर 40.4 प्रतिशत की गिरावट हुई लेकिन यह हो सकता है कि यह सरकार कहे कि एक चीज के दाम 40 प्रतिशत कम हो गए तो श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आलू एक पेरिशेबिल आइटम है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। यह आपकी आवश्यकता के 20 प्रतिशत है

[श्री राजेन्द्र सिंह]–

इसलिए पेरिशेबिल आलू का कोई एक उद्धरण देकर आप अपनी सफलता के गीत नहीं गा सकते। मूल्य वृद्धि के बारे में भी दो साल के कम्पेरेटिवली आंकड़े वित्त मंत्री के सामने रखूंगा 78-79 में डीजल का दाम 1.39 था जो अब 3.17 हो गया। जैसा कि मा0 राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल इनके नियंत्रण की चीज नहीं है तो वह ठीक है लेकिन इस बढ़ोत्तरी का असर निश्चित तौर से प्रदेश के हर व्यक्ति पर पड़ता है। मैंने यह कहा कि प्राइजेज बढ़ी हैं। (व्यवधान) मिट्टी का तेल जो 1.19 रु0 लीटर था बढ़ कर 1.95 रु0 लीटर हो गया। चीनी का दाम 300 रु0 से 700 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, लोहा जिस पर भारत सरकार की मानोपाली है, 200 प्रति क्विंटल से 550 रु0 प्रति क्विंटल हो गया, सीमेंट का दाम, जिसके कारखाने आप के ही हैं जिस पर आपका ही नियंत्रण है, 19 रु0 बोरी से 33.22 रु0 प्रति बोरी हो गया, खाद का दाम जो यूरिया पहले 72 रु0 में आता था, जब कि विरोध पक्ष में इस सरकार के लोग बैठते थे, अब उसकी कीमत 122 रु0 है। इसी तरह से जो खाद 98 रु0 में मिलती थी उसकी कीमत 198 रु0 हो गयी यानी सौ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई।

इसी प्रकार काले धन की समस्या है। हालांकि काले धन को सफेद बनाने के लिए वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने धारक बांड योजना चलायी। श्री पालकीवाला की एक रिपोर्ट पेपर में आयी है कि इस देश के अन्दर 14 हजार करोड़ रु0 का काला धन प्रति वर्ष जेनरेट होता है और वह काला धन मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। इस काले धन के बढ़ने से ही कीमतें बढ़ती हैं। पेपर में यह भी आया कि कानपुर के उद्योगपतियों ने 30 करोड़ रु0 का धारक बांड्स खरीदा और कितने करोड़ रुपये काले धन के रूप में और भी होंगे। यह आपके प्रदेश में ही नहीं, हर प्रदेश में है जिस पर आप नियंत्रण करना भी चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं। इस काले धन के ऊपर नियंत्रण करने में भी आपकी नीयत साफ नहीं दिखलायी पड़ती है और इसी कारण आप कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से इस प्रदेश की इकोनामी की स्थिति यहां तक पहुंच गयी है। आज इस सरकार को वेतन और भत्ते के रूप में 850 करोड़ रुपया देना होता है जब कि इस प्रदेश की राजस्व से प्राप्ति 650 करोड़ रुपये हैं। जिस प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति से ज्यादा धन वेतन और भत्ते पर चला जाय, यह निश्चित रूप से प्रदेश के लिए एक भयावह स्थिति है और हमें इसको देखना चाहिए। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एडेमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा आप टाप हैवी करते जा रहे हैं। निरन्तर आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 की भर्ती करते जा रहे हैं।

इस प्रदेश के अन्दर आई0 ए0 एस0 की ज्यादा भर्ती हो रही है। अभी दो एक दिन पहले एक रिपोर्ट अखबारों में पढ़ने को मिली है कि कुछ अधिकारियों का डिमोशन होना चाहिये क्योंकि गलत तरीके से उनका प्रमोशन हो गया था। जैसा कि हमें पेपर में पढ़ने को मिला है लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि उनका आप कुछ नहीं कर पायेंगे। उनके लिये सरकार नये पोस्टस क्रिएट करेगी और इस तरह से जनता पर उसका अधिक से अधिक भार पड़ेगा इसमें फंसे हुए हैं, हमारे वर्तमान गृह सचिव जिन्होंने तबले पर संगत दी है और साढ़ूपुर कांड को राजनीतिक कांड कहा है। आज तक किसी देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश के गृह सचिव ने इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया होगा जैसा घृणित वक्तव्य इस प्रदेश के गृह सचिव ने दिया। श्रीमन्, गृह मंत्री का एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, अपने राजनीतिक दांव पेंच में, वक्तव्य आ सकता है लेकिन जब सरकारी कर्मचारी ही इस प्रकार का निम्न और घृणित वक्तव्य दें। क्यों दिया ऐसा वक्तव्य? इसलिए दे रहे थे क्योंकि आप को संगति दी है। उसके बदले में आप को भी उनको कुछ देना होगा जैसा कि आप ने एक डी0 आई0 जी0 को एडीशनल

डी0 आई0 जी0 और सात दिन के लिए आई0 जी0 और फिर एग्रो का चेयरमैन बना दिया । आप रोक नहीं पायेंगे । क्योंकि कुछ वह आप को दे रहे हैं और बदले में आप को उनको कुछ देना होगा ।

श्रीमन्, मैं कुछ संसदीय नियंत्रण पर भी प्रकाश डालना अपना कर्तव्य समझता हूं । श्रीमन्, इस माननीय सदन के जो अनेक कर्तव्य हैं उनमें से एक बहुत बड़ा और अहम कर्तव्य है वित्तीय नियंत्रण । श्रीमन्, जब इस माननीय सदन में बजट प्रस्तुत होता है तो यह माननीय सदन में उस बजट के माध्यम से इस प्रदेश सरकार को धन देता है । जो संचयनिधि बनती है, उसी से यह माननीय सदन इस सरकार से आशा करता है कि जिन मदों में स्वीकृति इस सदन ने दी है उन्हीं मदों में इसे खर्च किया जायेगा । यही नहीं, इस माननीय सदन का नियंत्रण यहीं समाप्त नहीं हो जाता । इस के बाद महालेखाकार की रिपोर्ट भी सदन में पेश होती है । माननीय सदन की लोक लेखा समिति उसका परीक्षण करती है और अपनी रिपोर्ट इस माननीय सदन में प्रस्तुत करती है । इस सदन का नियंत्रण वित्तीय मामलों में बहुत सख्त है कागजों पर । लेकिन श्रीमन्, यह सरकार, यह वर्तमान सरकार, उस नियंत्रण को जो इस माननीय सदन को मिला हुआ है, उसको समाप्त करती जा रही है ।

श्रीमन्, एक कन्टीजेन्सी फन्ड होता है । हर सरकार में होता है । पहले पांच करोड़ था शायद अब सौ करोड़ कर दिया गया है । मैं मानता हूं प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ऐसा कर सकते हैं । मुझको एतराज नहीं है । लेकिन यह कन्टीजेन्सी फन्ड तो किसी अनिश्चित आपदाओं के लिए होता है जिनको बजट बनाते समय सरकार नहीं समझ सकती, जो सरकार के संज्ञान में न आ सके जैसे श्रीमन्, बाढ़ है, अतिवृष्टि है, ओला वृष्टि है, कोई बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी । जो कन्टीजेन्सी फन्ड होता है इन्हीं परपचेज के लिए होता है, कोई ऐसे अनफारसीन रिजन्स, जिन पर आप की दृष्टि नहीं पहुंच सकती है और अगर वह आ जाय तो उसमें इसका इस्तेमाल होना चाहिए । लेकिन आज हो क्या रहा है ? उन मदों पर यह सरकार चुपके से सप्लीमेन्ट्री बजट ले आती है जिस पर हमें कुछ कहने का बहुत कम समय मिल पाता है जब कि आम बजट पर हमें 26, 27 दिन मिल जाते हैं, बहस के लिए मिलते हैं । कन्टीजेन्सी फन्ड के मामले में यह बदनियती सरकार की है । यह नहीं होना चाहिए । श्रीमन्, यही नहीं, कन्टीजेन्सी तो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने अपनी बाहर की यात्राओं पर खर्च करना शुरू कर दिया है । इस माननीय सदन ने एक विधेयक पास किया हुआ है कि मुख्य मंत्री जी को पाकेट एलाउन्स लेने का अधिकार है लेकिन इस प्रदेश की जनता को और इस सदन को पता न चले कि मुख्य मंत्री जी कहां जाते हैं, कितना खर्च करते हैं, उसका भुगतान भी कांटीजेन्सी से होता है जो कि एक नया इतिहास है । श्रीमन्, परम्परायें तो अनेकों हैं लेकिन यह एक नयी परम्परा है ।

इसी तरह से रीएप्रोप्रियेशन का मामला है । संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है । मैं तो ऐसा समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन संविधान की धारा 266 के अनुसार यह धन उसी उद्देश्य से और उसी प्रक्रिया से खर्च किया जायेगा जो विहित हो । यही होना चाहिए । श्रीमन्, यहां पर ऐसे मामले आते हैं और आयेंगे कि एक मद का पैसा दूसरी मद में खर्च कर लिया जाता है और फिर सप्लीमेंटरी बजट में आता है कि टोकन ग्रान्ट चाहिए । कहा जाता है कि हमको एक्सट्रा पैसा नहीं चाहिए । श्रीमन् यह मेरी सूचना है कि बहुत जल्दी इस सदन में सप्लीमेंटरी बजट आयेगा । शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा धन एक मद से दूसरी मद में खर्च किया जा चुका है और उसको यह सरकार रीएप्रोप्रियेशन के माध्यम से इस सदन में लायेगी । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए । यह अच्छी परम्परा नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार इसके लिए कुछ एक्सक्यूज

[श्री राजेन्द्र सिंह]–

कहेंगी और कहेंगी कि हमने इतना धन सरेन्डर होने से बचा लिया । श्रीमन्, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी-बड़ी योजना पर कितना धन सरेन्डर होता है । गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष भी होगा । ये कहते हैं कि हमको लोहा नहीं मिला, कोयला नहीं मिला, सीमेंट नहीं मिला जब कि ये तीनों चीजें सरकारी नियंत्रण की हैं । आज आप अपने नियंत्रित उद्योगों के लिये, उनकी योजनाओं के लिये पर्याप्त चीजें प्राप्त नहीं कर सकते तो यह निश्चित तौर पर विफलता सरकार की समझी जायेगी । यह आपकी असफलता रहेगी ।

इसी तरह से मैं अनियमितता के बारे में कहना चाहूंगा जो कि इस सरकार के द्वारा बरती जाती है । श्रीमन् बजट पास होता है । गत वर्ष भी पास हुआ था और इस वर्ष भी पास हो जायेगा । उसके पास हो जाने के बाद भी जिन मदों में इस माननीय सदन ने अपनी स्वीकृति दे दी है उस धन को खर्च करने की उसे हमारे प्रदेश के वित्त विभाग ने योजनाओं को पुनरीक्षित करते हुए रिव्यू कर दिया है । यह निश्चित रूप से इस माननीय सदन का असम्मान है । चाहिए यह था कि आप अपने विभागों और अधिकारियों को इतना सख्त करें कि बजट में वही योजनायें सम्मिलित की जायं जिनके बारे में आप स्वीकृति दें । वित्त विभाग को बजट पेश करने से पहले यह परीक्षण करना चाहिये । यह परम्परा कि जिन मदों के लिए इस माननीय सदन ने स्वीकृति दे दी है, उसके बाद उसका परीक्षण हो, यह निश्चित रूप से गलत है, सदन की अवमानना है ।

अब कर्जे की बात आती है । श्रीमन्, कर्जा पुराने जमाने में कोई अच्छा काम नहीं समझा जाता था लेकिन मैं मानता हूं कि आज की स्थिति को देखते हुए कि प्रदेश तरक्की करे और उसके लिए नये संसाधन जुटाने के लिए कर्जा लिया जाता है, मैं इसको मानता हूं । लेकिन श्रीमन्, यह निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि जितना भी कर्जा हम ले रहे हैं उसका एक-एक पैसा प्रोडक्टिव एक्टीविटीज में लगना चाहिए अन-प्रोडक्टिव में नहीं । लेकिन इस बजट का बहुत सा बड़ा हिस्सा अन-प्रोडक्टिव खर्चों पर जायेगा इसी लिये यह प्रदेश पिछड़ता जा रहा है ।

श्रीमन् एक बात ओवर ड्राफ्ट की आती है । रिजर्व बैंक को कहना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश ने काफी ओवर-ड्राफ्ट ले लिया है अब एलाऊ नहीं होगा ।

अब मैं उपक्रमों पर आता हूं । हर सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है और उद्देश्य होता है कि जन-कल्याण के लिए कम मूल्यों पर अधिक सेवा लोगों की हो । यह सरकार का कर्त्तव्य होता है, इसी उद्देश्य से सार्वजनिक उपक्रमों की नींव डाली गयी ताकि चीजें सरकार के नियंत्रण में हो और कम पैसे में प्रदेश की जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके और एक कारण यह भी होता है कि विभाग को संस्थागत कर्ज नहीं मिल पाता है और इन उपक्रमों को ज्यादा कर्ज मिल जाता है । लेकिन हो क्या रहा है कि जिस उद्देश्य से संस्थागत वित्त की स्थापना हुई थी, वह पूरा नहीं हो रहा है । जो कर्ज यह ले रहे हैं, वह अन-उत्पादक खर्चों में ज्यादा जा रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है । इन संस्थाओं का संचालन कुशल हाथों में नहीं है । अक्षम और भ्रष्ट अधिकारी इन निगमों में बैठे हुए हैं । इसी कारण निगम की जो अपनी संपत्ति सरकार ने दी थी, उसको खाते चले जा रहे हैं ।

श्रीमन्, मैं कुछ बातें इसी संबंध में रखूंगा और एक दो निगमों के बारे में कहूंगा वैसे तो सभी निगमों के यही हालत है । इस प्रदेश में निगमों की संख्या 92 के करीब हो गयी है 45 से 92 हो गयी है । श्रीमन्, हमारे यहां राज्य विद्युत परिषद् है । देश में रेलवेज के बाद दूसरे नम्बर पर विद्युत बोर्ड आते हैं । यह सही है कि आज ऊर्जा की आवश्यकता, ज्यों-ज्यों हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है ।

हर विकासशील देश में इसकी मांग बढ़ रही है। मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज हमारे बोर्ड की क्या हालत है। इस बोर्ड को हमारी जनता ने और पत्रकारों ने सफेद हाथी कहा है। वैसे अब तो कई निगमों को सफेद हाथी कहा गया है और इसके लिए कोई और शब्द सोचना पड़ेगा कि क्या कहा जाय। अप्रैल 59 से मार्च 81 तक 22 अरब रुपये की पूंजी इस परिषद् द्वारा विभिन्न बिजली घरों में लगाई जा चुकी है। तब से सिवाय 61-62 में 52 लाख का लाभ और 62-63 में 6 लाख का लाभ दिया, बाकी निरंतर प्रति वर्ष घाटे में बोर्ड जा रहा है। इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है कि पिछले 22 सालों में यह घाटा 8 अरब तक पहुंच चुका है जिसको हमारी राज्य सरकार कर्ज देकर पूरा कर रही है। यह सब जनता का पैसा है। श्रीमन्, यही नहीं, मार्च 80 तक बोर्ड ने 209.57 करोड़ रुपया डिप्रिसियेशन में दिया है और 253.02 करोड़ रु0 इंटरेस्ट में दिया है। लेकिन अब भी इस परिषद् को जो धन राज्य सरकार का दिया हुआ है और जो कर्जे हैं, उसका 430.08 करोड़ रुपया, केवल ब्याज बाकी है, जिसको देने की स्थिति में अब यह नहीं रहा। इसकी आर्थिक स्थिति यहां तक खराब हो चुकी है। इस परिषद् का अपने इस्टेब्लिशमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च है। देश में जितने बोर्ड हैं, उन सब के अपेक्षाकृत सबसे अधिक खर्च यहां के इस्टेब्लिशमेंट पर है यानी 10.4 पैसा प्रति यूनिट खर्च होता है और वैसे करीब 75 करोड़ रुपया वार्षिक इसके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खर्च होते हैं। यही नहीं, मैं और बता दूं, 80-81 में जो वसूलियां नहीं हो पाई हैं, विद्युत के भुगतान नहीं हो पाए कन्ज्यूमर्स से वह भी 80 करोड़ रुपया है और यह धन किसी भी एक वर्ष में सर्वाधिक है। ट्रांसफारमर की चोरी में भी यह परिषद् बहुत आगे है और प्रति वर्ष यह परिषद् 6 करोड़ रुपया ट्रांसफारमरों की चोरी पर व्यय करती है।

दूसरी ट्रांसमिशन लास की बात है। जब कभी कोई प्राइवेट बस वाला ज्यादा सवारी बिठालता है उसे ओवर-लोडिंग कहते हैं और उसके लिए नियम विरुद्ध होने के कारण चालान होता है, लेकिन जब यह अपनी बसों में ज्यादा सवारी बिठातें हैं तो उसे स्टैंडिंग की संज्ञा दी जाती है और कहा जाता है कि यह एलाउ है। पावर थंफ्ट के बारे में, प्रदेश का यह सफेद हाथी तीसरे नम्बर पर है, बिहार और बंगाल इससे ऊपर है। पूरे देश का अगर इस संबंध में आकलन किया जाए, तो महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात इस दिशा में क्रमशः सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। ट्रांसमिशन लाईन लास जिसे यह कहते हैं, हम इसे स्पष्ट रूप से विद्युत की चोरी कहते हैं, जो यहां 23 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र में यह केवल 10 प्रतिशत है। कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता जबकि यहां विद्युत दरें न बढ़ाई जायं और हर साल बढ़ती जा रही हैं, साथ ही हर साल खर्चा और लाइन लास भी बढ़ता जा रहा है।

एक आंकड़ा जो अभी इन्होंने बढ़ाया है, उसे बहुत जल्दी पढ़ दूंगा। सन् 79 में घरेलू बिजली की दर 47 पैसा प्रति यूनिट थी, जो अगस्त, 81 में 50 पैसे हो गई और अक्टूबर में 52 पैसे हो गई। व्यवसायिक कार्यों में रोशनी देने की जो दर थी वह 68 से 75 पैसे फी यूनिट हो गई। इस तरह से हर एक में 5 से 7 पैसे की फी यूनिट वृद्धि हुई है। यह तो ए0सी0 का हाल है और डी0सी0 के लिए तो 10 पैसा और एक्स्ट्रा है।

यह भी एक सामान्य सिद्धान्त है कि किसी भी व्यवसाय में जितना धन लगता है और उससे जितने उत्पादन की आशा की जाती है, हमारे उद्योग मंत्री बैठे हैं जो इसे और अच्छी तरह समझते हैं, धन जितना व्यवसाय में लग जाता है, उससे ज्यादा उत्पादन की आशा की जाती है, किन्तु अगर वह उतना उत्पादन नहीं कर सकता तो जो उत्पादित चीजें हैं, वह बाजार भाव पर नहीं बेची जा सकती, उनके मूल्य हमेशा ज्यादा हो जायेंगे। श्रीमन्, वही इस सरकार में हो रहा है। प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता 3089 मैगावाट

[श्री राजेन्द्र सींह]–
है, जबकि दूसरे राज्यों में 70 से 75 प्रतिशत तक अधिष्ठापित क्षमता का उत्पादन होता है, लेकिन हमारे प्रदेश में वह 35–40 के बीच में है। जब उत्पादन आधा होगा तो लागत निश्चित रूप से ज्यादा आयेगी ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व सदन में कहा कि 19 जनवरी को बिजली का उत्पादन सबसे अधिक हुआ, 3 करोड़ 78 लाख बताया था, जब कि सामान्यतः 2 करोड़ 80 लाख हो रहा था । मैं पूछता हूं कि जब उस दिन आप इतनी कुशलता दिखा सकते थे और अधिक उत्पादन कर सकते थे, तो वही कुशलता आप रोज क्यों नहीं दिखात और अधिक उत्पादन करके दिखाते । (व्यवधान) जो उत्पादन आपने 19 तारीख को करके दिखाया वही उत्पादन और हर रोज क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका उत्तर आप दीजिए ? इसका अर्थ है कि आपके यहां कुछ कमियां हैं, सरकार की अक्षमता है, अकुशलता है जिसके कारण उत्पादन नहीं बढ रहा है । आपका नियन्त्रण ठीक नहीं है । केवल आंकड़ों का करिश्मा दिखाने से काम चलने वाला नहीं है ।

मान्यवर, जल विद्युत् में जब कमी उत्पादन में होती है तो यह कहने लगते हैं कि वर्षा कम हुई । तापीय बिजली के उत्पादन में जब कमी होती है तो यह कहते हैं कोयला ठीक नहीं था । यह कोई न कोई बहाना उसके लिये लेते हैं, जब कि वास्तविकता यह है कि इनका नियन्त्रण नहीं ठीक है । आखिर कोयले पर नियन्त्रण भी तो आपका ही है । फिर टाटा और बिड़ला आदि संस्थान भी तो उसी कोयले से काम करते हैं, जब वे 80-85 प्रतिशत तक उत्पादन करते हैं तो आप क्यों नहीं कर पाते ? कहीं गलती है । उस गलती को दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिए ।

इस विभाग में मान्यवर, भयंकर भ्रष्टाचार है । यह सभी के लिये चिन्ता का विषय है । आप अकेले में हमसे मीटिंग करके पूछिये हम बतायेंगे आपको कि कहां कहां पर भ्रष्टाचार है । मैं जगह बताता हूं जहां जहां पर होता है और आपसे निवेदन करता हूं मेरे साथी माननीय सदस्य, सुरेन्द्र सिंह चौहान बैठे हैं, आप बिना सरकारी अधिकारी को बताये अपनी तरफ के किसी भी विधायक के क्षेत्र के किसी गांव में चले जाय, जिस दिन आप जायें उससे 2 महीने पहले जिन लोगों को विद्युत कनेक्शन मिला है, उनके नाम पूंछ लीजिये, आपकी समझ में आ जायेगा । श्रीमन् जो कनेक्शन स्वीकार करने की बात आती है तो पैसा मांगते हैं, जब इस्टीमेट का समय आता है तो पैसा मांगते हैं । आप कमेन्ट न करें आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, अगर जनता से जरा भी वास्ता है । मैंने कहा कि आप किसी भी गांव में चले जायें, बात साफ हो जायेगी । एग्रीमेंट पर पैसा देगा तो होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा । जब लठ्ठे गिरने की बात हो तो अधिकारी कहता है कि पहले नकद दे तो लठ्ठे जायेंगे । फिर अन्त में कनेक्ट करने के लिये पैसा चाहिये नहीं तो तीन महीने तक कनेक्ट नहीं करेंगे । माननीय वित्त मंत्री जी, पिछले सत्र में यह मिसाल दिया था । ओबरा विद्युत् गृह के अन्दर जो माल सप्लाई हुआ उस माल की कीमतें थी एप्रूव्ड स्कोप या एजेन्सी 4 रुपले और वही चीज 4 हजार 8 सौ में आई थी । ओबरा में आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा । स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं सब स्टेन्डर्ड चीजें खरीदी जाती हैं और बाद में रिजेक्ट कर दी जाती हैं ।

तो मैं कहना चाहता हूं कि यह पब्लिक का पैसा है, इसका उपयोग कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ में न करने पाये । मैं कहना चाहता हूं कि भंयकर भ्रष्टाचार है । इसके बारे में जो सूचना है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपके भी रोंगटे खड़े होते होंगे कभी कभी । श्रीमन्, अखबार में पढ़ा की 4 सौ केस पकड़े हैं भ्रष्टाचार के, पता नहीं वह फाइलें कहां दब गयी ।

श्रीमन् ट्रान्सफर की बात है ट्रान्सफर का मामला चला । हुआ यह कि ट्रान्सफर नहीं होंगे । श्रीमन्, इस बारे तो इसमें और गजब हुआ । कुछ तो चेयरमैन ने ट्रान्सफर किया, जिनका दांव चेयरमैन पर नहीं लगा उनका राज्य विद्युत मंत्री ने किया और जिनका राज्यमंत्री पर नहीं लगा उनका मुख्यमंत्री ने किया । तो कुछ ट्रान्सफर चेयरमैन ने किया और कुछ राज्यमंत्री ने और कुछ मुख्यमंत्री ने किया । एक मिसाल देना चाहता हूं । श्रीमन् 2 आदेश हैं विद्युत परिषद का एक एक जून का और दूसरा 23 जुलाई का । एक महीने 7 दिन के अन्दर मैं संख्या बता देता लेकिन नाम ही बता रहा हूं । पी0 एल0 कलेकर एस0 ई0 हैं । 22 जून को आदेश हुये कि उनका स्थानान्तरण हरदूआगंज हो गया और दूसरे हैं बी0 एस0 माथुर, एस0 ई0 सिविल, टांडा, उनका टान्सफर हुआ । मैं कहता हूं कि जो एडवाइजर आपने बोर्ड में बनाये हैं उनके यह रिलेशन में हैं । एक महीने में दो बार टान्सफर हुआ । मेरी सूचना गलत हो तो बता दें । जो व्यय बढ़ता जा रहा है और यह हाई कास्ट हो रही है क्यों? माननीय वित्त मंत्री जी सहमत होंगे जिन योजनाओं के बारे में बजट में कहा है उनमें 10 प्रमुख हैं ।

मेरे प्रदेश के अन्दर इन योजनाओं पर 1 अरब से 16 अरब तक बढ़ा है । मैं कहना चाहता हूं खोदनी 7 वर्ष, बनेरी 5 वर्ष और चिल्ला 22 महीने पिछड़ी है और पिछड़ती जा रही है और इनकी कास्ट बढ़ती जा रही है । श्रीमन, यह कहेंगे कि जमीन नहीं मिली, कभी कहेंगे लोहा नहीं मिला । मेरा आपसे निवेदन है कि व्यय भार न बढ़े । श्रीमन्, मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं विद्युत के सम्बन्ध में । माननीय वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि जब यह सरकार थी इसके पहले की तो उसको सब चौपट कर दिया । श्रीमन मैं प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन क्षमता दोनों का शांकडा दे रहा हूं । 76-77 में 2 हजार 499 स्थापित क्षमता और उत्पादन हुआ 2 हजार 939, 77-78 में 2 हजार 868 और उत्पादन हुआ 2 हजार 880 78-79 में क्षमता 3 हजार 65 मेगावाट और उत्पादन हुआ 10 हजार 130 मिलियन यूनिट, 79-80 में 3 हजार 369 मेगावाट और उत्पादन हुआ 10 हजार 124 मिलियन यूनिट । वित्त मंत्री जी यह न कहें कि क्षमता घट गई । कभी हमारी ज्यादा है कभी आपकी । मैं आंकड़े दे रहा हूं आप देखें । श्रीमन, यह उत्पादन मैं और आप नहीं करते । यह कर्मचारी करते हैं । जनता के कर्मचारी करते हैं । 80-81 में 3 हजार 723 और उत्पादन हुआ 10 हजार 191 मिलियन यूनिट । श्रीमन, अब ग्राम विद्युतीकरण के बारे में कहूंगा । 76-77 में 1 हजार 920 गांवों का विद्युतीकरण हुआ, 77-78 में एक हजार 972 गांव का और 78-79 में 2 हजार 239 गांव और 80-81 में लक्ष्य था 5 हजार गांव का और कर पाये आप 3 हजार 795 गांव । आप अपने लक्ष्य से नीचे हैं ।

श्रीमन्, अब मैं हरिजन बस्तियों के बारे में कहूंगा । 76-77 में 304 गांव का हुआ, 77-78 में 1941 गांव, 78-79 में 1459 गांव, 79-80 में 1565 गांव । आगे का पता हमको नहीं है । निजी नलकूपों के बारे में 76-77 में 18 हजार 549, 77-78 में 20 हजार 559, 78-79 में 24 हजार 146 और 79-80 में 36 हजार 145 और 80-81 में 39 हजार 814 ।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह प्रगति की नींव हमने रखी थी या आपने, इसको वह देखें । पूरे प्रदेश के आंकड़े उठा लें तो पायेंगे कि जनता सरकार के आने के बाद सांख्यिकी के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं लेकिन यह सत्ता के भय से आप कर रहे हैं क्योंकि जनता सरकार के आने के पहले यह प्रोग्रेस नहीं थी ।

श्रीमन्, छठी योजना के बारे में राज्य विद्युत परिषद के चेयरमैन का बयान पायनियर में छपा है कि जिस दिन वित्त मंत्री प्रदेश की प्रगति की रोजी पिक्चर खींच रहे थे उसी दिन इन्हीं के चेयरमैन का बयान छपा है । उससे जो स्थिति है वह मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह सरकार अभी नहीं, 1984-85 तक विद्युत की मांग को पूरा

[श्री राजेन्द्र सिंह]–

नहीं कर सकती है और चेयरमैन ने स्वीकार किया है कि 30 प्रतिशत की कमी बनी रहेगी । इसलिए रोजी पिक्चर आप क्यों दिखाना चाहते हैं ? आपकी सरकार 28 साल पहले और जनता सरकार के बाद इन दो सालों का समय कम नहीं है लेकिन यदि कोई सरकार जन-कल्याणकारी 30 साल के शासनकाल में भी प्रदेश की जनता को अति आवश्यक वस्तु, उर्जा, जो उत्पादन के लिए आवश्यक है, वह नहीं दे पाए तो मैं नहीं समझता कि उस सरकार के लिए कोई क्या भावना रखता है । आप उससे सहमत होंगे कि 1984–85 तक विद्युत मांग के अनुसार नहीं दे सकते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

कन्ट्राडिक्ट इसलिए नहीं करते हैं चूंकि विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, उसके हिसाब से बताया गया है ।

(1 बजकर 21 मिनट)

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वित्त मन्त्री ने स्वीकार कर लिया कि इस शासन से 1984-85 तक जो विद्युत की मांग है, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं । "आल दिस इन्डिकेट्स दैट दि पावर क्राइसेस इन यू0 पी0 इन दि कमिंग इयर्स इज नाट लाइकली टू इम्प्रूव." उन्होंने एक सेन्टेंस में यह कहा है । इसलिए 30 प्रतिशत की कमी को यह मानते हैं । जैसा कि इनकी बोलने की आदत ज्यादा है और काम करने की कम है, तो निश्चित है कि आने वाले समय में इस प्रदेश की स्थिति और दयनीय होने जा रही है ।

श्रीमन्, इसी तरह से आपका एक खादी बोर्ड है । श्रीमन् इसमें एक चेयरमैन बने हैं

श्री बाजपेयी ।

श्री ब्रह्म दत्त–

आपके मित्र हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

हमारे आपके कामन मित्र हैं, जब आप चौधरी साहब के चरणों में बैठा करते थे। लेकिन आप धोखा देकर चले गए । श्रीमन्, जब इमरजेन्सी में आप बनारस जेल में थे तो हमने आपकी सेवा की थी लेकिन आप भागकर आ गए थे । तो श्रीमन, बाजपेयी जी इनके पुराने मित्र हैं । तो यह देखने में आया कि इस संस्था में झगड़ा है और यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार भी है । 4 करोड़ रुपयों का रियलाइजेशन नहीं हुआ है । यहां पर लम्बा चौड़ा घपला है । वहां पर दो टीमें हैं, एक बाजपेयी जी की और एक दूसरे ग्रुप की टीम है जिसको दूसरा अधिकारी समर्थन दे रहा है । तो जिस संस्था में ऐसी चीज हो, मैं बाजपेयी जी को कमेन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि ऐसी स्थिति किसी बोर्ड, निगम की है तो डिसप्लिन लाने का प्रयास करें । बाजपेयी जी को आप हटाएं या दूसरे को हटाएं, मिश्रा जी को, शर्मा जी को या किसी को हटाना होगा और अच्छा नियंत्रण लाना होगा । या तो आपको अखबार वालों से मिलना होगा कि हमारे कारनामे छापा मत करो जिससे यह विरोधी पक्ष तक न पहुंच पाएं ।

श्री मोहन सिंह–

काशीनाथ जी कह रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र–

श्रीमन्, जार्ज फर्नानडीज ने कहा है कि 30 वर्ष तक भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वालों का जब राज हुआ तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जनता पार्टी के जमाने में हुआ । यह मैं नहीं कह रहा हूं, जार्ज फर्नानडीज कह रहे हैं । धर्मयुग में निकला है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, इंगित करें। श्रीमन्, इसी तरह से बजट भाषण में पिकअप के माध्यम से इण्डस्ट्रीज खोलने की बात आई है। तो इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया का जो एप्रेजल नोट है उसमें लिखा है और कहा है कि इसकी स्थिति इतनी दयनीय होती चली जा रही है, इनका जो आय-व्ययक का लेखा-जोखा है, वह इस तरह से वह फैब्रीकेट कर रहे हैं कि आगे उनको कोई भी सहायता वहां से मिलने वाली नहीं है। इसी तरह से लघु उद्योग निगम को डेढ़ करोड़ रुपए का घाटा है। हर कमिश्नरी में विकास के लिए डेवलपमेन्ट कारपोरेशन बनाए गए हैं। तो श्रीमन्, इनको जो सरकार ने धन दिया था उसको ज्यादातर कारपोरेशन में बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट में जमा कर दिया गया है और ब्याज से कहते हैं कि हम प्रोफिट में चल रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त–

सुरक्षित तो है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं तो कह रहा हूं कि पूरे बजट को सुरक्षित रख दीजिए। बजट को बैंक में डाल दीजिए, मामला ही खत्म हो जाय। कहीं तो उचित कदम उठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। इसी तरह से सहकारी समितियों में 12 करोड़ रुपये का घपला प्रकाश में आया है। माननीय राज्य मंत्री बच्चा पाठक का बयान है कि इसमें बहुत बड़े केसेज गड़बड़ी के हैं। फैजाबाद में 4 करोड़ रुपए का गबन है। इसी तरह से श्रीमन्, लखनऊ में 10 करोड़ रुपए का एक मामला है। जो उपभोक्ता भण्डार है। उनमें जो वस्तुएं साधारण कीमत पर मिलती हैं, वह उन्हें जनता में न बेचकर, ब्लैक कर देते हैं और आप उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते। इसी तरह से आबकारी विभाग का एक मामला बहुत लम्बा आया (एक साथ कई मा0 सदस्यों द्वारा टीका-टिप्पणी) मान्यवर, खबरों के केवल 3 ही स्रोत हैं हमारे पास। एक तो रेडियो, ए0आई0आर0 द्वारा जो कि बहुत पुरानी कहावत हो चुकी है कि वह आल इण्डिया इन्दिरा रेडियो हो गया है, दूसरा है टेलीवीजन, उस पर भी इनका कन्ट्रोल है और मान्यवर, तीसरा स्रोत न्यूजपेपर का है, वही केवल आज बचा है और वह भी जो यह कांट-छांट कर सूचना दे देते हैं, वही हम लोग यहां जान पाते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी तो मंत्री रह चुके हैं और जितने भी समाचार-पत्र आते हैं, जिनका सम्बन्धित विभाग उस पर कार्यवाही करता है, लेकिन अब आप ही उस विभाग के कार्य को कर रहे हैं, सारे पेपर्स की कटिंग लेकर यहां बैठे हुए हैं, यह तो काफी पुरानी धारणा हो गयी है अब इसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं रहा और कोई सुझाव या नई कोई योजना या तरीका बतायें तो उससे कुछ लाभान्वित हो जनता।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां करोड़ों रु0 की गड़बड़ी सरकारी निगमों और सहाकारी संस्थाओं व कार्यालयों में होती रहे और हमारे वित्त मंत्री महोदय कहें कि कोई खास बात नहीं है तो इस से बढ़कर लज्जा की क्या बात हो सकती है। अच्छा होता अगर आप जिस दिन अपना लम्बा-चौड़ा भाषण पढ़ रहे थे, हमें उसी दिन बताते तो हम आपसे आज कुछ नहीं कहते। हमने तो आपसे बहुत सी चीजें मांगी, जिसे न आप दे सके और न ही आपके मुख्य मन्त्री जी. वह तो केवल इडीपीसेटिक भाषण हर बात के जवाब में बोल कर चले जाते हैं किसी भी बात का जब जवाब नहीं देते और अगर इसी प्रकार जवाब नहीं देंगे तब तक तो हम लोग ऐसे ही मांग करते रहेंगे और फिर आज उन मामलों को उठायेंगे। तो श्रीमन्, मैं अधिक न कहकर केवल आज का विषय

[श्री राजेन्द्र सिंह]–

जो है कि आज ही पेपर में निकाला है कि वन-सम्पदा में साढ़े चार करोड़ रुपयों का गोल-माल। अब श्रीमन, मैं इसके बाद यह कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति आज कैसे बद से बदतर हो गयी है। श्रीमन, सार्वजनिक उपक्रम दर्यों की स्थिति के बारे में जो वर्ष 1979-80 की रिपोर्ट में है, जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्वयं लिखा गया है, आप सबने भी स्वयं पढ़ा होगा आज मैं पुनः उसको दोहरा रहा हूं कि 27 लाख रु0 का घाटा विद्युत परिषद् में प्रति दिन के हिसाब से हो रहा है।

सीमेन्ट कारपोरेशन को 7 लाख रुपया प्रति दिन का घाटा है, उत्तर प्रदेश चीनी निगम में 1.62 लाख रु0 प्रति दिन का घाटा है। इसी सम्बन्ध में एक बात कह दूं माननीय मंत्री जी। वैसे तो सभी हैं लेकिन जो आपके नियंत्रण में चीनी मिलें हैं, उन्हीं से वास्ता है, उनकी कनवर्जन कास्ट को एक बार मंगाकर सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें। प्राइवेट फैक्ट्रीज की कितनी लगती है, देख लीजिए। आपकी मिल 50 रु0 प्रति क्विंटल से लेकर 350 रु0 प्रति क्विंटल तक कनवर्जन कास्ट चार्ज करती है। 50 रु0 और 350 रु में जमीन आसमान का अन्तर है। आपके यहां हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पाते। मैं यह कहना चाहता हूं अगर यह सरकार सिर्फ कनवर्जन कास्ट की ही एक सीमा तय कर दे तो चीनी निगम का घाटा कल समाप्त हो जायगा।

श्रीमन्, इसी तरह से 25 अरब रुपये सकल विनियोजन पूंजी और सार्वजनिक ऋण के रूप में लगा हुआ है। अभी तक वर्ष 1980-81 के अन्त तक 566 करोड रु0 का घाटा उनको हो चुका है, यह 20 प्रतिशत हुआ अर्थात् जो पूंजी लगी थी, उसका 20 प्रतिशत का घाटा हो चुका, 20 प्रतिशत पूंजी समाप्त हो चुकी। सप्तम् वित्त आयोग आया था, उसने उपक्रमों के कार्यक्रम को देखा और आशा व्यक्त की कि वर्ष 1983-84 तक इनको 5 प्रतिशत का लाभांश देना चाहिए, लेकिन स्थिति यह है कि 5 प्रतिशत का लाभ तो अलग रहा, 8 प्रतिशत की दर से विनियोजित पूंजी पर हानि दे रहे हैं।

यहां पर एक सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो है, जो कि सम्भवतः 1975 में बना था। उसका काम यह है कि निगम और उपक्रम का त्रैमासिक निरीक्षण करे और यह भी है कि मार्गदर्शन का भी काम है और डिफीकल्टीज को भी रिमूव करने का काम है। इसके बावजूद भी अभी तक निगमों की स्थिति नहीं सुधर रही है। हो यह रहा है कि एक डायरेक्टर आफ फाइनान्स का पद था इस ब्यूरो में, जिस पर कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्ट्स का आदमी होना चाहिए था, एक आदमी था भी लेकिन वहां के एक सबसे बड़े अधिकारी और वह कोई दूसरे नहीं, एक सुपर ह्यूमन बीइंग होता है -- आई0 ए0 एस0 . . . .

एक सदस्य--

आपके जमाने में क्या होता था?

श्री राजेन्द्र सिंह–

इसका जवाब तो बाहर मैं आपको बता दूंगा यहां कहना ठीक नहीं होगा। बहुत पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूं। है तो गलत लेकिन विद रेसपेक्ट सभी से क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं। ऐसा हुआ एक किसानों की मीटिंग थी जब मैं मंत्री था, तो वहां एक वक्ता ने यह कहा कि आई0 ए0 एस0 एक अरबी घोड़ा होता है जो अपने सवार को चढ़ने नहीं देता, गिराने का प्रयास करता है। मैंने यह कहा कि समझ की गलती हो गयी। अगर इस पर गधा समझ कर कान पकड़ कर चढ़े होते तो चढ़ गये होते, तो निश्चित ही उन्हें कामयाबी मिलती।

मैं तो चार्ज लगाता हूं कि यह सरकार ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आयी है, इसीलिए ये ऐसी बातें करते हैं। श्रीमन्, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी पुरानी फाइल को देख लें, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने एक बात लिखी थी, उनकी बात तो मानेंगे, मेरी तो खैर मानते नहीं हैं कि निगमों के अन्दर एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे। लेकिन यहां यह हो रहा है कि 100 आई0 ए0 एस0 बैठे हुए हैं, यदि किसी को अच्छा स्थान नहीं मिलता तो वे अपने लेजर के लिये विदेश हो आते हैं। विदेश वे पिकनिक के लिये जाते हैं।

हमारे मुख्य सचिव, हमारे, समय में वित्त सचिव थे उस समय एक प्रस्ताव आया था कि निगमों में जो लोग जायें वह कैसे हों। उसमें लोगों की राय ली गयी थी। मेरा सुझाव उसमें यह था कि इसके लिए आप एडवरटाइज करें और यदि कोई व्यक्ति आई0 ए0 एस0 भी मिलता है और वह उसमें क्वालीफाई करता है तो आप उन्हें समझा दें कि निगम में आने के लिए उन्हें अपने केडर से इस्तीफा देना होगा।

श्री ब्रह्म दत्त–

सुझाव अच्छा है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

ऐसा हो रहा है हर साल कि सैकड़ों अधिकारी विदेश जाते हैं, विदेशों की ट्रिप करते हैं। इस प्रदेश के स्टेट आफिसर हैं, वह एक मैनेजमेन्ट एक्सपर्ट होने के लिए गये इंगलैण्ड, सरकार का पैसा खर्च किया। मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसा है कि आप उच्च अधिकारियों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो सिवाय जनता का धन खर्च करने के और कुछ नहीं होता, या तो आप उनके सर्विसेज वहीं कर दें और प्रापरली उन्हें वहीं एबजार्व कर दें परन्तु विदेश जाना उनके लिये लेजर ट्रिप न बनायें।

यही नहीं, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है सार्वजनिक ब्यूरो की, उसे इस सदन में पेश होना चाहिए ताकि इसकी प्रक्रिया को हम देख सकें। सेन्टर में ऐसा होता है। वहां जो ब्यूरो हैं इस तरह के, उसकी रिपोर्ट राज्य सभा और लोक सभा में पेश होती हैं और हुई हैं।

श्रीमन्, एक 'डेली टेलीग्राफ' नामक लन्दन का पत्र है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं–

श्री ब्रह्म दत्त–

वह भी आप पढ़ते हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या करूं, जब आपको फुर्सत ही नहीं है तो यह नेक काम मुझी को करना पड़ता है। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह लन्दन का प्रकाशित पत्र है आपकी अनुमति से मैं इसकी कुछ लाइनें पढ़ता चाहता हूं–

एकारडिंग टु आर्थर सेलडन, 'पब्लिक ओपीनियन इन इंगलैण्ड हैज आलसो बिकम एंज हास्टाइल एंज नेवर बिफोर एण्ड विल गो मोर हास्टाइल इन दि नेक्स्ट टेन इयर्स टु ब्युरोबिट्स नाट सो मच आन एकाउण्ट आफ दयेर पे बीइंग टू हाई बट बिकाज ब्यूरोक्रेट्स आर सिम्पली टू नर्वस व्हैनएवेर दयेर वाज एनी प्राबलम सोशियल, इकोनामिक आर पोलिटीकल ए न्यू डिपार्टमेन्ट, आथोरिटी बोर्ड, कमीशन, कमेटी आर पेनल इक्विप्ड विद वैरियस ट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेसनल्स, क्लर्क्स, डोरमैन, इटसेट्रा आर क्रिएटेड एंज दि साल्युशन।

[श्री राजेन्द्र सिंह]—

श्रीमन्, वही इस प्रदेश में हो रहा है। हर मर्ज की एक दवा दे देते हैं। आर्थर शेल्टन ने अपने लेख में लिखा है कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इंग्लैण्ड में भी बहुत बड़ा असन्तोष व्याप्त है और अगले 10 वर्षों में और ज्यादा असंतोष होने की सम्भावना है। यह इसलिये नहीं कि इनकी तनखाह ज्यादा है बल्कि इसलिए है कि इनकी संख्या, इनकी तादाद अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है और इनके पास हर प्रश्न का एक ही उत्तर है चाहे वह इकानामिक हो, पालिटिकल हो, या सोशल हो कि बोर्ड बना दिया जाये, कमीशन बना दिया जाये या कमेटी बना दी जाये या डिपार्टमेन्टल अथारिटी बना दें और उसमें वेलट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेटर रख दें। क्लर्क्स रख दें, पेज रख दें। एक कार दे दें और समस्या हल हो जायेगी। यही इसका तात्पर्य है। फिर उन्होंने आगे कहा है कि इफ ब्यूरोक्रेट्स एडवाइज्ड मिनिस्टर्स आन व्हेयर कट्स कैन बैस्ट बी मेड, और दमसेल्वज आर लैफ्ट टू मैक दम, वी मस्ट एक्सपेक्ट दम टू कट व्हेयर इट सूट्स दम, नाट दि पब्लिक। कहीं भी इनसे पूछा जाता है मितव्ययिता हम कहां कर सकते हैं तो यह मितव्ययिता कभी अपने बारे में नहीं बतायेंगे। जो इन को सूट नहीं करता ये पब्लिक का कभी ख्याल नहीं करते। इसके आगे पढ़े और लिखा है—एकार्डिंग टू ए स्टडी मेड इन आवर कन्ट्री आन जाब इवेल्यूएशन एण्ड असेसमेन्ट आफ दि टाइम डीवोटेड बाई गवर्नमेन्ट इम्पलाइज टू देयर आफिस वर्क वन थर्ड आफ दि इग्जिस्टिंग गवर्नमेन्ट इम्पलाइज एट दि लोअर लेवल कुड मेनटेन दि सर्विस आफ गवर्नमेन्ट विदआउट इम्पेयरिंग इफिसीएन्सी। यह एक सर्वे का निष्कर्ष है। इनका तथ्य है। इस देश में भी सर्वे हुआ और उसमें निष्कर्ष निकला कि लोवर लेविल में जितनी तादाद है, अगर उसका एक चौथाई कर दिया जाये तो भी काम चल सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी की प्राम्पटनेस का मैं आभारी हूं। अभी 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर जैसा मैंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने यह आशा व्यक्त की थी कि बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुरक्षा की भावना लोगों के मन में बनायेंगे। वह सेन्टेंस ज्यों का त्यों जोड़ा है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

अब इस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन चूंकि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर काफी कानून व्यवस्था के बारे में बोल चुका हूं, थोड़े से फेक्ट्स और जो मिले हैं, वे भी रखना चाहता हूं। वही फर्जी एनकाउण्टर्स की एक लिस्ट है 23 आदमियों की।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे द्वारा प्रस्तुत सूची में से किसी एक व्यक्ति के बारे में चैलेंज नहीं किया कि ये एनकाउण्टर्स फर्जी या सही नहीं थे या गलत थे। उन्होंने डकैतों के नाम तो गिनाये लेकिन उनमें से, उन्होंने बच निकलने के लिए नाम गिनाये, मैंने एक स्पेसिफिक सूची इस माननीय सदन की सेवा में रखी थी और मैं आशा करता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे और बतायेंगे कि इनमें से इतने सही और इतने गलत हैं या तमाम गलत हैं। लेकिन कुछ लोगों के नाम गिनाये जिनके नाम मैंने नहीं लिये थे। माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर वित्त मंत्री जी कहें तो आप के पास या वित्त मंत्री जी के पास सूची भिजवा दूंगा और मैं फिर तैयार हूं, एक भी व्यक्ति को चैलेंज नहीं किया कि यह पुलिस ने सही मारा या गलत 23 की सूची है...

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी मंशा मुझ से प्रतिवाद करने की है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

नहीं मान्यवर, लेकिन चूंकि बात आपके माध्यम से उधर जाती है इसलिए।

नाम हैं अनन्त राम, रमाकान्त पाठक, भारत सिंह, रामेश्वर कनौजी, विश्वनाथ सिंह, दिनेश सिंह, कुलभूषण सिंह, शिवपाल, अवधेश, बाबू जाटव, कल्लू, प्रकाश इस प्रकार मान्यवर, ये 23 नाम हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर उचित समझें तो इनमें से किसी की जांच करा लें।

इसके अलावा, अभी हाल ही में एक अनन्त राम का 19/20 की रात में एनकाउण्टर किया। टूण्डला पुलिस ने किया और सबसे अजीब बात यह है कि यह अननन्त राम वहीं कहीं वन विभाग में गार्ड था। वहीं टूण्डला के आस-पास। जैसे ही पकड़ कर लाया गया, उसके घर वालों ने अधिकारियों से कहा, उन्होंने टेलीग्राम दिया, डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 को और उसके बाद रात में ही किसी समय उसका इन्काउण्टर कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी यह कैसे सम्भव है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि टेलीग्राम विफोर टाइम अधिकारियों के पास पहुंच जाता है कि एनकाउण्टर होने वाला है, पुलिस ने अमुक को पकड़ लिया है, तो कैसे आप डिनाई करेंगे कि घर से नहीं पकड़ा गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के परिवार का कोई टेलीग्राम अधिकारियों के पास पहुंच जाता है कि पुलिस के पकड़ने और एनकाउण्टर होने के बीच में पहुंच जाता है तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निष्कर्ष यही निकलता है कि पुलिस ने उस को पकड़ कर फर्जी एनकाण्टर किया इसका कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इसी तरह से मैंने पहले भी कहा था कि फैजाबाद में असगर का एनकाउण्टर 11–12 दिसम्बर में हुआ। फर्जी एनकाउण्टर हुआ। उस समय मा0 गृह मंत्री भी फैजाबाद में मौजूद थीं। उसकी पत्नी आई इनके सामने रोई लेकिन एक स्त्री की वेदना भी शायद यह नहीं समझ पाई गृह मंत्री के रोब में। उसकी पत्नी को भी यह लाश नहीं दिला पाई। यह इन्सपेक्शन हाउस में थीं, वहां पर और भी कांग्रेस के लोग थे, वे निवेदन करते हैं कि आप प्रशासन से कहकर, पुलिस से कहकर लाश दिलवा दें लेकिन प्रशासन और पुलिस लाश नहीं देता है। उसको लाश नहीं मिलती है। जब यह गई थीं तब तो बहुत ताम झाम रहा होगा, सब अधिकारी और डी0 एम0 इनके आगे पीछे रहे होंगे लेकिन इनके आने के बाद 13 तारीख की रात को पुलिस ने उसका संस्कार एक यादव की झोपड़ी को तोड़कर उसमें उसको दफना दिया। शायद वह रोनाई की पुलिस थी मैं चाहता हूं वित्त मंत्री जी इसका पता लगवायें। यह कोई सार्वजनिक स्थान नहीं था बल्कि एक प्राइवेट व्यक्ति की झोपड़ी थी। इस तरह से पुलिस ने हिन्दू मुस्लिम झगड़ा करवाने का प्रयास किया और अज्ञात कहकर इसको किया। यह अखबार है, मा0 गृह मंत्री जी इसको देख लेंगी, वह शायद इसके बारे में ज्यादा जानती होंगी।

अब तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इस प्रदेश की सरकार ने अपनी पुलिस को महिलाओं के साथ बलात्कार करने की इजाजत दे रखी है। श्रीमन्, मैं ऐसा फील करता हूं। यह 'जागरण' है 22 जनवरी का इसमें लिखा है दरोगा के पुत्र द्वारा अबोध बालिका के साथ बलात्कार। श्रीमन्, फतेहपुर का केस है यह, इसको देखने का प्रयास करें। इसी तरह से श्रीनाथ यादव को 16-10-80 को चुनार थाने में, मिर्जापुर में जो बस में जा रहा था उसको मार दिया गया। डी-वाई0 एस0 पी0 के भाई बजरंग सिंह और कुंडल सिंह, यह दोनों लोग अपनी ही कार में यू0 टी0 एन0 591 में आये थे और बस से उसको जबरदस्ती निकाल कर गोली मारा। एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। कारण यह था कि बजरंग सिंह श्रीनाथ यादव से दो बार चुनाव में हार गये थे। इन दोनों डी-वाई0 एस0 पी0 के भाइयों ने श्रीनाथ यादव के यहां डकैती भी डाली और उसके पिता की हत्या भी कर दी थी लेकिन पुलिस के प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही 16-10-80 से आज तक नहीं हो पायी मामला शान्त पड़ा हुआ है। जो कुछ भी हम कानून व्यवस्था के बारे में

[श्री राजेन्द्र सिंह–]

कहते रहे वह तो बाहर की स्थिति थी लेकिन आज ही आपके नियंत्रण में जेल में रहने वाले कैदियों के साथ क्या होता है, कानपुर जेल की एक बड़ी ही घृणित सूचना है जो श्रीमन्, पत्रों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ? वहां पर व्यभिचार, जेल के अन्दर जहां सिर्फ आप ही मालिक हैं, कैसे होता है? क्या कभी इस दिशा में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना हृदय टटोला है या नहीं?

अब मैं आता हूं दूसरे अन्य प्रश्नों पर। श्रीमन्, यहां क्या हर देश के अन्दर दो वर्ग में श्रमिक बंटा हुआ है। एक होता है आर्गनाइज्ड लेबर, जो कुल 20 प्रतिशत है। इसमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक, स्वायत्त शासी कर्मचारी, औद्योगिक श्रमिक, व्यापारिक पूंजीपति ये सब इस वर्ग में आते हैं। व्यापारिक घरानों में भी छोटे-छोटे पूंजीपति जो होते हैं वे भी इसी वर्ग में आते हैं। ये सब 20 प्रतिशत लोग ही हैं। हम भी इस चीज को मानते हैं कि सरकार के सामने भी विडम्बनायें होती हैं, समस्यायें आती हैं। आज नैतिक मूल्यों का जो ह्रास होता जा रहा है उसके लिए भी दोषी वही लोग हैं। इसका कारण भी शासक वर्ग ही है। क्या कभी भी प्रदेश के नागरिकों के अन्दर देश भक्ति या नैतिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया गया है? नहीं किया गया है और दूसरी तरफ नैतिक मूल्यों को गिराने का ही प्रयास किया गया है। इस पर विचार होना चाहिए। आज हालत क्या है? लोगों की स्थिति क्या है? कोई भी संगठन हो, इसी लखनऊ में जब कभी कोई प्रदर्शन सड़कों पर निकलता है तो अक्सर उनका एक ही नारा होता है "हमारी मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो"। यह बड़ी भयावह बात है। मैं मानता हूं कि उनकी अपनी समस्यायें हैं लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस लेबर की जो समस्या है, उनकी जो मांगें हैं, उनको साल्व तो आपको ही करना होगा। जो सही मुद्दा हो, उस पर उनकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, यह बात तो अपनी जगह पर ठीक ही है। संगठन में होने के नाते से हमेशा सरकार को दबाते हैं और सरकार दबती भी है। लेकिन इसके दूसरे कारण भी हैं। सरकार ने पार्टी के साथ श्रमिक संगठनों में अपना अड्डा बना रखा है। इस प्रदेश में यह हालत हो रही है कि किसी भी औद्योगिक मसले को श्रमिक मंत्री जी नहीं सुलझाते जब तक कि वहां के संगठन माननीय मंत्री जी के ही कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं आ जाते। मैंने तो नाम भी लिया था। यह चीज नहीं होनी चाहिये। जब आपका ही नियंत्रण हो जाता है, जब वह संगठन आपके प्रभाव में आता है तभी उसकी बात को आप मानते हैं। लेकिन आप उन्नाव में क्यों नहीं मानें? क्योंकि वहां संगठन कांग्रेस (आई) के हाथ में नहीं है। रामपुर का श्रमिक वर्ग आप के हाथ में नहीं था। आजम जी के हाथ में था। कोई समर्थन आप की तरफ से नहीं था। यह डुयल पालिसी नहीं होनी चाहिए। एक पालिसी रखिये। नेशनल पालिसी है। लेकिन फिर उस पर मनन कीजिए और पुनः इस की रिकास्टिंग होनी चाहिए। इस लेबर पालिसी के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमन्, दूसरा एक सेक्टर हमारा गरीब है। अन-आरगैनाइज्ड लेबर का है। वह आरगैनाइज्ड नहीं है। लेकिन वह जनसंख्या का 80 प्रतिशत है। वह किसान और खेती पर काम करने वाला मजदूर है। कभी-कभी काम की तलाश में शहर में आ जाता है और यहां पर फुटपाथ पर सोता रहता है। ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। वह अन-आरगैनाइज्ड होने की वजह से सब से ज्यादा नुकसान उठा रहा है। आरगैनाइज्ड सेक्टर के मुकाबले, श्रीमन्, यह अन-आरगैनाइज्ड सेक्टर अधिक मेहनत करता है, अधिक कष्ट उठाता है और अधिक परिश्रम देता है, यह निश्चित है। फैक्ट्रीज के अन्दर आप के घण्टे बंधे हैं। इतने घण्टे में इतना काम होगा। आप ने प्रयास किया है। कामयाब होगा या नहीं, यह तो आगे की बात है।

जहां तक श्रीमन्, किसान का खेत का कार्य है उसे घण्टों से नहीं बांधा जा सकता उस समय तक जब तक सरकार उन को कुछ सुविधायें न दे जैसे बिजली की समस्या है। अब श्रीमन्, श्रमिक बैठा हुआ है। बिजली कब आये, कब न आये। कहने का आशय यह है कि उस के घण्टे आप निश्चित नहीं कर सकते और न यह हो पायेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन लोगों का काम होता है आसमान के नीचे और जो आरगैनाइज्ड सेक्टर है उस का पूरा काम होता है छत के नीचे, उसको सुविधायें अधिक हैं। लेकिन अभी सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि इस अन-आरगैनाइज्ड लेबर को, जितना कष्ट यह उठाता है, जितना परिश्रम करता है, जितनी तकलीफें कार्य करने में उस को होती है, उचित मुआविजा मिले, मूल्य मिले या उचित दाम मिले । यह कभी सरकार का प्रयास नहीं रहा। श्रीमन्, मैं अन-आरगैनाइज्ड सेक्टर के बारे में अभी कह रहा था। मैंने यह कहा कि यह खेती पर आधारित है और खेती इस का मुख्य पेशा है, कभी-कभी यह शहर में आ कर के बिल्डिंग कन्सट्रक्शन आदि का काम करता है और फिर अपने गांव को लौट जाता है। उस के बारे में हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी। अंग्रेजी में है। मैं हिन्दी अनुवाद कर दूंगा। फ्राम दि वैरी बिगनिंग इट हैज बीन माई फर्म कनविक्शन दैट एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स दि ओनली अनफेलिंग एण्ड पेरीनियल सपोर्ट टू दि पीपुल आफ दिस कन्ट्री.... कृषि ही एक स्थायी पेशा इस देश के लोगों का है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह आशय था। उसी कन्टीनुएशन में मैं यह कहना चाहता हूं कि अमेरिका में एक बिजनेस-मैन कमीशन बनाया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो स्थान इस कृषि प्रधान देश में होना चाहिए था, वह नहीं हुआ जबकि संसार के प्रगतिशील देशों में हमेशा इसको माना और स्वीकार किया गया। श्रीमन्, वहां पर अमेरिका के अन्दर 1926 में बिजनेसमैन ने एक कमीशन बैठाया। उस का मुद्दा यह था कि कृषि की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, उस के बारे में क्या थिन्किंग होनी चाहिए।

मैं आपकी इजाजत से पढ़े देता हूं। बड़ी अच्छी चीज है। शायद आपके काम आये। इसमें लिखा है:-

"एग्रीकल्चर इज नाट मियरली ए वे आफ मेकिंग मनी बाई रेजिंग क्राप्स; इट इज नाट मियरली एन इंडस्ट्री आर ए बिजीनेस, इट इज इसेंशियली ए पब्लिक फंक्शन आर सर्विस परफार्मड बाई प्राइवेट इंडिविजुवल्स फार दि केयर एण्ड स्यूअर आफ दि लैण्ड इन दि नेशनल इंटरेस्ट, एण्ड फारमर्स इन दि कोर्स आफ देयर परस्यूट आफ ए लिविंग एण्ड ए प्राइवेट प्राफिट आर दि कस्टोडियन्स आफ दि बेसिस आफ दि नेशनल लाईफ एग्रीकल्चर इज देयरफोर एफेक्टेड विद ए क्लीयर एंड अनक्वेश्चनेबिल पब्लिक इंटरेस्ट्स एंड इट्स स्टेटस इज ए मैटर आफ नेशनल कनसर्न, कालिंग फार डेलिबरेट एण्ड फार-साइटेड नेशनल पालिसीज, नाट ओनली टू कनजर्व दि नेचुरल एण्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इनवाल्वड इन इट, बट टू प्रोवाइड फार नेशनल सिक्योरिटी, प्रोमोट ए वैल राउण्डेड प्रोसपेरिटी एण्ड सिक्योर सोशियल एण्ड पोलिटिकल इस्टेबिलिटी."

मैं आशा करता हूं कि इस देश प्रदेश की सरकारें भी अगर इन्हीं बिन्दुओं पर कृषि के बारे में सोचना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इस देश में आर्थिक प्रगति आयेगी। श्रीमन् मैं इसका हिन्दी अनुवाद किये देता हूं। एग्रीकल्चर को केवल एक फसल उगाने का धन्धा, इन्डस्ट्री या बिजिनेस न माना जाय बल्कि यह एक राष्ट्रीय महत्व की चीज है और उसको राष्ट्रीय महत्व देकर उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सब रिसोर्सेज उसको मिलने चाहिए और उसे एक उच्च स्थान मिलना चाहिए।

श्रीमन्, इस बात को भी सब जानते हैं कि इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की गुलामी से निकालने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत तकलीफें और कष्ट

[श्री राजेन्द्र सिंह–]

उठाये थे जिनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी शायद कल्पना भी न कर सके। राजनैतिक आजादी तो मिली लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक प्रगति के लिए हमारे महान नेता सही मार्ग निर्देशन नहीं दे सके। प्रारम्भ में ही हैवी इंडस्ट्रीज पर अधिक बल दिया गया और कृषि को एक बेकार का धन्धा समझा। कम पैसे पर पी0 एल0 480 पर अनाज मंगाते रहे लेकिन उधर ध्यान नहीं गया। श्रीमन्, उसी के सम्बन्ध में हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, स्वर्गीय श्री नेहरू को यह आभास हुआ कि प्रायोरिटीज में गलती होती रही है। श्रीमन् इसी सिलसिले में 8 नवम्बर, 1963 को जो नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में नेहरू जी ने कहा था, मैं आपकी आज्ञा से उसे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं . . .

श्री ब्रह्मदत्त–

यह तो पढ़ा जा चुका है . . .

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं उसे सदन में पढ़ना चाहता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त–

सदन में भी पहले पढ़ा जा चुका है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय वित्त मंत्री जी मान रहे हैं कि सन् 63 में अपने जीवन के अंतिम समय में, माननीय स्वर्गीय नेहरू जी ने इसका अहसास किया था कि प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को मिलनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है और इसको आप भी मान रहे हैं। इसलिये मैं इसको छोड़ देता हूं। श्रीमन् मैंने अमेरिका की थिंकिंग का एक उदाहरण दिया, अपने देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की थिंकिंग का उदाहरण दिया। रूस की भी थिंकिंग इस बारे में आपको बता देता हूं।

श्रीमन् 24 जनवरी, 1961 को पायोनियर अखबार में प्रकाशित हुआ था ख्रुश्चेव साहब का बयान जो पोलिस ब्यूरो में दिया। उनका कहना है–दैट दि रेट आफ प्रोग्रेस आफ सच इंडस्ट्रीज एज स्टील वुड बी क्योर्ड टू मेक मोर रिसोर्सेज एवेलेबिल फार एग्रीकल्चर, व्हाट वाज दि यूज आफ ए लौट आफ दि स्टील इफ रेपिडली ग्रोइंग आर्मी आफ कन्ज्यूमर्स गाट आनेली ए लिटिल ब्रेड एण्ड बटर । क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। इसकी इकोनामी सही रास्ते पर लाने के लिए यही एक मात्र रास्ता है। जो देश काफी प्रगति कर चुके हैं वहां भी एग्रीकल्चर ही मुख्य मुद्दा है तो इसको जरूर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्रीमन्, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 1963 में माननीय पंडित जी ने इसे स्वीकार किया था। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी उन्होंने भी अपनी भूल को 12 साल बाद सुधारा था और आज इस देश की प्रधान मंत्री ने भी 12 साल बाद सुधारने की बात कही है और यह जो नया 20 सूत्री प्रोग्राम है, उसमें घुमा फिरा कर कृषि को प्राथमिकता दी है तो अपनी भूल को उन्होंने सुधारा है।

श्री ब्रह्मदत्त–

आपको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मैं धन्यवाद देता । लेकिन वह घुमाफिरा कर किया है और उनको पता नहीं रहता है कि क्या कहती हैं। माननीय वित्त मंत्री जी अभी मैं मुख्य द्वार से अंदर आ रहा था वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि "24 सूत्री कार्यक्रम की कमेटी की मीटिंग" श्रीमन्, इस सदन में हम 20 सूत्री कार्यक्रम डिसकस कर रहे हैं और भाषण में आ गया

20 सूत्री कार्यक्रम लेकिन इसी बिल्डिंग के अंदर एक बोर्ड 24 सूत्री का लगा हुआ है कि मीटिंग होने जा रही है। मैं तारीख पढ़ना भूल गया कि कब बैठक है तो 20 सूत्री के बदले 24 सूत्री चल रहा है। यह स्व0 संजय गांधी को भी भूल गये हैं सिवाय हमारे बाजपेयी जी के जिनके दिल में दर्द है, बाकी सब भूल गये हैं।

श्रीमन्, एक बार किसी महात्मा से हम जैसे किसी साधारण व्यक्ति ने पूछा कि राज्य के लिए कौन सी तीन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उस सेंट का कहना था कि किसी राज्य के राजा को पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था रखनी चाहिए, पर्याप्त सहनशक्ति होनी चाहिये और पर्याप्त लोकप्रियता भी होनी चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त–

वह तीनों हैं यहां।

श्री राजेन्द्र सिंह–

यह तो चिकने घड़े की तरह हैं जितना धो दो कोई असर नहीं पड़ता है। हम कितना प्रयास करते हैं कि यह चेतें, नहीं चेतते हैं क्योंकि ये चिते हुए बैठे हैं, मजबूरी है मेरी क्योंकि जो कर्तव्य मुझे सौंपा गया है, उसे मैंने निभाया है। लेकिन आपकी बुद्धि में घुसता नहीं है। आपकी मजबूरी है जब कभी चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे। उनकी ही जय बोलते थे, और आज राजा साहब की जय बोल रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं कर पायेंगे। तो फिर उन महात्मा से पूछा गया कि इनमें से कौन सी चीज छोड़ सकते हैं तो उनका कहना था कि सहनशक्ति को हटा सकते हैं लेकिन दो चीजें होनी चाहिए। मैं फिर आपसे फूडग्रोंस के बारे में कहना चाहता हूं कि 12 साल बाद यह ध्यान तो आया। तब तक देश बहुत पिछड़ चुका था और शायद 26 सौ करोड़ रुपये की हम सीरियल्स और दालें विदेशों से मंगा चुके थे। मैं थोड़ा सा बताता हूं कि इस सरकार ने पिछले 28 सालों में क्या किया। विदेशों से जो खाद्यान्न मंगाया गया वह किसी से छिपा नहीं है–चाहे श्रीमती इन्दिरा गांधी हों या नेहरू जी हों। कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जब इन्होंने विदेशों से अनाज न मंगाया हो और देश की जनता को उसे न खिलाया हो। . . . (व्यवधान) जो किसान के बारे में कुछ जानते नहीं केवल चेहरा लगाकर आ जाते हैं, उनके बारे में क्या कहूं? जहां तक कहने की बात है, आप सब जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, जिन चीजों को मैं कह रहा हूं आप न जानते हों। लेकिन मैं तो यह प्रयास करता हूं कि अगर आप कृषि को इस प्रदेश के अंदर आज 30-32 साल पहले ही प्राथमिकता देना शुरू कर देते, अगर अधिक उत्पादन का प्रयास हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत बड़े लेवेल पर किया होता तो आज देश की हर दिशा में दूसरी हालत होती। प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन जो बेस, रूप प्रकृति का होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। सिर्फ जनता पार्टी के तीन सालों में बाहर से कोई खाद्यान्न नहीं मंगाया गया था। हमने कम से कम भीख विदेशों में जाकर नहीं मांगी थी और आप आज तक विदेशों से भीख मांग रहे हैं और देश के सम्मान को घटा रहे हैं। आपकी सरकार ने पुनः विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया है . . .

एक सदस्य–

जो कुछ था वह सब आप खा कर भाग लिए तो और क्या होता?

(व्यवधान)

(2 बजकर 21 मिनट)

श्री ब्रह्मदत्त–

आप सिर्फ इतना बता दें कि 79-80 में कितना प्रोडक्शन यहां हुआ?

श्री राजेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, यह हमसे प्रोडक्शन पूछने से पहले यह भूल जाते हैं कि कितना भयंकर सूखा

[श्री राजेन्द्र सिंह]–

उस वर्ष था। इस प्रदेश की सरकार को जो बहुत बड़ा भ्रम है वह इस बात का है कि यह समझते हैं कि देश को आगे ले जाने का कार्य इन्हीं का है और इनको सही सलाह ब्यूरोक्रेट्स ही दे सकते हैं, और यह हमको तो दुश्मन समझते हैं। यदि इन्होंने इस फ्रन्ट पर हमारे सुझाव को भी माना होता, तो यह शायद स्थिति न आती। . . . . . (व्यवधान) मैं कहता हूं कि मैं और आंकड़े अपने मित्र को दूंगा, लेकिन मैं जब बैठ जाऊं तो आप निश्चित रूप से पूछियेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सदन को कन्विंस करने के लिए कि हर दिशा में प्रोडक्शन घटा है, सिर्फ गुण्डागर्दी में बढ़ा है। लेकिन उसके विपरीत हमने वस्तुओं के उत्पादन में पेस जो हमारे उत्पादन का रहा है, वह काफी अच्छा रहा है। पेस आफ प्रोग्रेस हमारा जो अच्छा रहा है वह जनता पार्टी की सरकार में रहा है, जिसे आप आज मेन्टेन कर रहे हैं। यह पेस आफ प्रोग्रेस 30 साल पहले होती तो आज हवा और दिशा बदली होती।

श्रीमन्, मैं बार बार कृषि पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि कृषि खाली अन्न उत्पादन ही नहीं करती है, वह रा मैटीरियल भी पैदा करती है जिससे उद्योग बढ़ते हैं। अगर रा मैटीरियल अधिक पैदा होगा तो उससे उद्योग भी बढ़ेंगे और प्रदेश की तरक्की होगी। इम्पोर्ट करके आप देश के उद्योगों की तरक्की नहीं कर सकते। अगर रेट आफ प्रोग्रेस की ओर आपने 30 साल पहले ध्यान दिया होता तो जितना आज आप पैदा कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इस समय पैदा होता। (व्यवधान) जो हमने नींव डाली थी उस पर आज आप चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त–

धन्यवाद, अब तो चल रहे हैं। इसी विषय पर एक दिन चर्चा हो जाये।

श्री राजेन्द्र सिंह–

हो जाये मान्यवर, हमें स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें।

श्री ब्रह्मदत्त–

मैं मान्यवर, क्षमा चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अमेरिका में एक विचार यह हुआ कि वहां की अर्थ व्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। यह भ्रम है कि अमेरिका की अर्थ व्यवस्था वहां की इण्डस्ट्री पर निर्भर करती है। एक अमेरिकन राइटर श्री लुइस बोमफील्ड ने कहा है :–

"इन जनरल, बोथ दि सिटीजन आफ यू0 एस0 ए0 एण्ड आफ दि वर्ल्ड थिंक आफ दि यू0 एस0 ए0 एज ए नेशन हूज पावर एण्ड वेल्थ इज आलमोस्ट होलली बेस्ड अपान इण्डस्ट्री. दिस इज लौजिकल इन व्यू आफ दि फैक्ट दैट दि यू0 एस0 प्रोडयूसेज मोर आफ मेनी इण्डस्ट्रियल कमोडिटीज दैन दि रेस्ट आफ दि वर्ल्ड पुट टुगेदर. इट इज लार्जली अननोन आर अनरिकोग्नाइज्ड दैट टि टोटल इन्वेस्टमेन्ट इन एग्रीकल्चर इन टर्म्स आफ लैण्ड, बिल्डिंग्स, लाइव स्टाक, मशीनरी एटसेट्रा.

"इन दि यू0 एस0 ए0 इट इज लार्जर दैन टि टोटल इनवेस्टमेंट इन इण्डस्ट्री. इट इज आलसो अनरिकोग्नाइज्ड दैट एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग इन दम वे आर अदर दि वेज्स सेलरीज एण्ड कांसीक्यूएन्टली, दि परचेजिंग पावर फार इण्डस्ट्रियल कमोडिटीज आर एराउण्ड फिफ्टी परसेन्ट आफ अवर पोपूलेशन. दिस इनक्लूयूड्स वाई फार दि ग्रेटर पार्ट स्माल टाउन्स एण्ड विलेजेज हूज इकोनामी इज आलमोस्ट इनटायरली बेस्ड अपान एग्रीकल्चरल परचेजिंग पावर एण्ड मेनी लार्जर सिटीज हूज मार्केट्स आर बेस्ड अपान लिव स्टाक एण्ड एग्रीकल्चर. देयर इज दि होल आफ दि वास्ट मियर एण्ड फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, दि ह्यूज एग्रीकल्चर मशीनरी, इण्डस्ट्री एण्ड लार्ज सेगमेंट्स

आफ दि आटोमोबाइल, स्टील, रबर इण्डस्ट्रीज एण्ड अदर इण्डस्ट्रीज व्हिच आर डिपेंडेंट फार प्रासपोरिटी एण्ड इम्प्लायमेन्ट अपान एग्रीकल्चरल परचेजिंग पावर।''

इस राइटर ने यह बात कही है कि यह भ्रम है कि अमेरिका की जो माली हालत है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो प्रगति है, वह इण्डस्ट्री से है। यह बिल्कुल विपरीत है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 50 फीसदी कृषि के योगदान पर है। लेकिन बेश आफ प्रोग्रेस जो है, हम यह नहीं कहते कि आप इसको अमेरिका बना दें। मैं नकल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमारी अपनी परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप कृषि को प्रायरटी देकर किसान का उत्पादन बढ़ाकर उसके उत्पादन का सही मूल्य देकर परचेजिंग पावर बढ़ायें।

अब मैं कुछ बातें आंकड़ों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे साथी ने एक आंकड़ा पूछा। आपकी जो सांख्यकी छपती है इसमें दो साल के है आगे का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में अर्थशास्त्री और कृषि के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कहा है और इस जमीन की बहुत कुछ मान्यता रही है। वैसे तो मैं बहुत सी चीजें पैदा करता हूं। लेकिन 2-3 चीजें चावल, गेहूं हमारी मेन क्राप है। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में धान की खेती सैकड़ों हजारों साल से चली आ रही है हमारे फोर फादर के फोरफादर ने शुरू किया था। पंजाब और हरियाणा ने 10 वर्षों से शुरू किया और आज प्रति हेक्टेयर उनकी पैदावार ज्यादा है और हमारी कम है। वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है? सैकड़ों हजारों साल से जिस चीज को करते चले आ रहे हैं वह क्यों ज्यादा नहीं कर सकें? मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को खेती का ज्ञान कम है। मेरी समझ से माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको खेती के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वित्त मंत्री जी जहां से आते हैं, वहां पर गेहूं की फसल अच्छी होती है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

76-77 में गेहूं का पर हेक्टेयर ईल्ड थी कुंटल में, वह सुनाये देता हूं। पंजाब में 24.32, हरियाणा में 20.29, पश्चिम बंगाल में 20.40, गुजरात में 14.75, उत्तर प्रदेश में 13.5। हमारे प्रदेश में इतना हुआ श्रीमन्। सन् 77-78 में बढ़कर 14.62 हुआ। 1.12 परसेंट बढ़ा। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। छोटा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार नहीं है। यह इनकी श्रीमन्, बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन पिछले ढंचे पर हम खड़े हैं, तो समय लगेगा। आपकी सरकार से मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसको एडेमिट करें, अगर कोई गलतियां हुई हैं।

आज हमारा कृषि में विकास बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। इस तरह से श्रीमन्, यह मैंने गेहूं के बारे में बताया। अब चावल का श्रीमन्, सुन लीजिए। चावल उत्तर प्रदेश में 76-77 में 9.22 कुन्टल पर हेक्टेयर, हरियाणा में 24.70 पचिम बंगाल में 11.43, गुजरात में 12.18, उड़ीसा में 7.35। मैं फिर कहना चाहता हूं, हालांकि वह बढ़कर 77-78 में यह उत्पादन 9.22 की जगह 10.69 हो गया। लेकिन श्रीमन्, उसी रेशियो में हरियाणा का 28.05 हो गया। यह किसने मना किया कि कृषि के लिए पानी का प्रबन्ध न कीजिए, हम तो यह कहना चाहते हैं, वही मेरा निवेदन है कि आप नहीं जानते थे, क्योंकि किसान के परिवार से नहीं आये थे। इसमें ये नहीं जानते थे कि कृषि के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता थी, वरना ये तो पिछले 5-6 वर्षों में पानी और बिजली की व्यवस्था कर देना चाहते थे। आज भी आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर कर रहे हैं। क्या मिला किसान को,

[श्री राजेन्द्र सिंह]

यह हम देखना चाहते हैं। गन्ने की भी उसी तरह से बढ़ोत्तरी हुई है, जो प्रोग्रेस की परसेंटेज थी, वह 77-78 में बढ़ी। आप उसको मेनटेन कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई है। लेकिन आवश्यकता यह है कि बहुत बढ़ाना चाहिए था, जिस रेशियो से गरीबी बढ़ती चली आ रही है, उसी रेशियो से बढ़ाना चाहिए था। आज 48 फीसदी आदमी गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप यह समझते हैं कि आपके यहां खाद्यान्नों का भंडार एफ0 सी0 आई0 के गोदामों में है। आपने यह देखकर समझ लिया कि खाद्यान्न बहुत ज्यादा है, तो यह आपकी भूल है। यदि इस 48 प्रतिशत जनता की परचेजिंग पावर बढ़ी होती तो जनता गरीबी रेखा के नीचे न होती और यदि गरीबों को पूरा भोजन मिला होता तो आपके भंडार भरे न दिखाई पड़ते और अनाज की कमी हो जाती।

मान्यवर, 4 कन्टरीज के आंकड़े मेरे पास हैं जैसे चीन, जापान, रिपब्लिक कोरिया और इंडिया के चावल के परसेन्टेज के बारे में कहना चाहता हूं कि आंकड़े प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में हैं। इंडिया में उत्पादन 1975 के0 जी0, कोरिया में 6551 कि0 ग्रा0, चीन में 3534 कि0 ग्रा0 और जापान में 6250 कि0 ग्रा0 पैदा करते हैं। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि इस देश की भूमि कृषि के लिए अच्छी नहीं है और यह भी नहीं कह सकते कि इस देश का किसान और मजदूर मेहनती नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमने किसान को कृषि की आवश्यकताओं की चीजों की समय से पूर्ति नहीं की। आप चाहे स्वीकार न करें लेकिन यह सत्य है।

मान्यवर, सीरियल्स और पल्सेज विदेशों से इस देश को 26 सौ करोड़ रुपये की मंगानी पड़ी है। सीरियल्स की स्थिति यह है कि हम पैदा करते हैं 1282 के0जी0 प्रति हेक्टेयर, जापान 5880 के0 जी0, कोरिया 5460 के0 जी0, यू0 के0 4471 के0 जी0, जर्मनी 4357 के0 जी0। तो इसमें देखें कि हम कहां स्टैण्ड करते हैं, लास्ट में हम स्टेण्ड करते हैं। 55 देशों में हमारा 42वां नम्बर है। इसी तरह से पल्सेज में इंडिया 524 के0 जी0 प्रति हेक्टेयर, बेल्जियम 3414 के0 जी0, कोरिया 3286 के0 जी0, यू0 के0 2559 के0 जी0, जर्मनी 2866 के0 जी0, तो इसमें भी हमारा स्थान 42वां है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या यहां की जमीन इनके लिये उपयुक्त नहीं है या किसान और मजदूर मेहनती नहीं है? तो यह कहकर आप बचने की कोशिश न करें। लेकिन आप कहेंगे कि उनकी इम्प्रूव्ड टेक्नोलोजी है। तो इसके लिये आपको किसने मना किया है कि आप कृषि में इम्प्रूव टेक्नोलोजी न करें। लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी यह ब्यूरोक्रेसी आपको पनपने नहीं देगी।

मान्यवर, एक बेन्योर पैटर्न आया था लेकिन उसको हम भी लागू नहीं कर सके। इस देश में इसको स्वीकार किया गया है। बेन्योर कृषि के मामले में लर्नेड और विख्यात व्यक्ति हैं लेकिन मैं अपने फेल्योर को स्वीकार करता हूं। मैं जब कृषि मंत्री था और ए0 पी0 सी0 आज के मुख्य सचिव थे, तो हमने बहुत प्रयास किया और अन्त में बात आयी कि एक कमिश्नरी में लागू किया जाय, चूंकि पूरे सूबे में लागू करने को कोई तैयार नहीं था, जब उसके परिणाम अच्छे होंगे तो पूरे प्रदेश में उसको लागू किया जायेगा लेकिन श्रीमन्, वहां के डी0 एम0 एग्री नहीं किये। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, जाहिर सत्ता में से कोई चीज निकलती है तो वह उसको बर्दास्त नहीं करती है। इस ब्यूरोक्रेसी का कृषि से कोई वास्ता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं। एक अहम मसले पर बोल रहे हैं। सामान्य बजट से ज्यादा अहम मसला इस समय कोई नहीं है। लेकिन शासन की तरफ से कोई जिम्मेदार मंत्री माननीय नेता विरोधी दल को सुनने के लिए यहां पर नहीं बैठा है।

एक सदस्य–

इनको दिखायी नहीं दे रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

उत्तर प्रदेश शासन की शेरनी बैठी है, वर्मा जी जरा गौर करिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी मंशा जिम्मेदार से किससे है, बता दें?

श्री राम आसरे वर्मा–

कम से कम मुख्य मंत्री जी को यहां पर होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी के अलावा और किसी को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं?

श्री राम आसरे वर्मा–

वित्त मंत्री जी अब आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या माननीय गृह मंत्री जी कम जिम्मेदार हैं? (हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा–

यह तो माननीय गृह मंत्री जी बता सकती हैं कि वह कितनी जिम्मेदार हैं, यह मैं नहीं बता पाऊंगा। या फिर इस प्रदेश की जनता जानती है कि वह कितनी जिम्मेदार हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

कभी आजमाया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे डर है इस बात का कि अगर इस तरह से कहेंगे तो कहीं घर में जाकर आप लोग गैर जिम्मेदार घोषित न कर दिये जायं।

(हंसी)

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, अभी मुझको विधान परिषद् में एक विधेयक पेश करना है और एक वक्तव्य देना है। मैं जाने की इजाजत चाहूंगा। माननीय नेता विरोधी दल जो कह रहे हैं मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं और वह जो कुछ कहेंगे उसका अध्ययन करके जवाब दूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कृषि एक टेक्निकल विषय है। हर जिले में चीफ डेवेलपमेंट अफसर की पोस्ट, क्रियेट हुई है। क्या हमारे पशुपालन विभाग का, क्या कृषि विभाग का क्या हमारे मेडिकल हेल्थ विभाग का कोई व्यक्ति सभी विभागों को कोआर्डिनेट करने के लिया सक्षम नहीं है? आप इसका प्रयास करेंगे यह निवेदन है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े आपकी आज्ञा से माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी महामाहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे थे, इंटरवीन कर रहे थे तो उस पक्ष की तालियों की गड़गड़ाहट में उन्होंने एक बात कही। मैं वह पढ़ देना चाहता हूं। 119 पृष्ठ पर है। उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए जहां तक नहरों से सिंचाई की व्यवस्था का सवाल है, उसके लिए ट्यूबवेल की मरम्मत का अभयान चलाया गया। मैं स्वयं ही ट्यूबवेल पर जांच के लिए जाता था और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां गतवर्ष ट्यूबवेल 286 घंटे चले थे, 1980-81 में वह ट्यूबवेल 288 घंटे चले। श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी के इतने प्रयास के बाद, हर जगह हेलीकाप्टर से जाने के बाद और मेहनत करने के बाद रेजल्ट निकाला यह कि गत वर्ष की अपेक्षा में 286 की जगह इस प्रदेश के नलकूप 288 घंटे चले हैं, मात्र दो घंटे अधिक।

एक सदस्य—

बढ़ा है घटा नहीं है और उस समय नहरों में पानी आ चुका था।

श्री राजेन्द्र सिंह—

एक बात उन्होंने और कही प्रति व्यक्ति आय के बारे में, जबकि आजादी के मिले हुए लगभग 30-32 वर्षों का समय हो चुका है, कई पंच वर्षीय योजनाएं बन जाने के बाद अरबों और खरबों रुपये खर्च हो जाने के बाद जो स्थिति आज होनी चाहिए थी, वह न होकर बजाए यहां के प्रति व्यक्ति स्टेट्स बढ़ने के और घटा है इस प्रदेश का, हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में। सन् 76 से हमारे पास आंकड़े हैं।

1976-77 में प्रति व्यक्ति आय	730	रु0 थी
1977-78 में ,, ,,	834	,,
1978-79 में ,, ,,	949	,,
1979-80 में ,, ,,	965	,, और
1980-81 में ,, ,,	981	,, मात्र।

तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रगति में संतोष कम्प्रेटिव फीगर्स पर होगा और यह तो हमारी अक्षमता ही मानी जायेगी कि हिन्दुस्तान के और राज्य अपनी क्षमता, कुशलता और मेहनत से अपने यहां की प्रति व्यक्ति आये हमारे यहां से कई गुना बढ़ा लें और हम बढ़ने में अक्षम हैं, यह स्वीकार कर लेना भले आदमी ही का काम है।

पंजाब की प्रति व्यक्ति आय	रु0 2101 है
महाराष्ट्र की प्रति ,, ,,	रु0 1694 है
पश्चिम बंगाल ,, ,,	रु0 1279 है
आंध्र प्रदेश ,, ,,	रु0 1080 है तथा
राजस्थान ,, ,,	रु0 1025 है।

केवल बिहार की हम से कम है तो श्रीमन्, यह हमारी मेहनत का नतीजा है और हम कहते तो बहुत लम्बी चौड़ी बातें हैं लेकिन अन्य हमारे ही प्रदेशों से हम कितने पीछे हैं, यह बड़े शर्म की बात है। श्रीमन्, फिर उपलब्धियों की बात आयी। इसमें आंकड़े क्या कह रहे हैं, यह देखने की बात है, आपके द्वारा ही जो आंकड़े दिए गये हैं, उन्हें पेश कर रहा हूं। सन् 79 हमारा साल था और 80-81 आपका वर्ष है। ग्रामीण एवं लघु उद्योग में नई औद्योगिक इकाईयां जो खोली गई हैं वर्ष 79-80 में वह 5,990 थीं और वर्ष 80-81 में केवल 5,000 और जो एलोपैथिक अस्पताल खोले गये 79 में, हमारे जमाने में उनकी संख्या थी 83 और आपके जमाने में 80-81 में 79 ही खुले, इसी प्रकार आयुर्वेदिक और यूनानी हमारे जमाने में 85 खुले और आपके समय में केवल 65 अस्पताल ही खुले और होम्योपैथिक अस्पताल दोनों में 31-31 बराबर रहे। और शिक्षा के संबंध में सन् 79-80 में 2, 170 स्कूल खोले गए और 80-81 में 1078 ही स्कूल खुले और श्रीमन्, इसी प्रकार से माध्यमिक स्कूल 79-80 में 639 खोले गए थे और आपके जमाने में 80-81 में केवल 230 माध्यमिक स्कूल खुले। ग्रामों के अंदर कुओं की संख्या हमारे समय में 3,518 तक पहुंच गई थी और अब केवल 1,669 तक ही संख्या पहुंच सकी है। और आवास व्यवस्था की प्रगति देखिए वर्ष 1979-80 में भवन निर्माण का कार्य, 9882 भवनों का निर्माण हुआ और वर्ष 80-81 में 920। मलिन बस्तियों के सुधार में दोनों सालों में 80-80 निकला है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में,

9882 भवनों का निर्माण हुआ और वर्ष 80-81 में 820। मलिन बस्तियों के सुधार में दोनों सालों में 80-80 निकला है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में, जैसा मैंने कहा कि विद्युत हमारी प्रगति की रीढ़ है, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कृषि के विकास के लिए विद्युत आवश्यक है, इंडस्ट्रीज के लिए भी विद्युत की आवश्यकता है, यह एक इसेन्सियल उद्योग है, जिसमें बहुत तेजी से प्रगति होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति यूनिट के हिसाब से 89 पूरे साल का आता है, पंजाब का है 308, हरियाणा का है 212, महाराष्ट्र का 238, गुजरात 230, कर्नाटक 115, पश्चिम बंगाल 115, राजस्थान 93 और उड़ीसा है 96, जब कि हमारा है 89, यह है हमारी प्रगति।

उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय—जैसी अभी बात आ रही है और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कृषि और उसी वर्ग की आने वाली सेवाओं में जिस रेशियो से व्यय होना चाहिए था, वह आपके जमाने में नहीं हुआ। हर साल बजट के हिसाब से प्राविधान हमने भी किया आपने भी किया। पंच वर्षीय योजनाओं में जहां कृषि और सम्वर्गीय योजना पर चौथी पंचवर्षीय योजना में 230.97 करोड़ रु0, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 74 से 77 तक 273 करोड़ रु0 खर्च हुआ था, वहां 79-80 में 121.16 करोड़ रु0 गत वर्ष में खर्च किया। जहां प्रति पंचवर्षीय योजना में 5 साल के लिए प्रबन्ध होता था 220 वहां पर 79-80 में 121.76 करोड़ रु0 हुआ। मैं फिर कहना चाहता हूं कि "पेस आफ प्रोग्रेस" इस देश को सही मार्गदर्शन का काम जनता सरकार ने किया। आपको उसको फालो करना होगा वरना आप छिपा नहीं पायेंगे। सहकारिता और जल विद्युत में भी वही हाल रहा 79-80 में 442.65 करोड़ रु0 खर्च हुआ जब कि 78-79 में 438.14 करोड़ हुआ था, जबकि आपका 74, 75, 76, 77 में 1242.43 करोड़ रु0 आपने रखा।

पक्की सड़कों की बात आती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में उसमें हजारों किलो मीटर भूमि को सुधारने की बात थी कि 36.11 में सुधार होगा। 1977-78 में 2,550 थी, 1978-79 में 3,660 हुई और 1980-81 में 4,020 हुई। सड़कों के निर्माण में भी जनता सरकार के प्रयास को, आप कितना ही प्रयास करें, उनके प्रयास को भुलाया नहीं जा सकता है।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजनाओं में आप विकास की दरों की ही बात को ले लीजिए। इस पर कितना खर्च किया आपने? प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 25 रु0 परिव्यय था, जब कि एवरेज था 36–38 रु0 का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिव्यय था प्रति व्यक्ति का 32 रु0 जबकि एवरेज था 52 रु0 आल इंडिया बेसिस पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिव्यय था 72 रु0 और आल इंडिया बेसिस पर एवरेज था 92 रु0। चौथी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय था 123 का और आल इण्डिया बेसिस पर एवरेज था 142। इसी तरह से 1977-78 में था 78, 1978-79 में था 86 और 1979-80 में था 97।

हमारे उत्तर प्रदेश के मुकाबले में पंजाब और हरियाणा क्यों समृद्ध कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं निवेदन करता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपने ही दल के विधायकों को कुछ ऐसी समितियां बना दें कि वे खाली पिकनिक के लिए ही दौरा न करें, जैसा कि कर रही हैं बल्कि ऐसी कमेटियां बना दें कि वे प्रदेश-प्रदेश जा कर देखें कि उनकी स्वायल प्रोग्रेस क्या है, वहां पर भूमि सुधार कैसे हुआ। ये कमेटियां अपने अधिकारियों के लबादे को ज्यादा न ले जायें, बल्कि वहां पर जा कर स्टडी करें, कुछ अध्ययन करके आयें कि किस तरह से उस प्रदेश ने इतनी प्रगति की है और आकर अपनी कमेटी में बतायें जो कि यहां सदन में अपने सुझाव शासन को प्रस्तुत करें।

[श्री राजेन्द्र सिंह–]

हो सकता है कि हमारे और आपके सोचने में अन्तर हो पर हमारा और आपका ध्येय एक ही होना चाहिए। आप पता लगा लें श्रीमन्, जी0 टी0 रोड जो कानपुर हो कर गयी है वहां आप पायेंगे हजारों हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा माननीय सदस्य आप पंजाब जायं, हरियाणा जायं और वहां आप पायेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कितने अल्प समय में कैसे भूमि का सुधार किया है। जमीन एक ठोस वस्तु है, कोई नाईलान या स्टैचलान नहीं है कि उसे आप स्ट्रेच कर लेंगे। आपने कृषि की भूमि पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया है, वहां पर एक-एक मंजिल की बिल्डिंग बन रही है। यदि आपकी आबादी ज्यादा है और आप आवास व्यवस्था को सुलझाना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाते? एक-एक मंजिल के भवन बना करके आपने सब्जी पैदा करने वाली लखनऊ की (पूर्व) में 10 हजार हेक्टेयर भूमि अध्याप्त कर ली है। आप मैनपुरी और एटा जैसी जगहों में जहां की जमीन ऊसर और बंजर पड़ी हुई है, वहां एक मंजिली इमारतें नहीं बनवाते हैं? जो अच्छी, उत्तम कृषि योग्य भूमि है उन पर आप मकान बनवाते चले जा रहे हैं और ऊसर और बंजर भूमि पर नहीं बनवाते हैं। तो इस तरह से भूमि सुधार की ओर कोई प्रगति नहीं हो रही है।

मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि डकैतों की समस्या के लिए आप उद्यान विभाग के अन्दर पता लगाइये। मैंने एक योजना बनायी थी कि जो इटावा और जालौन का क्षेत्र है यहां पर साइट्रिक की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। तो उस क्षेत्र में अच्छे नीबू पैदा हो सकते हैं। यदि आप यहां पर नीबू के पेड़ लगा दीजिए, उनके बाग लगा दीजिए, और जैसा कि आप कहते हैं कि आप लैण्ड लेस लोगों की मदद करना चाहते हैं तो उस जमीन को ऊंचा-नीचा करके ठीक करवा दीजिए। यह तरीका है, इस तरह से आप इसको फ्रूटिंग स्टेज पर बनवा दीजिए और जो श्रमिक उस पर पिछले 5 साल से रहा हो, उसको दे दीजिए और जब तक वह फ्रूटिंग स्टेज पर नहीं आते तब तक उसको नौकरी दीजिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कि आपके पास इतनी जमीन है, अगर आप उसको सही दिशा दे दें तो आप इस प्रदेश के भविष्य को सुधार सकते हैं, उसमें चार चांद लगा सकते हैं लेकिन जब आपके हृदय में कुछ करने की भावना हो तभी आप कुछ कर सकते हैं।

इसी तरह से विकास के लिए बहुत कुछ कहा गया। यह विकास दर 1.4 और 1.9 थी हमारे पूर्वजों के समय में। आज उस समय की गलती दोहराने से काम नहीं चलेगा लेकिन यह मानना पड़ेगा कि जो प्रगति में कमी हुई है, उसके लिए हम प्रयास करें। यह विकास की दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 4 प्रति थी और हमारे प्रदेश में 1.8 थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 2.3 थी जो यहां 1.6 थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 4.3 और यहां 2.3 थी तो यह सब क्यों हो रहा है, यह आपको सोचना पड़ेगा। आप अपनी भावना को ठीक करें और इस प्रदेश को सही दिशा देने का प्रयास करें तो शायद हम सब विपक्ष के लोग आपसे सहमत होंगे। मैं श्रीमन्, फिर इसके साथ एक बात कहना चाहता हूं कि यह बार-बार कहा भी गया है कि यह एक भ्रमित और थोथे नारों की सरकार रही है।

श्रीमन्, यह पिछला वर्ष यू0एन0ए0 ने विकलांग वर्ष के रूप में मनाया। यहां भी यही हुआ कि इसको विकलांग वर्ष के रूप में मनाया जाय। इण्डिया टुडे ने उससे कम्पेयर किया है इस विकलांग वर्ष को और उसने कहा है कि हिन्दुस्तान को इससे अच्छा कोई एडजेक्टिव नहीं दे सकते विकलांग के अलावा। इण्डिया टुडे में यह लिखा है– मैं आपकी अनुमति से इसको कहना चाहता हूं–

"दि यूनाइटेड नेशन्स क्राइस्टेड इट दि 'इयर आफ दि डिसएबिल्ड' एण्ड आइरॉनिकली इनफ, नो अदर कैचफ्रेज कुड हैव डिस्क्राइब्ड 1981 बेटर एज फार एज इंडिया

वाज कनसर्न्ड। टू आल इनटैन्ट्स एण्ड परपजेज 1981 वाज ए इयर फुल आफ साउन्ड एण्ड फ्यूरी सिगनिफाइंग नथिंग मच''।

इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सके सिवाय इसके कि इस देश, प्रदेश और एडमिनिस्ट्रेशन को आपने विकलांग बनाने का प्रयास किया। अब एक और नारा आ गया है। बड़ा प्यारा नारा दिया माननीय प्रधान मंत्री ने और श्रीमुख से निकला राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख से इस मा0 सदन में श्रमेव जयते। श्रीमन्, यह नारा 26 तारीख से पहले ही दे दिया गया था और राजा ने भी 26 तारीख को इस प्रदेश के लोगों को बधाई सन्देश भेजते हुए ब्राडकास्ट में कह दिया था लेकिन इस माननीय सदन से मैं निवेदन करूंगा कि अगर राजा साहब की भावनायें इस श्रमेव जयते से मिलती होतीं और इनको सम्मान होता तो 26 जनवरी को इस बहुखण्डी (सचिवालय एनेक्सी) का उद्घाटन कोई श्रमिक ने किया होता। लेकिन राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस दिन अपनी फोटो वहां खिंचवायी। क्या यही उनका सम्मान आपने किया है? राष्ट्रनायक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनका सम्मान किया लेकिन आपने क्या किया? अब आप चुप क्यों हो गये। नारा आता है प्राइम मिनिस्टर के यहां से लेकिन यहां संगमरमर का पत्थर लगाया जाता है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम का। कहा यह जाता है कि यह श्रमिक कल्याण और उत्पादन बढ़ाने का वर्ष है। क्या इसी तरह से श्रमिकों का कल्याण होगा और उत्पादन बढ़ेगा जब कि श्रमिकों में अशान्ति हो, ऊर्जा की कमी हो, कोयले की अनुपूर्ति हो, अपेक्षित कुशलता न हो, सारी चीजों का अभाव हो, इन सभी के रहते हुए क्या कभी भी आप प्रोडक्शन को बढ़ा पायेंगे? हमें तो शक पैदा होता है कि इस तरह से उत्पादन बढ़ पायेगा।

अब मैं अन्य बातों पर आता हूं। अभी यहां पिछले दिनों राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने हमारे साथी मोहन सिंह जी को एक पत्र खीज में दिखलाया था जिसमें उन्होंने एक इंसपेक्टर के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। उस दिन हमारे सभी साथी आपसे मिलने गये थे। हमारे राजा जी भी थे। एक सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के सम्बन्ध में गये थे। वहां भी इन्होंने कहा कि एक इंसपेक्टर के ट्रांसफर के लिये मैंने आपको लिखा था, तो राजा साहब ने जवाब दिया कि वहां का कांग्रेस आई0 का विधायक हम पर प्रेसर डाल रहा है, वह नहीं चाहता कि वह यहां रहे। श्री सिंह ने ट्रान्सफर के लिये एक पत्र लिखा, हम सभी लिखते हैं, मैं तो रोज अपने क्षेत्र के किसी आदमी के लिए या जान पहचान वाले आदमी के लिए पत्र लिखता रहता हूं लेकिन कलम तो आपके हाथ में है। निर्णय तो आपको ही करना है, हम कोई जबरदस्ती कलम पकड़ कर तो लिखवा नहीं लेंगे। अभी भी विद्युत विभाग में ट्रांसफर हुआ है और हर जगह रोज हो रहा है। सिंचाई विभाग में ही 15 दिन पहले हुआ है। किसी के ऊपर हम दबाव नहीं डालते। यह जरूर है कि राजा साहब ने एक नयी परम्परा डाली है। वे बड़े ही चतुर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके माध्यम से मैं सभी को बतला देना चाहता हूं कि राजा साहब के माध्यम से जब कोई सिफारिश की जाती है तो वह कागज पर नहीं आती। कागज के बजाय उस सिफारिश की वे टेप-रिकार्डर में भर कर लाते हैं और अपने सचिवालय में अधिकारी को बुलाकर उसे टेप रिकार्डर से नोट करवा देते हैं। इसी तरह से चोर तो राजा साहब के मन में है। वे जिस तरह से भी चाहते हैं इस प्रदेश के अधिकारियों पर दबाव डाल कर अपना काम करा लेते हैं और इसीलिये उन्होंने एक नया तरीका टेप रिकार्डर का निकाला है।

अब मैं माननीय काशीनाथ जी का एक पत्र जिसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है, आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उसे बाद में मैं आपके पास भेज दूंगा। शायद वे हैं नहीं यहां, चले गये हैं। श्री काशीनाथ मिश्र ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री को 25-12-81 को यह पत्र लिखा है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, जनपद गाजीपुर और

[श्री राजेन्द्र सिंह]

बलिया को जोड़ने वाली सड़क, जो दोनों जिलों के अन्दर "पिच" बन गयी है, टोंस नदी से प्रधानपुर घाट पर विभक्त है। यह गाजीपुर और बलिया के दोनों इलाकों की घनी आबादी से गुजरने वाली सड़क है और इस पर पुल बन जाने से दोनों जनपदों को व्यापक जनसंख्या के आवागमन एवं व्यापार के दृष्टिकोण से यह सड़क उजियारघाट पर बक्सर और बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों से मिली है और दूसरी ओर गाजीपुर और वाराणसी से मिली है। अतः व्यापक जनहित को देखते हुए टोंस नदी के प्रधानपुर घाट पर ही पुल का निर्माण लाजिमी है।

उप मंत्री, गृह, खाद्य एवं रसद, बाबू सुरेन्द्र सिंह, अपने गांव और अपने परिवार के हित में तिराहीपुर पर, जहां उनका घर है और दूसरी पार में उनकी खेती होती है, अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर, पुल का निर्माण कराना चाहते हैं। अतः राज्य की योजना निर्माण एवं विकास संबंधित उद्घोषित नीतियों के अनुरूप जनहित में, कृपया प्रधानपुर घाट पर ही पुल बनाये जाने के आदेश जारी करने की महती कृपा करें। ह0 काशीनाथ मिश्रा राज्य मंत्री, सूचना एवं नियोजन उ0 प्र0।

श्रीमन्, माननीय हमारे साथी (शैम, शैम की आवाजें) माननीय मोहन सिंह जी ने लिखा गजब हो गया लेकिन यहां मंत्रिमंडल का एक साथी दूसरे साथी से कहता है कि यह नाजायज दबाव डाल रहे हैं। राजा साहब लीजिए एक्शन। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के श्रीमुख से यह चीज सदन में निकले।

श्रीमन्, फिर एक चीज आई। रविवार 31 जनवरी का है। इसमें निकला है "कर्मचारी का तबादला रोकने के लिए एक मंत्री का पत्र"। नाम का पता नहीं चल पाया। हमारी दीदी जी सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कहीं किसी पत्रकार को बंद कर कर दगी। इसमें लिखा है "अधिकारियों ने भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जितनी कार्यवाही की है, उसे मंत्रियों और नेताओं के दबाव में या तो वापस ले लिया गया या वापस लेने की कार्यवाही चल रही है।" श्रीमन्, सरदार हुसैन एक सैनिटरी सुपर-वाइजर है। कितना ताकतवर है। "सरदार हुसैन पिछले 25 वर्ष से क्षेत्र में बना हुआ है। इस बीच उसका सात बार स्थानान्तरण आदेश जारी हुआ और हर बार किसी न किसी दबाव पर स्थानान्तरण रोक लिया गया। पता चला है कि इस बार भी स्थानान्तरण रोकने के लिए तीन मंत्रियों ने महापालिका को लिखा है। यही नहीं, क्षेत्र के मंत्री ने पालिका के प्रशासक को स्थानान्तरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस भेज दिया है।" यह सूचना है अखबार की। मैं चाहता हूं श्रीमन्, कि जब उत्तर आये, कोई माननीय मंत्री उधर से बोलें--आशा तो है माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे--स्पेसिफिक इसका उत्तर आना चाहिए। कौन मंत्री था, क्या पत्र लिखा, यह आना चाहिए। यह अच्छी परम्परा हो जायगी।

श्रीमन्, वैद्यलिंगम रिपोर्ट का हवाला हुआ। मैंने तो उसी दिन कहा और फिर माननीय उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष को और सत्ता पक्ष के माध्यम से केन्द्र सरकार को वैद्यलिंगम रिपोर्ट पर चार्ज शीट भेजनी चाहिए, उन्हें प्रोस्यूक्यूट करें क्योंकि श्रीमन्, जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको बोलने का अधिकार नहीं होता है। एक प्रक्रिया तो चले। आप दीजिए। हम खुद मांग करते हैं। बहुत अच्छा होगा।

इसी तरह से मिश्रा कमेटी का बहुत जिक्र किया गया। माननीय चौधरी चरण सिंह के पत्र की बात कही गयी। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह भी एक सुनियोजित प्रक्रिया और षडयंत्र सत्ता पक्ष की ओर से हुआ।

श्रीमन्, मेरा एलीगेशन है कि इस जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने में प्रधान-मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सिक्योरिटी आफीसर के जो लड़के हैं, उनका हाथ है।

श्रीमन्, यह बात आयी थी कि चौधरी साहब ने इस पत्र द्वारा कमीशन को प्रभावित करना चाहा था। यह पत्र लिखा उस वक्त जब राम नरेश जी यादव मुख्य मंत्री थे। अगर उन्होंने कोई प्रक्रिया उस कमीशन को प्रभावित करने के लिये की होती, कोई प्रक्रिया उनके द्वारा हुई होती तो यह माना जाता कि कमीशन की फाइन्डिंग्स को प्रभावित किया गया है। लेकिन जब रामनरेश जी हट जाते हैं तब वह पत्र निकाला जाता है। अगर शासन की इच्छा थी कि कमीशन की फाइन्डिंग्स सही आनी चाहिए थी, वह पत्र पेश होना चाहिए था। यह पत्र उन अधिकारियों ने उस समय के जिलाधीश को बचाने और सरकार ने अपनी छवि को बचाने के लिए क्योंकि इन्होंने अपने जमाने में मुसलमानों पर मुजफ्फरनगर में फायरिंग हुई थी, उसकी फाइन्डिंग्स को प्रभावित करने के लिये उसे सरकार ने अपने पक्ष में लेने के लिये वह पत्र कमीशन के सामने भेजा। श्रीमन्, उसका कोई औचित्य नहीं था। मैं फिर कहना चाहता हूं और मैं मांग करता हूं कि जो फाइडिंग आयी है यह प्रदेशीय सरकार . . . (व्यवधान)।

(3 बजकर 21 मिनट)

एक सदस्य–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो उस दिन सदन में था नहीं। वह पत्र जो था क्या उसका मतलब दूतरफा था? कोई भी कमीशन जो मुकर्रर होता है तो उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स होते हैं। "शाह कमीशन" गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से मुकर्रर हुआ था। उसके टर्म्स आफ रिफरेंसेज रहे होंगे और उन्हीं टर्म्स आफ रिफरेंसेज में उसके अधिकार प्रतिबंधित रहे होंगे। उस अधिकार की परिसीमा के अन्दर और अधिकार लेने की नीयत से इस तरह की स्थिति आयी होगी। क्या कोई ऐसी बात थी? मैं उस दिन यहां नहीं था।

श्री राजेन्द्र सिंह–

वहां पर प्रोसीजर का प्रश्न था। श्रीमन्, कमीशन की रिपोर्ट सदन में आ गई थी इसलिये उसका जिक्र करना पड़ा। यह मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था। उसमें यह था कि एक प्रक्रिया हो गई। खाली एक प्रक्रिया के बारे में था . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

केन्द्रीय गृह मंत्री ने . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह सौजन्य है कि जब स्वयं चेयर मुखातिब हो तो दूसरे सदस्य को नहीं बोलना चाहिए। . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

तो मैं फिर माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस रिपोर्ट का फोलोअप एक्शन होना चाहिये। उस रिपोर्ट में कुछ रिमार्क आये हैं मैं चाहता हूं कि पब्लिक लाइफ में पब्लिक इंटरेस्ट को बनाये रखने के लिये हैं उनका फोलोअप एक्शन होना चाहिये।

मान्यवर, कमीशन की बहुत सी रिपोर्ट पेश होती रहती हैं। मैं भी एक कमीशन की रिपोर्ट आपके माध्यम से उनकी नोटिस में लाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति जो मंगल देव विशारद जी की अध्यक्षता में बिठाई गयी थी।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने प्रभाव नहीं डाला था और उस डी0 एम0 का प्रमोशन किसने किया था?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

पूरा प्रदेश मंगल देव विशारद की रिपोर्ट के बारे में जानता है यह सभी जानते हैं इन्हीं की सरकार ने जांच समिति बनाई थी और उसकी रिपोर्ट आई थी, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं केवल पृष्ठ संख्या बताना चाहता हूं। रिपोर्ट के पृष्ठ 142 के पैरा 9 को पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि राजा साहब इसको लागू कर दें। आप पहले अपने परिवार और घर के मामलों को सुधार लें फिर प्रदेश के बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। (व्यवधान) मेरा भी एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पेश किया उसमें एक शब्द कौम आया है। मैं दुर्भाग्य तो हमारा नहीं कहूंगा (व्यवधान) और न उनका है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस हैरिटेज से आते हैं उसमें यह कौम का मतलब नहीं समझते हैं। जब देश के महान नेता देश को आजाद कराने में लगे हुए थे तब यह कहां थे यह सब जानते हैं

श्री उपाध्यक्ष--

वह भी वहीं थे जहां आप थे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

देश के महान नेता देश को आजाद कराने में लगे हुए थे। मैं उस भाषा को बोलना चाहता था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं थोड़ा सा क्लीयर करने का प्रयास करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की रगों में वह खून है जो उस देश भक्त ने, जिसने सन् उन्नीस सौ से लेकर देश को आजाद कराने का प्रयास किया और दूसरी तरफ जिन्होंने अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

इनके खून के अन्दर जातिवाद घुस चुका है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

स्वर्गीय इकबाल के उस समय के कौमी तराने याद हों तो उसमें कहा जाता था--'हिन्दी हैं हम वतन है, हिन्दुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा।'

तो श्रीमन्, कौम का मतलब है राष्ट्र, कौम का मतलब बिरादरी किसी ने नहीं कहा। यही थिंकिंग उन्हीं की है, इसलिए कहा कि इस पर हमें कोई परेशानी नहीं है। राजा साहब पता लगाएं कि ट्यूबवेल में जो रिंग मशीनन्स होती हैं, इसका एक डिवीजन होता है, मैं चाहूंगा कि वह बताएं कि प्रदेश में जितने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इसमें, यह कौन लोग हैं? मैं चाहता हूं कि यह उनके नाम लेकर बतावें कि उनके नाम, वल्दियत क्या है और कहां कहां के यह लोग हैं? क्या वह बतायेंगे कि यह सब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स गोरखपुर और जौनपुर के हैं। इतना ही कहना इसमें काफी है। मैं अन्त में जार्ज बर्नार्ड शा की एक युक्ति कहकर अपना भाषण आपकी इजाजत से समाप्त करूंगा--

"पावर डज नाट करप्ट मैन. फूल्स हाउएवर, इफ दे गेट इन्टू ए पोजीशन आफ पावर, करप्ट पावर."

मैं इसकी हिन्दी में किये दे रहा हूं-- सत्ता कभी आदमी को भ्रष्ट नहीं करती, यदि मूर्ख व्यक्तियों के हाथ में सत्ता लग जाती है, सत्ता की पोजीशन में वह आ जाते हैं, तो सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

सन् 77 से तीन साल तक यही सब हुआ है। (व्यवधान)

एक सदस्य–

इनके पूरे भाषण में यही एक अच्छी बात रही है। (व्यवधान) (नेता विरोधी दल के बैठ जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल का भाषण समाप्त हुआ, बड़े अच्छे मुद्दों पर?

*डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सन् 82 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको और सदन के सभी जन प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे वित्त मंत्री, श्री ब्रह्म दत्त जी ने जो कल बजट भाषण पढ़ा है, वह जिस तरह से विस्तारपूर्वक उन्होंने प्रदेश की जनता के हित में तैयार किया है, उसकी आज प्रदेश के बुद्धिजीवी घोर-घोर प्रशंसा कर रहे हैं। हमें ऐसे बजट का समर्थन करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है कि किन परिस्थितियों में फरवरी, 80 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उन दिनों में हमारे प्रदेश की क्या हालत थी। सन् 1980 के जून माह में जब हमारी सरकार के हाथ में शासन की बागडोर आई उस समय प्रदेश और देश में तमाम कुरीतियां फैली हुई थीं। प्रदेश और देश की जनता ही नहीं, आज सारे विश्व की जनता इस बात को समझती है और जानती है कि इन सारी कुरीतियों का प्रादुर्भाव उन दिनों से ही हुआ जब प्रदेश और देश की जनता ही नहीं, आज सारे विश्व की जनता इस बात को समझती शासन जनता पार्टी के हाथों में कुछ दिनों के लिये आ गया था। जनता जानती है इस बात को कि आज देश में कौन सा दल शासन चलाने की क्षमता रखता है। आज जो विरोध पक्ष में बैठे हैं इनके हो-हल्ला करने और इनकी गलत नीतियों के कारण ही जनता ने बागडोर इनसे छीन ली। पिछले 3-4 सालों में जितनी कुरीतियों का जन्म हुआ, उसके जिम्मेदार आप (विरोध पक्ष) हैं। चाहे महंगाई बढ़ी हो, चाहे चोरी और डकैतियां बढ़ी हों, चाहे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ी हो, उन सबके लिये आप (विरोध पक्ष) जिम्मेदार हैं।

एक बच्चा जिस तरह से खिलौना तोड़ देता है और फिर मां-बाप को उसे बनाने के लिये देता है, उसी तरह से अपने इस देश और प्रदेश के खिलौने को तोड़ कर हमारे हाथों में दे दिया, पर हमारी सरकार हिम्मत हारने वाली नहीं है, हम इसे ठीक करेंगे, देश और प्रदेश को ऊंचा उठायेंगे। प्रदेश की गरीबी, बेरोजगारी, चोरी-डकैती, आदि हर समस्या को हल करने का प्रयास यह सरकार बराबर कर रही है और उसमें सफल हो रही है। आज विद्यार्थियों की परीक्षायें समय से हो रही हैं। कल कारखानों में काम हो रहा है। सारी मंगलमयी योजनायें प्रगति पर हैं। प्रशासनिक कुरीतियों को दूर किया जा रहा है और उन पर हमारी सरकार ने काबू पा लिया है। आज चोर और डकैत बुरी तरह से इस सरकार से डरने लग गये हैं और वे पकड़े जा रहे हैं। आज देश और प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। इन डेढ़ साल के अन्दर हमने किन किन भयंकर समस्याओं का सामना किया। आपने इस प्रदेश में जिस प्रकार के अस्थिरता के वातावरण को पैदा कर दिया था हमने उसमें स्थिरता लायी है। यह सब को प्रगति आज केवल इसलिए दिखलायी दे रही है क्योंकि आज सम्पूर्ण शासन की बागडोर देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में है, इस प्रदेश के शासन की बागडोर माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथों में है जो पूरे उत्साह और लगन के साथ इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिये हर तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय]
से लगे हुये हैं। आज प्रदेश की जनता ने उनके कार्यों को सराहा है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी के हृदय में प्रदेश के लिये तड़पन है।

अब मैं एक दो बातें अपने क्षेत्र जौनपुर की बरसठी क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक सड़क रामपुर सूरेरी गांधी घाट वाया कठौंतिया है जो पिछले 5 सालों से बन रही है पर अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। हर साल उस पर सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है और बरसात आने पर सारी मिट्टी बह जाती है और वह रुपया बरबाद चला जाता है। उस सड़क की ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है, हमारे मंत्री उस ओर क्यों ध्यान नहीं देते हैं? मान्यवर, 5 साल से सड़क स्वीकृत है, मिट्टी पड़ गयी है और वह बही जा रही है लेकिन उसको पक्का नहीं किया जा रहा है, इसलिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जलालापुर में नदी पर पुल स्वीकृत है और नदी के दोनों ओर 31 किलोमीटर और दूसरी तरफ 18 किलोमीटर पिच रोड भी बना दी गयी है लेकिन पुल न बनने से उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसी तरह हमारे यहां सरैनी पर पुल बनाने की मांग की गयी थी तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बना दिया जायेगा लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया है। इसलिये निवेदन है कि इन दोनों पुलों को सरकार शीघ्र बनाने की व्यवस्था करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जो योजनायें बनायी गयीं थीं, उनको सरकार पूरा करे जिससे जनता को सुविधा मिल सके।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

उपाध्यक्ष जी, सामान्य बजट पर आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने बड़े क्रोधावेश में यह बजट भाषण प्रस्तुत किया। वे जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ब्रह्म दत्त जी को भूतप्रेत का खतरा हो गया है कि हमारे घर में कोई भूतप्रेत आ गया है और ओझा जिस तरह झाड़ फूंक करते हैं उसी स्वर में फूत्कार करते हुये उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। लेकिन मान्यवर, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे वे घबड़ा रहे हैं। यह इसलिये मैं कह रहा हूं चूंकि भाषण उनका गुस्से में था और अन्त में बड़े हताश भाव में मंत्रिमंडल से उन्होंने विदा ली है और पढ़ा "मंत्रि परिषद् के समस्त सदस्यों का मैं बहुत अनुग्रहीत हूं जिनके सहयोग और परामर्श से तथा जिनके विभागों की सहायता से बजट समय पर प्रस्तुत करना सम्भव हो सका है।"

तो ऐसा लगता है कि "तं तथा कृपया विष्ठं, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम की स्थिति में वे बोल रहे थे। मान्यवर, वैसे श्री ब्रह्म दत्त से हमको बड़ी हमदर्दी है, इसलिये कि उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने शून्य से आरम्भ किया था। मैं उनको प्रिय लगने वाली बात कहना चाहता हूं कि मान्यवर, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जिस समय कार्यभार ग्रहण किया था, उस समय जनता पार्टी ने सब कुछ शून्य करके इनको दिया था। उस शून्य बिन्दु से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आगे बढ़ी और हमारे वित्त मंत्री जी लगातार चलते रहे। वे 100 गज आगे चले और दाहिने हाथ घूम गये, फिर 100 गज चले और दाहिने हाथ घूम गये, फिर चले और दाहिने हाथ घूम गये, फिर 100 गज चले और फिर दाहिने हाथ घूम गये। अब फिर वे जीरो प्वाइन्ट पर पहुंच रहे हैं।

मान्यवर, 1980 में "श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने भाषण में कहा था कि हम जल संस्थान और जल निगम का मर्जर कर रहे हैं और सदन के सामने 10 लाख रुपये की राशि अलग से मांगी गयी थी और जिसको दिया गया लेकिन अब इस बजट में वित्त मंत्री जी कहते हैं कि वे जल संस्थान और

जल निगम का पुनर्गठन करने की सोच रहे हैं। तो जहां से स्टार्ट किया था उस पर पुनः जीरो पर पहुंच रहे हैं और जैसे "उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे" की स्थिति इनकी हो गयी है। लेकिन उस जहाज में छेद हो गया है और अब इन्हें चिन्ता है कि हम कहां बैठेंगे। गढ़वाली में एक कहावत है "यह गाय जितना प्यार जताती है उतना दूध देती तो कैसा होता।" जब हम अपने दार्शनिक, विद्वान मुख्य मंत्री का भाषण सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बात होने वाली है लेकिन जब विकलांग मंत्रि मंडल के कार्यकलाप देखते हैं तो लगता है कि यह पूरे मंत्रि मंडल को विकलांग करके बिठा दिया है जैसे विकलांग वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ हो और इस बीते विकलांग वर्ष की एक मात्र उपलब्धि यह थी कि उसने स्वयं मंत्रि मंडल को विकलांग कर दिया।

सन् 1980 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए 80 करोड़ का बजट था। 1981 में मान्यवर, 100 करोड़ का हुआ और इस समय जो इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, इसमें 120 करोड़ रुपया हो गया। 120 करोड़ आज का और 80 करोड़ उस समय का जो है, इसका मुद्रा स्फीति से क्या संबंध है इसे आंकड़ा शास्त्री बतायेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि 1980 का बजट सदन में पेश कर दिया गया, लेकिन उसका विभागवार और जिलेवार वितरण नहीं किया गया। जिस समय हमारे वित्त मंत्री जी सन् 81 का बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय तक हमारे जिले में पिछले बजट का रुपया नहीं पहुंचा था। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत जोर देकर कहा है कि उन्होंने पहले ही इसकी स्वीकृति दे दी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक अधिकांश की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। कहां हुई हैं मान्यवर, ये स्वीकृतियां? टेहरी जिले के अन्दर तो 81 के बजट में आज भी एक पैसा नहीं पहुंचा है। वह 80 करोड़ रुपया मान्यवर, और एक अरब रुपया जो कि मैंने पिछले साल कहा था, वह कहां गया? ये मान्यवर, सारे पैसे को डिस्क्रिशनरी फण्ड में रखना चाहते हैं, ताकि चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी को जिता सकें और हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के खिलाफ लड़ा सकें। इनका कोई भी पैसा न सिंचाई में पहुंचा है, न शिक्षा में पहुंचा है, न अन्य निर्माण कार्यों में पहुंचा है। शिक्षा के बारे में मैंने फरवरी, 1981 में प्रश्न पूछा था कि कितने अध्यापक के पद टेहरी में रिक्त हैं। उसमें उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। जनवरी, 1982 में फिर, मेरे प्रश्न करने पर उत्तर आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। फरवरी, 1981 में जो हमने प्रश्न पूछा था, उसका आज भी यही जवाब है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, वहां पर हजारों कालेजेज नहीं हैं, 10-20 कालेजेज हैं। लेकिन इनको वहां के अध्यापक को एप्वाइंट नहीं करना है ताकि जब चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी के लिए वोट दिलाया जायगा, तब वहां के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की जायगी। हमारे यहां बी0टी0सी0 का स्कूल था, वह स्कूल मान्यवर, बन्द कर दिया गया। इस सरकार ने मेरे जिले में कार्यभार ग्रहण करते ही बी0टी0सी0 स्कूल बन्द कर दिया। माननीया होम मिनिस्टर बैठी हुई हैं, ये उस जमाने में शिक्षा मंत्री थीं। अब ये होम मिनिस्टर हो गई हैं, तो ये उस विभाग को होम साइंस समझती हैं। मान्यवर, जब यह एजूकेशन मिनिस्टर थीं तो उसको भी वैसे ही समझतीं थीं। मान्यवर, मेरे प्रतिरोध करने पर 81 से वह स्कूल फिर चला लेकिन स्ट्रेंथ आधी कर दी गयी है। अगले साल से वह स्कूल फिर बंद किया जा रहा है। मेरे जिले के अंदर बेसिक शिक्षा की हालत बड़ी दयनीय है। वहां बेसिक शिक्षा के अध्यापकों का चयन शुरू कर दिया गया है। उसके लिए बाहर के अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के लिए मादरी जबान में शिक्षा देने वाले अध्यापकों को रखना चाहिए ताकि वे बेसिक शिक्षा दे सकें।

मैंने मान्यवर, इसी सदन में कहा है कि दूरस्थ ग्राम योजना लागू कीजिए। ऐसे गांव जहां पिछले 35 सालों में, सड़क, स्कूल, पुल, अच्छा अच्छा अस्पतालों, पीने का

[श्री विद्यासागर नौटियाल]

पानी, विद्युत की व्यवस्था आदि कुछ भी नहीं हो पायी है ऐसे गांवों को सेलेक्ट करके समन्वित विकास की एक योजना बनायें ताकि उन गांवों में रहने वाले यह समझ सकें कि आजादी आ गयी है। मेरे जिले के अंदर 5 साल के बच्चों को 5 कि0मीटर पहाड़ों की ऊंचाई पर, नदी नाले, जंगल पार करके बेसिक शिक्षा के लिये जाना पड़ता है। केवल देव प्रयाग असेंबली कान्स्टीट्यूएन्सी के अंदर अगर 5 किलो मीटर की दूरी कम की जाय तो 55 स्कूल चाहिए। मैंने सुना है इस सरकार ने 6 बेसिक स्कूल मेरे जिले में दिए हैं। वहां पर 10 ब्लाक हैं और 5 नये बनने वाले हैं। इन 15 ब्लाकों के लिए इनको कैसे बांटा जायगा? मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी दर्शन शास्त्र के व्याख्यान को छोड़-कर ऐसे कदम उठायें ताकि इन बच्चों की शिक्षा मिल सके। 7 वर्ष की बच्ची रात को लालटेन लेकर चलती है और उसके पीछे उसकी मां पानी का बर्तन लेकर चलती है। 3, 4 किलो मीटर चलकर वे पानी लाती हैं, रात दिन उनको पानी के लिए तरसना पड़ता है, जाड़े की रात हो या गरमी की रात हो, पानी के लिए उसको इतनी दूर चलना पड़ता है तब पानी मिल पाता है। आप साल भर में केवल 30 योजनाओं के लिए पैसा देते हैं और आपका आल इंडिया रेडियो बहुत हाहाकार मचाता है कि पीने के पानी के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। 900 गांव मेरे जिले में ऐसे हैं जहां पर पानी की निहायत किल्लत है। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि अगर 30 गांवों को प्रति वर्ष के हिसाब से आप पानी देना शुरू करें तो 30 वर्ष पानी देने में लगेंगे और उस समय हमें विश्वनाथ प्रताप सिंह के बजाय किसी अंतरिक्ष पति की जरूरत पड़ेगी।

आप टिहरी बांध बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आये और, मुख्य मंत्री जी ने उनसे भेंट की। फौरन बाद में उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस कर डाली कि अब तो हमको तमाम योजनाओं के लिये पैसा मिलने वाला है। इस वर्ल्ड बैंक से इस प्रदेश का जितनी जल्दी नाता टूटे उतनी ही जल्दी यह प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा। 30 प्रतिशत पैसा तो वहां के अधिकारियों के दौरों पर ही खर्च हो जाता है, बाकी 30 प्रतिशत जो होता है वह खुद खा जाते हैं बाकी 30 प्रति-शत यहां के जो बड़े-बड़े अधिकारी और बड़े-बड़े अभियंता होते हैं, वह खा जाते हैं। सुना है टिहरी डैम के बारे में 17 बड़े इंजीनियर्स को अमेरिका भेजना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो यह जो बड़े-बड़े अफसर अमेरिका जायेंगे वे वहां से टिहरी बांध का डिजाइन तैयार कर लायेंगे और तमाम पैसे को फूंक ताप कर आ जायेंगे और हमारी सरकार के ऊपर कर्ज यथावत् रहेगा। टेक्नालाजी बिकेगी अमेरिका की और बगल में चीन है। हमारे टिहरी डैम में करोड़ों घनमीटर पानी इकट्ठा होगा और पूरा नक्शा तथा डिजाइन्स के डिटेल अमेरिका के पास होंगे, यह हमारे देश की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इन टिहरी और मनेरी बांध से बिजली पैदा करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बिजली को पैदा करने की प्रक्रिया में साधारण आदमी को क्या लाभ होता है? उससे उनके हृदय खुशी से फूल उठते हैं अथवा नहीं? हृदय अगर खुशी से फूलते हैं तो टाटा, बिड़ला, कालचन्द और हीरा चन्द आदि के जो देश के सौ से अधिक गिने-चुने मोनोपो-लिस्ट हैं, यह सारी खुशियां उनके खाते में जाती हैं न कि वहां के गरीबों के खाते में। और जिनके इशारों पर यह शासनतंत्र चल रहा है, उनको खुशी हासिल होती है। पूंजीपतियों ने जिधर इनको घुमा दिया उसी दिशा की ओर ये हो लिए। अगर मा0 वित्त मंत्री इनके कहने पर दाहिने की ओर नहीं घूमते रहे बल्कि बांये घूमते तो स्थिति आज यह न होती मान्यवर, यह जिलों के अंदर योजनाओं का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं, योजनाएं तो हमारे नौकरशाहों ने बनाकर भेज दी हैं, उसी पर आपको चलना पड़ेगा, चाहे मजबूरी से चलें या खुशी से। उसकी वजह यह है कि जब कोई एक विधायक चाहे इधर का बैठने वाला हो या उधर का जब कोई बात उनको लिखता है तो उसका जवाब

मंत्री नहीं देते और मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, वही आपको भी करना ही पड़ेगा और यही वजह है ब्यूरोक्रेट्स के हावी होने का। इस नौकरशाही पर अंकुश लगाइये।

श्री लोकमणि शर्मा—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष 1982-83 का सामान्य बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और उस बजट का हृदय से स्वागत भी करता हूं क्योंकि यह बजट जिन उद्देश्यों और कारणों से रखा गया है, वह है देश की आजादी की लड़ाई के बाद नये सिरे से इसके निर्माण और उत्थान में, धर्म-निरपेक्षता और प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और समाजवादी समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से और इस ओर जो 33 वर्षों से निरंतर हमारे प्रयास रहे आगे बढ़ने के, उन्हीं कारणों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें सारी नीतियां सम्मिलित हैं। इसलिए यह बजट बहुत ही सराहनीय बजट कहा जा सकता है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का बहुत ध्यान रखा गया है और साथ ही जो 20 सूत्रीय कार्य-क्रमों के आधार पर जो कार्य-क्रम बनाए हैं और इसके लिए जो रु078 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें शीघ्रता से प्रत्येक योजनाओं को पूरा करना शामिल है, प्रगति का प्रतीक है और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक की वृद्धि की गई है, क्योंकि वह अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यह बजट और भी सराहनीय बजट है, तथा साथ ही विद्युत उत्पादन में 310 मे0 वाट का लक्ष्य अधिक रखा गया है पिछले वर्ष से और सिंचाई क्षमता भी पिछले वर्ष से काफी मात्रा में बढ़ायी गई है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही प्रत्येक जनपद में एक बड़े उद्योग का कार्यक्रम बनाया गया है जिससे वहां की बेरोजगारी भी दूर होगी और प्रदेश का उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही सराहनीय इसलिये भी है कि 16 हजार किलो मी0 सड़कों का नव निर्माण और 12 हजार कि0मी0 मार्गों का जीर्णोद्धार तथा 76 पुलों के नव निर्माण का कार्यक्रम है।

नियोजन की जो प्रक्रिया है, उसका विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है, राज्य सेक्टर को 70 प्रतिशत और जनपद सेक्टर को 30 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। यह एक सराहनीय कार्यक्रम है। यों तो बहुत से कार्यक्रम हैं, लेकिन हमारे नेता, विरोधी दल ने जो आरोप लगाये हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे एक बात बताना चाहता हूं कि 33 वर्षों में देश की जो कायापलट की है, वह कांग्रेसी सरकार ने ही किया है। जिस देश में पहले सुई तक भी नहीं बनती थी, वहां बड़ी से बड़ी चीजें बन रही हैं और विदेशों को निर्यात की जा रही है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज से 40 वर्ष पहले यह देश अन्न में स्वावलम्बी नहीं था, आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया जाया करता था। आज हम आत्मनिर्भर हैं। इसके अलावा, देश का विकास जो भी हुआ है 33 वर्षों में, कांग्रेस ने किया है। एक दल सन् 1977 में आया, जो भानमती का पिटारा बनकर आया और ढाई वर्ष में देश का सारा सोना बेच डाला, अन्न के भण्डार को खाली कर दिया और जैसे आया था, वैसे ही चला गया। इसके अलावा हमारे माननीय नेता, विरोधी दल ने कुछ व्यक्तिगत बातें भी की हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में यह बात कही थी कि मथुरा जनपद में एक विधायक और उसका लड़का डकैत हैं। मैं उनको यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि मैं निन्दा का विरोधी हूं। हमारे महापुरुषों ने यह बताया कि —

पक्षीनाम् काक चाण्डाले, पशुनाम गर्धवस्थत: तथा
मुनीनाम् कोपचाण्डाले, सर्व चाण्डाल निन्दक :)

उनका क्षेत्र मुझसे मिला हुआ है। उनके क्षेत्र की जनता मुझको और उनको भीतर-बाहर से जानती है। जिस जातिवाद के वह बड़े पोषक हैं, उनकी करनी और कथनी में बड़ा अन्तर है, मेरा क्षेत्र तो 130 जाट भाइयों के गांवों का क्षेत्र है,

[श्री लोक मणि शर्मा]

जिसमें मुझे वहां के जाट भाइयों ने इतना प्रेम दिया और प्रमुख रखा और आज यहां भेजा। माननीय नेता विरोधी दल अगर नोन-जाट जातिवाद के क्षेत्र कहीं से भी अगर वह जीतकर आ जायें, तो मैं त्याग-पत्र दे दूं। जिन सिद्धान्तों के लिये हमने गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी, वह एक मानवीय नीति है। माननीया इन्दिरा जी आज गांधी जी की उन्हीं नीतियों की अनन्य उपासक हैं। जिस समय बंगला देश में युद्ध चल रहा था, अमेरिका, पाकिस्तान का सहयोगी था और हमारे विरोध में अनर्गल भाषण कर रहा था, हमें बदनाम करने के लिये कि बंगला देश को हिन्दुस्तान अपने में विलय कर लेगा, लेकिन उसकी इन्दिरा जी ने परवाह नहीं की ---

> श्वान भूंकते हैं खड़े, हाथी जाता है चला,
> क्या मशकों की हुंकार से खगपति डरता है भला।

वह आगे बढ़ती चली गयीं और सत्यमेव जयते का नारा चरितार्थ कर दिया। उनका अमरीकी जंगी बेड़ा अरब सागर से आगे नहीं आ पाया तब तक कि एक बहुत बड़ी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे भगवान राम रावण का वध करके अपनी सेना को वापस अवध ले गये थे, उसी प्रकार इन्दिरा जी ने प्राचीन परम्परा को कायम रखा और मुजीबुर्रहमान को तिलक करके सेनाओं को दिल्ली ले आईं। प्रश्न नीतियों का है। इन्दिरा जी ने दिल्ली में एक रैली की थी, जब लाखों करोड़ों शरणार्थी देश में आये थे और बाहर भगाने के लिये बयान चल रहे थे। माननीय विरोधी नेताओं को इन्दिरा जी ने उस रैली में कहा था--

> कोटि विप्र वध लागै जाहू,
> आए शरण तजै नहिं ताहू।

कि हम भूखे रहेंगे परन्तु शरण में आये हुए की रक्षा करेंगे, यह हमारे देश की विशुद्ध परम्परा है। जो विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं, उनसे मेरा कहना यही है कि आप 33 वर्षों की रूढ़ीवादी बातें त्याग कर गांधी जी की विशुद्ध नीतियों को अपनाकर संकुचित नीतियों से ऊंचे उठ कर लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करके कर्तव्य पालन करना सीखें, मेरी प्रार्थना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और वे इस तरह की अनर्गल बातें ही न करते रहें बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटें जिससे कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता ला सकें।

*श्री धनीराम वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के संबंध में अपने विचार रखने का अवसर दिया। प्रस्तुत बजट परम्परागत वीरों से पूरा जकड़ा हुआ है, पूरी उनकी जकड़ में है। इससे जाहिर होता है कि कृषि क्षेत्र में जरा भी कृषिकों को लाभ पहुंचने वाला नहीं है, उद्योग में लगे लोगों को लाभ पहुंचने वाला नहीं है, अध्यापकों को लाभ होने वाला नहीं है। इस तरीके से पूरे बजट का अवलोकन करने से मालूम होता है कि वह बस बड़े-बड़े अधिकारियों को लाभ पहुंचाने वाला है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जो आय होती है, बजट में जो पैसे का संसाधन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुटाया जाता है उसमें 54 प्रतिशत कृषि से आता है कृषि से ही वह पैसा आता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि के लिये इस बजट में कम से कम प्राविधान रखा गया है। आप यह कह रहे हैं कि 1981-82 में कृषि उत्पादन पहले से ड्योढ़ा दुगुना होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ड्योढ़ा या दुगुना उत्पादन होने का प्रश्न ही नहीं है और यदि उत्पादन होने की आशा है तो फिर क्या आवश्यकता पड़ गयी कि आप विदेशों से अन्न मंगायें ?

इतना ही नहीं, मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि यदि उन्होंने किसानों को राहत दी होती, ठीक ढंग से खाद, डीजल व बिजली को दिया होता और सस्ते दरों पर यह चीजें उपलब्ध करायी गयी होतीं तो आज जो आपको विदेशों के आगे अपनी झोली फैलानी पड़ रही है, वह स्थिति न होती। जनता सरकार के शासन काल में तीन साल तक किसानों को राहत मिली वह आपके, शासन काल में जब से आप आये हैं छोटे काश्तकारों को खाद, यूरिया खरीदना कठिन हो रहा है। यूरिया की जो बोरी 54 और 64 में मिलती थी, वह बोरी अब 122 रु0 में उपलब्ध होती है और डी0 ए0 पी0 की बोरी 190 रु0 में उपलब्ध होती है। आज यूरिया और डी0 ए0 पी0 की बोरियां दूने दामों पर मिल रही हैं।

दूसरी तरफ धान की कीमत को आप देख लें मान्यवर, कि 10 रु0 क्विन्टल और गेहूं 15 रुपए क्विन्टल। वह काश्तकार जो 54 रुपए की बोरी आपको देता था उसे आप 74 रुपए में बेचते थे और इतना फायदा उठाते थे। आज आप उसे ही 115 रुपए में दे रहे हैं तो उसको कहां से लाभ हुआ ? आज 130 रुपये में मजदूरी मिला कर गेहूं एक क्विन्टल आता है। सरकार का कहना है कि 90 रुपए से ज्यादा का भाव हुआ ही नहीं, किसानों को लाभ हुआ है।

मान्यवर, डीजल जो कृषि के लिये मुख्य चीज है उसकी कीमत पहले 1.65 प्रति लीटर थी जो ट्रैक्टर आदि के लिए मुख्य चीज है, उसकी कीमत इस शासन के पहले 1.65 प्रति लीटर थी और आज करीब 3 रु0 40 पैसे में मिलता है यानी दूने पैसे में हो गया। बिजली जो पहले 12 और 15 रु0 प्रति हार्स पावर मिलती थी, आज 22 रु0 प्रति हार्स पावर्स हो गयी है। इस प्रकार पानी के दाम दूने, बिजली के दाम ड्योढ़े और खाद के दाम दूने हो गये हैं। जब किसान को लागत से 15 रु0 ही ज्यादा क्विंटल में गेहूं बेचना पड़ेगा तो कैसे वह उन्नति कर सकता है, कैसे अधिक उत्पादन कर सकता है ? कहा जाता है कि उत्पादन अधिक होगा लेकिन अबकी बार पैदावार इतनी कम होगी जितनी कि कभी नहीं हुई होगी क्योंकि वास्तव में किसान अधिक गेहूं पैदा करने के लिए अक्षम्य हो गया है क्योंकि वह लागत अधिक लगा रहा था और पैसा उसे कम मिल रहा था, इसलिये उसने कम गेहूं बोया। धान के खेतों में जिसमें दो फसलें होती हैं उसमें धान के खेतों में धान कटने के बाद नाम मात्र की गेहूं की बोआई हो रही है और जो उपज हो रही है, वह खाद की कीमत और सब लागत लगाकर कम होगी इसलिए उसने खाद नहीं लगाई।

मान्यवर, इतना ही नहीं, जहां यह कहते हैं कि हम उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे तो उद्योग जितने हैं वह कृषि उत्पादित वस्तुओं पर ही चलते हैं। कपड़े का उत्पादन हो, पटसन का उद्योग हो, तिलहन की मिल हो, सारे के सारे कृषि उत्पादित वस्तुओं पर ही निर्भर करते हैं तो जब कृषि की ही स्थिति अच्छी नहीं होगी तो कैसे आप उद्योगों की स्थापना करेंगे और उनको चलायेंगे। उद्योगों की स्थापना करके और उनको चलाना विदेशी माल और विदेशी पूंजी पर कब तक सम्भव हो सकता है, मैं नहीं समझता हूं कि यह कब तक चलेगा। आपने विश्व मुद्रा कोष से लेना प्रारम्भ कर दिया है और शायद वह भी आपको मिलना बन्द हो जाय। यह विदेशी धन आते ही आते देश में कम से कम 25 प्रतिशत मुद्रा स्फीति होगी। ाह आपने परम्पराओं के अनुसार 2

[श्री धनीराम वर्मा–]

वर्षों में जैसा बजट प्रस्तुत किया है कि पहले तो आप कोई कर नहीं दिखाते हैं उसके बाद अनाप शनाप कर लगाते हैं । पिछले वर्ष भी आपने ऐसा ही किया था । परिवहन का 25 प्रतिशत बढ़ा दिया । इस वर्ष भी मैं घोषणा कर देता हूं कि आप सिंचाई की दरों को 20 प्रतिशत बढ़ायेंगे और आप भूमि का लगान भी बढ़ाने की बात सोच रहे हैं । साथ ही साथ जो कह दिया है कि डीजल और पेट्रोल चूंकि अपने देश की उत्पादित पूरी तरह से वस्तु नहीं है इसलिए हम मजबूर हैं इसलिए निश्चित तरीके से आप खाद की भी कीमत बढ़ायेंगे और डीजल और पेट्रोल की तो कीमतें बढ़ेंगी ही ।

एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी जो वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें मैंने देखा कि अध्यापक जिसको कहा जाता है कि यह समाज को बनाने वाला है उस अध्यापक का वेतन उतने अनुपात में नहीं बढ़ाया गया है जितने अनुपात में कि अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है । यही नहीं, पदों का सृजन भी शिक्षा विभाग में उस तरह से नहीं बढ़ाया गया है जैसे कि अन्य विभागों में बढ़ाया गया है । जब से इन्टरमीडिएट कालेजों में वेतन देने की व्यवस्था की गई है वहां पर तीन क्लर्क थे । वहां 900 की संख्या तक भी वही 3 क्लर्क हैं और वेतन वितरण का सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है । उसमें से एक तो पुस्तकालय की देख रेख करने के लिए ही हो गया और बाकी दो को ही सारा काम करना पड़ता है । मैं मांग करता हूं कि 900 की छात्र संख्या से नीचे वाले स्कूलों में कम से कम एक क्लर्क और बढ़ाया जाय जो वेतन भत्ते सम्बन्धी सारे कार्यों को देख सके क्योंकि उसके न होने से अन्य लिपिकों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है ।

इतना ही नहीं, सिंचाई के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने अपने 30 वर्ष के शासन में अगर चिन्ता की होती, ट्यूबवेल्स लगाये होते, अधिक नहरें बनायीं होतीं, निश्चित रूप से खेती वाली जमीनों में से 35-36 प्रतिशत के बजाय 60-70 प्रतिशत खेतों की सिंचाई हुई होती और इससे अन्न के उत्पादन में और अधिक प्रगति हुई होती । हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपने केवल 2-3 स्कूल ही खोले हैं जब कि पिछली सरकार ने 14-14 जूनियर हाई स्कूल और 49-49 प्राइमरी स्कूल खोले हैं । हमारे यहां साक्षरता 14 प्रतिशत के बजाय जब तीस वर्षों में दोगुनी ही हो पायी है । इस तरह से इस क्षेत्र में हम कैसे तरक्की कर सकते हैं ।

मेरे क्षेत्र में एक किलोमीटर भी पक्की सड़क नहीं बन पायी है । ट्यूबवेल के नाम पर हमारे यहां केवल एक ट्यूबवेल लगा । माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका दुरुपयोग ही होगा । जाहिर है कि जब अभी तक पिछले बजट का 44 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है तो अगले दो माह के अन्दर ही 56 प्रतिशत बजट का पैसा खर्च किया जायेगा । बातें तो बहुत सी कहनी थी, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह इतना संतुलित और समाजवादी बजट है कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है। हालांकि मैं जानता हूं और आप भी देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से प्रतिपक्ष की 'नहीं' की भूमिका निभा रहे हैं । बजट चाहे अच्छा हो या खराब हो, उनके सामने नहीं कहने के सिवा और कुछ नहीं रहता । अभी माननीय नेता विरोधी दल का जो भाषण हुआ है उसके पूर्णतः परिलक्षित होता है कि उनके मन में क्या है ? इस बजट को देखने से ही मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई कर भार

नहीं बढ़ाया गया है लेकिन इन महानुभाव को वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण से झुंझलाहट ही मालूम हुई । माननीय नेता विरोधी दल के भाषण में कोई तथ्य नहीं है । उनको चाहिये था कि वे कोई इस तरह से सुझाव देते कि इस बजट का पैसा इस तरह से यहां से लेकर वहां लगा दिया जाय तो इससे अधिक फायदा उठाया जा सकता है लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दिया । उन्होंने केवल किसी अधिकारी के तबादले या किसी दारोगा के ट्रांसफर की बात या जाति पांति के प्रदर्शन तक ही अपने को सीमित रखा । उनकी बौखलाहट के पीछे सबसे बड़ा तथ्य यह है कि हमारी प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष घोषित कर दिया।

...और खुदा की रहमत रही है, परमात्मा का आशीर्वाद उनके साथ है कि जब उन्होंने देश की प्रगति के लिए जब कोई आह्वान किया खुदा आशीर्वाद देता है, भगवान ने साथ दिया है और उसका परिणाम है कि अबकी बार उन्होंने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष घोषित किया है। भगवान ने इस वर्ष ठीक समय पर वर्षा करके यह कह दिया है कि तुम्हारे यहां अन्न की कमी कोई नहीं रहेगी। आज भण्डार भर दिया जायेगा। इस-लिये यह बौखलाहट है।

दूसरी बौखलाहट क्यों है। उत्पादन वर्ष में उत्पादन को ठप्प करने के लिए 19 जनवरी को हमारे विपक्षी भाइयों ने भारत बन्द का आह्वान किया। उसमें हिन्दुस्तान के श्रमिकों ने इन के पूरे मनसूबे टांय-टांय फिस कर दिये। उन्होंने कह दिया हम ने तुम्हारे दो रूप देख लिये हैं। पोलैण्ड में तुम ने श्रमिकों पर अत्याचार किया है। हिन्दुस्तान के श्रमिक इन के दो रंगी चाल को समझ चुके हैं। काले कानून को दिखा कर ये श्रमिकों को बरगलाना चाहते थे लेकिन 19 तारीख को हिन्दुस्तान में उत्पादन का एक रोज का कीर्तिमान स्थापित हुआ। अब हमारे भाई बड़े जोर से कह रहे हैं कि भारत बन्द का आह्वान हमारा नहीं था श्रीमती गांधी ने नारा दिया था। दिवारों के ऊपर देख लीजिए। श्रीमती गांधी ने नहीं लिखा है कि भारत बन्द किया जाय। प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन लोगों की नीयत कुछ और थी और जब इनके मन-सूबों पर पानी फिर गया तो खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात हो गयी। यह श्रमिकों की बात है।

(4 बजकर 21 मिनट)

नेता विरोधी दल मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे पूज्यनीय हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं कि जिस दल से वह संबंधित हैं वह बड़े जोर से दुहाई देता है कि किसानों के रहनुमा हैं। उन के नेता मेरे बुजुर्ग, चौधरी चरण सिंह जी, वह तो कहते हैं कि परमात्मा के बाद मेरे ही दिल में किसान के लिए जगह है किसी और के दिल में नहीं है। उन के राज्य में गन्ने का भाव दो रुपया निर्धारित किया गया या खेत के अन्दर फूंकना पड़ा (शेम-शेम की आवाजें) यह कर्तव्यनिष्ठा रही उन की सरकार की। इस पर हम ने विधान सभा के बाहर प्रदर्शन किया था। मैं भी उस में मौजूद था। जब यह कांग्रेस सरकार बनी तो इस ने गन्ने का मूल्य 21 रुपया घोषित किया और इसी का परिणाम है कि 7 जनवरी को जो इन प्रतिपक्षी लोगों ने किसानों का आह्वान किया कि गन्ना मिलों पर सप्लाई मत करो, उत्तर प्रदेश के किसानों ने इन से कह दिया कि हम तुम्हारी सत्ता के दो रूप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर पूरे गन्ने के मिलों पर सप्लाई जारी रही। उस रोज गन्ना सप्लाई का कीर्ति-मान स्थापित हुआ। यह भी बौखलाहट का एक कारण रहा। ये किस तरह से निराश होते जा रहे हैं। अभी विद्यासागर नौटियाल जी कुछ नाम गिना रहे थे, टाटा, बिड़ला, मालूम नहीं क्या-क्या उद्योगपती हैं। काले कानून का हौवा श्रमिकों को दिखलाते हैं। सहारनपुर के नगरपालिका के मजदूर भाइयों ने सफाई कर्मचारियों ने, मुझे बुलाया था कि वहां लाल पीले झंडे वाले भी खड़े हो गये।

मैं कह रहा था कि काले कानून से श्रमिकों को बरगलाना चाहते हैं। जब मैंने मजदूरों से पूछा कि काला कानून क्या है जिससे लाल पीले झंडे वालों से घबड़ाहट

[श्री सुरेन्द्र कपिल]

हो रही है। काले कानून से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। न वे कभी गुण्डा-गर्दी करते हैं, न चन्दे पर कोई राजनीति करते हैं और न मजदूरों का नेता होने का दम भरते हैं न मजदूर वाले कानूनों को जानते हैं। वे तो श्रमिक हैं, मेहनतकश हैं, इस देश के आधार-स्तंभ हैं। इसलिए मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिसके ऊपर कि उन्होंने बजट का विकेन्द्रीकरण किया है। हमारे मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस प्रदेश की भलाई के लिए यह सबसे बड़ा काम किया है जिसका अहसास चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के माननीय सदस्य हों, दोनों ने किया है, यदि इसका अहसास ईमानदारी के साथ दोनों ओर के लोग करें। अपनी जिम्मेदारी समझें तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की शक्ल ही बदल जायेगी। लेकिन यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है।

मान्यवर, अभी आपने देखा कि 15 मिनट पहले उधर से 4 आदमी बैठे थे और सारा कोरम इधर के बैठे हुए लोग पूरा कर रहे थे। विकेन्द्रीकरण की बात कही गई। जिलेवार विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे बजट का 1/3 स्वयं बैठकर तय कर लें कि किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाना है। मैं स्वयं उस मीटिंग में रहा हूं और इसके बारे में हम लोग तय कर चुके हैं। सहारनपुर के लिए जो बजट की रूप रेखा तैयार हुई है उसमें विधायकों को पूरा अवसर दिया गया है कि वे अपने जिले को सुचारु-रूप से चलाने के लिए बजट का सदुपयोग जिस तरह से चाहें, कर सकते हैं। हमारे जिले की जो इस तरह की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे जिले के अन्य विधायक और प्रतिपक्ष के विधायक तथा अधिकारी लोग भी मौजूद थे। मैंने उसमें कहा कि हम इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक-एक ईश्यू के ऊपर विचार किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि हम सब लोग विरोध की भावना से हटकर यदि अपनी जिम्मेदारी को समझें, केवल विरोध पक्ष में बैठने से इसका विरोध न करें तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की शक्ल बदल सकती है।

श्रीमन्, एक चर्चा हमने और सुनी थी। निर्बल वर्ग के लिए इस सरकार ने 18 सौ रुपये दिये हैं और 600 रुपये मजदूरों के लिये दिये हैं और इस तरह से 24 सौ रुपये में मकान बनाने की बात आयी थी। हमने मान्यवर, 24 सौ रुपये दिये हैं लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब माननीय नेता विरोधी दल की सरकार थी, इनके हाथ में शासन था सन् 1977 में, तो उस समय सहारनपुर में भीषण बाढ़ आ गयी थी, 25-25 रुपये मकान बनाने के लिए दिया गया था और उसमें से अपनी हैसियत से पटवारी को देने पड़े थे उन बेचारे लोगों को और 20 रुपये की वे दारू पी गये थे। उसके अन्तर्गत कई लाख रुपये वितरित किये गये थे। आज जो विधायक चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हैं वे इस भावना को छोड़कर अपने-अपने जनपद को दिये गये पैसे का सदुपयोग करने में सहयोग देकर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं और उस पैसे की चौकीदारी कर सकते हैं। इस तरह से मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रदेश की शक्ल ही बदल जायेगी। यह गल्ती जरूर हो जायेगी कि इनको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा और विश्वनाथ प्रताप सिंह और बहमदत्त का नाम हो जायेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब इस 'हां' और 'ना' को छोड़कर प्रदेश की उन्नति के इस महान लक्ष्य में शामिल हो जायं जिससे यह प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। धन्यवाद।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने वित्त मंत्री जी का बजट भाषण अच्छी तरह से देखा है। हमारे प्रदेश की जो संख्या है, जिनकी ज्यादा संख्या है, जो गांवों में रहती है उनके लिये इस भाषण में जो कुछ कहा गया है, उससे उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं

है। यह उनके लिये बहुत ही निराशा की बात है। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग उधर बैठकर तुलना करते हैं जनता पार्टी की हुकूमत से। मैं कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी की हुकूमत ठीक उसी तरह की थी जैसे मान्यवर, आल्हा में एक चौपाई है 'जहं जहं पांव पड़े बैंदुल के तंह थंह कीन कनौजन राज'। जनता पार्टी सरकार ने खाद के दाम घटाने शुरू किये और 105 रु0 से घटाते-घटाते कहां पहुंचा दिये और आप अपनी तुलना जनता पार्टी से करते हैं। गांव-गांव में सड़कें बनती दिखाई दीं, हर गांव में सड़क बनती दिखाई देती थी। चाहे जनता पार्टी के शासन में स्कूल खोलने की बात हो या दूसरी बात हो उसकी तुलना आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। गांवों में ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं उनके लिए ज्यादा काम हुए हैं। लेकिन आज जो प्रदेश के किसान हैं उनकी क्या दशा है, आज उनकी उपज सामग्री जो है जैसे खाद है या कीटनाशक दवा है, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो किसान खून पसीने से अपनी फसल तैयार करता है, उनकी लागत देने को यह सरकार तैयार नहीं है। जहां तक मैं जान पाया हूं इस बजट में किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है।

यह हरिजनों की बहुत दुहाई देते हैं और बड़े-बड़े भाषण करते हैं। यह स्पेशल कंपोनेंट की बात करते हैं। यह ठीक है कि हरिजनों के लिए आपने इसे चलाया और गांव के हरिजन इसके लिए इतने लालायित हैं कि उन्होंने इसके लिए प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन वे सारे के सारे ब्लाक में ही पड़े हुए हैं या फिर जिला मुख्यालय में पड़े हुए हैं। आपके जो बैंक हैं जिनके माध्यम से उनको धन मिलना है, वे बिलकुल ही आपके नियंत्रण में नहीं हैं। वह पैसा देने में आनाकानी और परेशान करते हैं कि उससे कहीं पर भी हरिजन भाई लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि हमारा फैजाबाद मण्डल, अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां पिछले साल 60 ट्यूबवैल लगने थे, पांच जिलों में यह 60 ट्यूबवैल लगने थे लेकिन उसमें से 46 ट्यूबवैल केवल अमेठी के लिए दे दिये गये। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि अमेठी में न लगे लेकिन जो दूसरी गरीब जनता है वह क्या सौत पुत्र हैं ? तो इस तरह से हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। चाहे स्कूल की बात हो या ट्यूबवैल की बात हो, चाहे हरिजनों की बात हो, सब अमेठी में हो रहा है। शेष जिले बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच और प्रतापगढ़ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होने की वजह से लाभान्वित नहीं होते हैं।

(इस समय 4 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब मैं कानून और व्यवस्था की बात पर आता हूं। वह इतनी खराब है कुछ कहना नहीं। सत्तापक्ष के लोग आंकड़े देकर सुरक्षा व्यवस्था ठीक होने की बात करते हैं। यह कहते हैं डकैती कम हो रही है, मरडर कम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या यह भी आंकड़े इनके पास हैं कि गांव के तमाम गरीब लोग जिनके यहां डकैती होती है, चोरी होती है, वे जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो क्या इस तरीके के आंकड़े आपके पास हैं? अगर यह आंकड़े जोड़ लें तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि अपराध जनता पार्टी के समय से अब तक काफी बढ़ गये हैं। महामहिम राज्यपाल का भाषण जो स्वतंत्रता दिवस के दिन हुआ, उसमें उन्होंने स्वयं कहा कि देश और प्रदेश की जनता ने असुरक्षा महसूस की है और उन्होंने कहा है कि उनको यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आज यह ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। केवल आंकड़े देकर यह जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।

[श्री राम सागर]

सहकारिता को यह प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसके माध्यम से यह आवश्यक वस्तुएं गांवों में बंटवा रहे हैं, लेकिन आप आज किसी गांव में देखें, तो ये आवश्यक वस्तुएं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, उसमें तमाम गड़बड़ियां और लूटघसोट व्याप्त है। इनसे जनता लाभान्वित नहीं हो रही है, यह केवल योजना बनाने और उत्थान की बात करते हैं। इसी तरह से मैं सीमेन्ट व्यवस्था के बारे में कहना उचित समझूंगा कि आज उसकी क्या हालत है। उसके वितरण की व्यवस्था इतनी खराब है, तहसीलों में न्यू कांस्ट्रक्शन्स की फर्जी फाइलें खुली हुई हैं, जिनमें एक ईंट तक नहीं लगी है, उनको ऐसे लोगों को तमाम सीमेन्ट दी जाती है और वास्तविक जरूरतमंद लोगों को सीमेन्ट नहीं दी जाती है। इसी तरह से सड़कों का जो बजट इन्होंने दिया है, वह पिछले साल से बहुत ही कम है। अगर इसी हिसाब से यह संकल्प सड़कों के मामले में लेते कि जनता पार्टी के समय में जितनी कच्ची सड़कें बनी थीं, उनको पक्का करा देंगे तो इस प्रदेश का वास्तव में बड़ा लाभ हो जाता।

इनका परिवहन विभाग आज भारी घाटे में चल रहा है। प्रदेश की कोई भी सड़क या भाग आप ले लें, तो उसमें सरकारी बसें नहीं चल पा रही हैं, प्राइवेट बसें चल रही हैं, उनको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उससे जहां कानून व्यवस्था फेल होती है, सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप सरकारी बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और उनकी चोरी नहीं रोक सकते हैं तो आपको करना यह चाहिए कि आप अच्छी कंडीशन की प्राइवेट बसें ले लें और सरकारी अंडरटेकिंग के अन्तर्गत उनको चलावें। इससे जहां भ्रष्टाचार कम होगा, वहां राजस्व का भी नुकसान रुकेगा, लेकिन इस तरह की कोई बात इनकी तरफ से नहीं है।

मान्यवर, यही नहीं, चिकित्सा की मामलों में आज गांवों में जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। जो प्राइमरी स्कूलों की स्थिति है, वह भी बहुत दयनीय है। बच्चों के स्कूलों में बैठने के लिए उनके लिए न कोई स्थान है और न कोई टाट पट्टी। वे खुले आकाश के नीचे जमीन में बैठकर पढ़ते हैं। अगर आज यह संकल्प लेते कि दारू खोलने से अब जो आमदनी हो रही है, उसका पैसा ही स्कूलों को बनवाने में लगा दिया जाएगा तो तमाम स्कूल बन जाते, लेकिन इनकी नीयत कभी भी इसके विकास की ओर नहीं रही है। इस तरह से जो बजट वित्त मंत्री जी ने दिया है, वह कतई प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, इससे प्रदेश के विकास की कोई आशा नहीं की जा सकती है।

*श्री रामस्वरूप निम--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने के लिए समय दिया। जब मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यह सरकार साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देने की ओर जा रही है जिसमें लगातार घाटा दिखाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

क्या इसमें साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ है?

(हंसी)

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, जो पैसा विदेशों से लिया जा रहा है वह साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिये ही तो है। इस प्रदेश और देश की सरकार आज दूसरे देशों के हाथों में इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश और देश को बेंच रही है। इंडायरेक्टली यही हो रहा है। किसी भी देश या प्रदेश की नीयत जब यह होगी कि दूसरे देशों से कर्जा लेकर काम करें, तो कोई योजना कल्याणकारी नहीं हो सकती। पिछले साल भी घाटा दिखाया गया था बजट में, इस साल भी घाटा दिखाया गया है। पिछले साल घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने बसों का किराया बढ़ाया, बिजली का रेट बढ़ाया और गरीब जनता पर टैक्स का भार डाला। आज जो घाटे का बजट रखा गया है, अगले वर्ष भी कुछ न कुछ कर यह सरकार बढ़ायेगी। जो रेवेन्यू वाजिब है, बकाया है, उसको यह सरकार वसूल नहीं कर पायेगी। कहा जरूर यह गया है कि हम उसको वसूल करके घाटा पूरा करेंगे। पर यह सरकार वसूल नहीं पायेगी। पिछले वर्ष भी सरकार ने यही घोषणा की थी कि हम वाजिब रकम को वसूल करके घाटा पूरा करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार यह बताये कि उसने पिछले वर्ष कितना बकाया धन वसूल किया।

मालूम यह भी हुआ है कि यह सरकार एक कमेटी का गठन करने जा रही है जो इस बात को देखेगी कि कौन-कौन सा धन ऐसा है जो वसूल होने योग्य नहीं है। इसमें ड्यूअल पालिसी होगी, एक तो वे लोग होंगे जो सरकार का पैसा देते हैं, दे रहे हैं, और एक वह होंगे जो पैसा नहीं दे रहे हैं। जो नहीं देते हैं और जो इस सरकार के आदमी होंगे उनसे वसूल नहीं किया जायेगा इस कमेटी की शिफारिशों के आधार पर। यह सरकार अपने हितैषियों का भला करने के लिए ही यह कमेटी बनाने जा रही है। उदाहरण के लिये इनके पड़ोस के जिले मुजफ्फरनगर में, जहां के मंत्री जी स्वयं हैं, यदि कोई बकाया धनराशि होगी तो वह नहीं ली जायेगी, उसे माफी कर दिया जायेगा। इससे क्या प्रदेश का भला होगा ?

मान्यवर, आज 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है जो कृषि पर आधारित है। तो बजट का 80 प्रतिशत धन गांवों पर क्यों नहीं खर्च किया जाता ? गांव की गरीबी दूर करने के लिए क्यों उसे नहीं लगाया जाता ? जिस तरह का यह बजट है, इससे हम प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं, उसका कोई भला इससे नहीं कर पायेंगे। लेकिन मान्यवर, सब उल्टा हो रहा है। रोजाना आंकड़े पेश किए जाते हैं। मान्यवर, आपने कानून व्यवस्था की बात देखी कि जब यह देवली कांड हुआ, तो माननीय मुख्य मंत्री ने 96 बयान दिए, गृह मंत्री ने 92 बयान दिए, गृह सचिव ने 86 बयान दिए। यह हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और ये कहते रहे कि व्यवस्था ठीक हो गयी है। सिर्फ इसलिए कि उनको इस्तीफा न देना पड़े। फिर उसके बाद 40 किलोमीटर दूरी पर फिर एक घटना हो जाती है, तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए या हरिजनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया है कि इस तरह की कोई घटना आगे नहीं होगी या होगी तो बजट के अन्दर कोई पुलिस बढ़ाई जा रही है या फोर्स बढ़ाई जा रही है या कोई जिला बनाया जा रहा है या जिला न्यायालय बनाया जा रहा है या कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रखा गया है जिससे कि जनता के अन्दर विश्वास पैदा हो, जिससे वह सोचें कि हमारी जान-माल की रक्षा की जा सकेगी।

ठीक उसी तरह से शिक्षा की हालत है। जिस देश की जनता पढ़ी-लिखी न होगी, वह विकास नहीं कर सकता है। जो अपनी आज स्वायत्तशासी संस्थाएं स्कूल चला रही हैं, सरकार उनको भी थोड़ी-बहुत सहायता देकर चला सकती थी, उसका भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जो पब्लिक स्कूल बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भी बात नहीं कही गयी है कि गरीबी और अमीरी की जो खाई बढ़ती जा रही है। गरीबों के बच्चे नगरपालिका के स्कूलों में पढ़ते हैं और बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और वे लोग आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 वगैरह में आ जाते हैं और जो नगरपालिका के स्कूलों में पढ़ते हैं वे, इन सब नौकरियों में नहीं आ पाते हैं। जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए बेरोजगारी के भत्ते की

[श्री राम स्वरूप निम]

कोई भी बात नहीं कही गयी है । जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनी-सेठ हैं, जिनके जिनके पैसे से यह कांग्रेस चलती है, उनकी मंशा पूरी करने के लिए सरकार ने यह घोषणा की कि हर जगह पर बड़े-बड़े उद्योग धंधे खोले जायेंगे । जो बड़े उद्योगों पर गवर्नमेन्ट पैसा खर्च कर रही है, उसके बजाय देहातों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खोल दें, जो चौधरी चरण सिंह जी की नीति है, तो यहां के गरीब लोगों को अधिक सरकार का सहयोग प्राप्त होता । इसलिए मैं इस बजट की घोर निन्दा करते हुए इसे पूंजीवादी और सामंती बजट कहता हूं और इसका विरोध करता हूं ।

*श्री सुन्दर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, पक्ष और विपक्ष में कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं लेकिन किसी भी शासन की मंशा, उसकी नीयत उस प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए किस प्रकार से देखा जाय, उसका एक माप-दण्ड प्रदेश के शासन द्वारा गरीब और दलित वर्ग, निर्बल वर्ग के लिए क्या करना है, कौन सा लक्ष्य उसके सामने है, यही बातें हमारे इस सामान्य चर्चा का विषय है और यही बातें बजट में दिखाया जाता है कि शासन प्रदेश की जनता के लिए क्या करना चाहता है। मान्यवर, जहां तक बजट वित्त मंत्री द्वारा पढ़ा गया और मैंने सुना और सुनने के बाद अध्ययन किया, इस अध्ययन से पता चलता है कि एक प्रयास उन गरीब लोगों के लिये जो सदियों से पीड़ित हैं, दुखी हैं और उनको प्रदेश और देश की उपलब्धियों में अब तक भागीदार नहीं बनाया गया है । हमारी नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबों को एक नई दिशा दी है नई नीति और संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है । इस बजट का 80 प्रतिशत उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये है । यह कहने की बात नहीं है । वास्तव में यह सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत से मानों में पिछड़ा है । शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमारा प्रदेश पिछड़ा है और इसके कई कारण हैं ।

हमारे यहां जातीय संघर्ष हो जाते हैं, साम्प्रदायिक संघर्ष हो जाते हैं जिसके कारण प्रशासन का बहुत सा समय और शक्ति उसमें नष्ट हो जाती है । मान्यवर, सबसे बड़ी उपलब्धता आज इस प्रदेश में यह है कि हमारे प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक स्थायित्व है । विकास के लिये प्रशासन में राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है तभी कोई कार्य आगे बढ़ पाता है । इस बजट को समय से प्रस्तुत किया गया है । शासन की नीयत इसी से साफ हो जाती है कि समय के अन्दर बजट पास करके प्रदेश के लिये जो गरीबों के लिये उनके उत्थान हेतु दिया गया है समय से पहुंचा दिया जाय और जो योजनायें हैं, वह समय से लागू हो सकें और जिनको इसका लाभ मिलना है समय से मिल सके । पहली बार हमारे कल्पनाशील और संवेदनशील मुख्य मंत्री ने यह महसूस किया है कि जिसको उठने की जरूरत है, जो गरीब हैं, उनके प्रति हम-दर्दी है । पहली बार यह देखा गया है कि प्रदेश की सारी योजनायें केवल बड़े शहरों तक ही नहीं बल्कि जिलों और जनपदों में पहुंचाई गई है । हमारी जो स्थानीय समस्यायें हैं, जनपद की समस्यायें हैं उनको ब्लाक प्रमुख, विधायक संसद सब मिलकर जिलाधिकारी के साथ बैठते हैं और सोचते हैं । जो योजनायें यह प्रारम्भ की गई हैं वास्तव में यह बहुत बड़ी मिसाल है । अगर नेक नीयती के साथ समर्पित भावना के साथ मिलकर सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के विधायक काम करेंगे उत्थान के लिये तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निश्चित रूप से 30 प्रतिशत भाग जो जनपद को आवंटित किया गया है, उसका सही सदुपयोग होगा और बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई देगी । जनता सोचेगी कि केवल हम प्रदेश की राजधानी में बैठकर जनता की भलाई नहीं सोचते बल्कि जिले स्तर पर संसद, विधायक और छोटे-छोटे कार्यकर्ता और हमारे वह अधिकारी जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपना योगदान कर सकेंगे । मान्यवर, यह एक महान संकल्प है क्योंकि हमारे पक्ष के लोग समर्पित भावना से काम कर रहे हैं । ग्रामीण विकास योजना बेकारों के लिये है, निर्बल और गरीब लोगों के लिये है, खेतिहर मजदूरों के लिये है । मान्यवर, आज 30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। आज उनके लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इस बजट में अधिक से अधिक ध्यान उन्हीं की तरफ दिया गया है । यह बहुत ही अच्छा लक्षण है ।

मान्यवर, गन्ने की समस्या पर विरोधी पक्ष की तरफ से बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बातें कही गयी है जबकि हमारे मुख्य मंत्री ने जितना अधिक गन्ने का मूल्य किसानों को दिलाया है उतना आजतक किसी ने नहीं दिलाया है । मान्यवर, यह बात सही है कि खाद के दाम बढ़े हैं लेकिन उनके साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ा है । कृषि के उत्पादन में चौमुखी प्रगति हो रही है। उद्योगों के संबंध में कहना है कि 16 हजार करोड़ रुपये की योजना हमारी सरकार ने बनायी है और 4 बड़े-बड़े उद्योग जो यहां लगने जा रहे हैं, जिनके संबंध में कहा गया है, इससे और जो योजना में बड़े-बड़े उद्योग लगने जा रहे हैं, उनसे जब उत्पादन शुरू हो जायेगा तो उससे गरीब आदमी और बेरोजगार का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा ।

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है। तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि स्कूल कालेजों और टेक्निकल संस्थाओं की संख्या पहले से काफी बढ़ गयी है । लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के प्रवेश की जो समस्या बनी है, उससे स्पष्ट है कि गरीब किसान के लड़के और पढ़ने के लिए तैयार हैं और शिक्षा पाना चाहते हैं । इसलिये आज प्रदेश का शासन इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि आम आदमी की जिंदगी में सुधार हो ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में बड़ा काम किया है । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के गांवों में शांति स्थापित हो गयी है। दस्यु उन्मूलन अभियान से तमाम बदमाश जो गांवों के शांति जीवन में अव्यवस्था फैलाते थे वह छिप गये हैं या कहीं भाग गये हैं ।

मान्यवर, विशाल प्रदेश में शिक्षित लोगों में भी ऐसे तत्व आ गये हैं जो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये खराब से खराब काम करते हैं और सम्पन्न वर्ग भी अधिक सुविधा पाना चाहते हैं जिससे वह गरीबों का शोषण करते हैं और यदि शासन उनको कुछ सुविधायें देना चाहता है तो ऐसे असामाजिक तत्व उनमें बाधा डालता है इसलिये उनको दबाने के लिये सरकार ने कड़े कदम उठाये हैं । हमारे मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य गरीब जनता की भलाई के लिये कुछ करना चाहते हैं और इसलिये बजट में, हमको विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों ने यदि सहयोग से काम किया तो, वह दिन दूर नहीं कि गांव स्वर्ग बनेंगे और गांवों के गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब 5 बज रहे हैं । इस पर कल चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 में 5 सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं जिसमें एक सूचना श्री रियासत हुसैन कि "थाना भगतपुर तथा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद में पिछले दो माह से पड़ी डकैतियों के संबंध में" है। यह स्वीकार हुई है, बयान के लिये और शेष अस्वीकार हुई हैं।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, स्टेटमेंट की डेट बता दीजिये।

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)–

मान्यवर, तारीख बाद में बता दी जायगी।

श्री अध्यक्ष–

आप तारीख को नहीं बता रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन–

4 तारीख को रख लीजिये।

श्री जगदीश प्रसाद–

मैं देखकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

5 तारीख को दे दीजिये। काफी दिन हैं।

प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से प्रदेशव्यापी हड़ताल और किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(5 बजे)

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

मान्यवर, चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने का मूल्य ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। गन्ने की उत्पादन लागत, किसानों को दूसरी फसलों पर मिलने वाला मूल्य, कृषि-उत्पादों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धि आदि तत्वों को ध्यान में रखकर भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गन्ने के मूल्य की न्यूनतम दर निर्धारित करती है। तदनुसार भारत सरकार ने चीनी वर्ष 1981-82 के लिए 8.5 प्रतिशत या उससे कम परते से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य 13 रु0 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। इस आधार पर हमारे प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के लिए चीनी परते के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य 13 रु0 तथा 16.52 रु0 प्रति कुन्तल के बीच आता है।

जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हूं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य में दूसरी बातों के साथ गन्ने की उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है जिसमें बीज, उर्वरक, बिजली, सिंचाई, भूराजस्व आदि पर होने वाला व्यय शामिल है। इस वर्ष इन कृषि-निवेशों में से कुछ की दरों में भले ही वृद्धि हुई हो, जहां तक चीनी की कीमत की स्थिति है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। वास्तविकता तो यह है कि पिछले वर्ष मध्य जनवरी में चीनी, खांडसारी और गुड़ की थोक कीमतों के मुकाबले इस वर्ष मध्य जनवरी तक उनमें गिरावट आयी है। अतः चीनी की तथाकथित मूल्य-वृद्धि के आधार पर इस वर्ष गन्ना-मूल्य में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का प्रश्न नहीं उठता।

मैं निवेदन कर चुका हूं कि गन्ना-मूल्य निर्धारित करने का कानूनी अधिकार भारत सरकार के हाथ में है पर लाखों किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए और उन्हें गन्ने का अधिक लाभकर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने परामर्श-मूल्य के रूप में उच्चतर मूल्य इंगित किये हैं। इस साल गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन की सम्भावनाओं के बावजूद हमने पूर्वी चीनी क्षेत्र के लिए 20.50 रु0 प्रति कुन्टल और पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र के लिए 21.50 रु0 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य इंगित किया है जो, पिछले वर्ष में हमारी ही सरकार द्वारा अन्ततः निर्दिष्ट मूल्यों को छोड़कर, इस प्रदेश के अब तक चीनी उद्योग के इतिहास में सबसे अधिक ऊंची दर है। राज्य चीनी निगम तथा सहकारी क्षेत्र और रिसीवरशिप के अन्तर्गत आने वाली मिलों को इन्हीं दरों पर गन्ना मूल्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निजी क्षेत्र की मिलों से भी अपेक्षा रखी गई है कि वे प्रदेश सरकार द्वारा इंगित गन्ना मूल्य की दरों के अनुसार गन्ना क्रय करें और यह सन्तोष का विषय है कि उन्होंने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे द्वारा इंगित गन्ना मूल्य की दरों को कार्यान्वित किया है।

इस परिपेक्ष्य में प्रदेश सरकार की ओर से चीनी मिलों द्वारा गन्ने के क्रय मूल्य में कमी होने का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्यों के बावजूद, चीनी उद्योग के लाभ में किसानों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए और उनकी सामान्य खुशहाली के लिए हमने पिछले वर्ष और इस वर्ष भी अपना दायित्व पूरी तौर से निभाया है। आपको स्मरण होगा कि पिछले पेराई सत्र में हमने पूर्वी तथा पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः 19 रु0 और 20 रु0 प्रति कुन्टल पर गन्ना मूल्य इंगित किया था। बाद में, जब खुले बाजार में चीनी के मूल्य बढ़े तो किसानों को उसका भी लाभ दिलाने के लिए उन्हें इन दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 22 रु0 और 23 रु0 प्रति कुन्टल के दाम दिलवाये। इस वर्ष भी राज्य सरकार अपने नियन्त्रण की और निजी क्षेत्र की मिलों से किसानों को जो गन्ना मूल्य दिला रही है वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और किसानों के लिए अत्यन्त लाभकर हैं। उनके प्रसंग में यदि कमी का आरोप लगाया जाता है तो यह केवल एक भ्रामक और तथ्यहीन बात होगी।

यह कहना भी अत्यन्त भ्रामक है कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट गन्ने के मूल्य के कारण गन्ना किसानों में व्यापक असन्तोष उत्पन्न हुआ है। यह सही है कि कुछ अवसरवादी तत्वों द्वारा इस वर्ष चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न कराने का प्रयास किया गया, कुछ मिलों के गेट पर हड़ताल भी की गई जिससे यत्र-तत्र अल्पकाल के लिए गन्ने की आपूर्ति में रुकावट पैदा हुई। पर यह विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण हुआ है जिनमें कुछ राजनीतिक दलों का दबाव भी शामिल है। वास्तविकता यह है कि प्रदेश की अधिकांश मिलें अपनी आवश्यकता के अनुसार इस समय गन्ने की पूरी पूरी आपूर्ति प्राप्त कर रही हैं और इस वर्ष गन्ने की पेराई और मिलों की क्षमता का उपयोग गत वर्ष से भी ज्यादा हो रहा है। स्पष्ट है कि गन्ना किसान भ्रामक प्रचारों के बावजूद अपना हित समझते हैं और हमारी नीतियों के साथ हैं। वास्तव में, किसानों को पिछले वर्ष गन्ने का जो अत्यन्त लाभकर मूल्य दिलाया गया था, उसके कारण तथा गन्ना विकास के दूसरे कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश में इस वर्ष गन्ने का उत्पादन छठी पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष के लिए निर्धारित 620 लाख टन के लक्ष्य से बढ़कर लगभग 700.00 लाख मी0 टन तक होने जा रहा है और सामान्यतया गन्ना किसान चीनी मिलों को अपने

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

सट्टे से भी ज्यादा गन्ना देने के लिए उत्सुक हैं। इन स्थितियों को देखते हुए कोई ऐसा निष्कर्ष निकालना कि गन्ना मूल्य के विषय में किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है, पूर्णतया असंगत और निरर्थक है। इसी प्रसंग में गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में हड़ताल करने वालों की गिरफ्तारी की जो बात उठाई गई है उसके विषय में मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि केवल हड़ताल के कारण किसी भी गन्ना किसान की गिरफ्तारी नहीं की गई है। हड़ताल के बहाने जिन कुछ व्यक्तियों ने गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न की है या अन्य गैरकानूनी कार्य किये हैं, केवल उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

वास्तविकता तो यह है कि इस वर्ष गन्ना उत्पादन में जैसी वृद्धि हुई है तथा चीनी के मूल्यों में जिस प्रकार की गिरावट परिलक्षित हो रही है, उसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से गन्ना मूल्य अपेक्षाकृत कम दरों पर भी निर्दिष्ट किया जा सकता था। पर किसानों के हित को अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर इस वर्ष भी हमने गन्ने का मूल्य अत्यन्त लाभकर दरों पर निर्दिष्ट किया है। इस प्रसंग में सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे गन्ने आपूर्ति और चीनी उद्योग के मामले में कोई ऐसा कार्य न होने दें जिससे हमारे प्रदेश के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग में कोई अवरोध उत्पन्न हो। यदि इस दिशा में कोई अवरोध उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है तो चीनी उद्योग में असन्तुलन पैदा होगा, सामान्य चीनी मिलों की हालत, जो पहले से ही काफी नाजुक है, और भी बिगड़ेगी और अन्ततः इससे प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के हितों का ही हनन होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन के क्षेत्र में सभी राजनीतिक और सामाजिक वर्ग जो किसानों के हितचिन्तक हैं, हमारी नीतियों और कार्यों में हमें पूर्ण सहयोग देंगे और प्रदेश में जहां कहीं भी छिट-पुट तौर पर इस समय गन्ना किसानों में असन्तोष उभारने की चेष्टा की जा रही है वहां उन्हें सही मार्ग-दर्शन कराने का प्रयास करेंगे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दिया है, वह सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से दो तीन सवाल मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि अपने वक्तव्य के पैरा 2 में माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि "भारत सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य में दूसरी बातों के साथ गन्ने की उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें बीज, उर्वरक, बिजली, सिंचाई और भू-राजस्व आदि पर होने वाला व्यय भी शामिल है।" और इसी के आगे मा0 मंत्री जी ने कहा है कि "पिछले वर्ष मध्य जनवरी में चीनी, खाण्डसारी और गुड़ की थोक कीमतों के मुकाबले इस वर्ष मध्य जनवरी तक उनमें गिरावट आयी है। अतः चीनी की तथा कथित मूल्य-वृद्धि के आधार पर इस वर्ष गन्ना-मूल्य में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का प्रश्न नहीं उठता।" तो मा0 मंत्री जी इसको तो स्वीकार करेंगे ही कि इन वस्तुओं के दामों में पिछले वर्ष के मुकाबले में 25 प्रतिशत से लेकर 37 प्रतिशत तक वृद्धि हुई या नहीं, बिजली, उर्वरक, बीज, चीनी, खाद्य और सिंचाई आदि के दामों में 25 प्रतिशत से लेकर 37 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और अब भी निरन्तर हो रही है, क्या यह भी कहना हम लोगों का गलत है? यह तो सच्चाई को निगलना है। 15 रुपया प्रति क्वि0 चीनी का दाम बढ़ाया, उत्पादन के अन्य साधनों व पानी का दाम बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा, लेकिन पिछले साल से गन्ने का दाम कम किया है। इसके पीछे जो वक्तव्य है, सच्चाई से परे है। उसके पास कौन सा तर्क है गन्ने की कीमत कम करने का। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं तो गन्ने की कीमत को घटाने का क्या औचित्य है?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी को स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट कर दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्न साफ है। पिछले साल से, उत्पादन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, सब की कीमतें बढ़ी हैं 25 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक। मंत्री जी कहते हैं चीनी की कीमत नहीं बढ़ाई है, लेकिन चीनी की कीमत भी बढ़ी है 15/- रु0 प्रति क्वि0, तो गन्ने की कीमत घटाने का क्या औचित्य है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गत वर्ष हमने गन्ने का मूल्य प्रारम्भ में 19 रु0 पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में 20 रु0 दिया था। बाद में जब शक्कर का मूल्य बढ़ा तब किसानों के हित को देखते हुए, गन्ने का मूल्य 22 रु0 पूर्वी क्षेत्र में और 23 रु0 मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दिया था। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में गुड़ और खाण्डसारी के दामों में काफी गिरावट आयी है, शक्कर के दाम भी काफी गिर गए हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि गत वर्षों के मुकाबले गन्ने का दाम कम नहीं देंगे। इस आधार पर इस साल गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन की संभावनाओं के बावजूद हमने पूर्वी चीनी क्षेत्र के लिए 20.50 रु0 प्रति क्वि0 और पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र के लिए 21.50 रु0 प्रति क्वि0 गन्ना मूल्य निश्चित किया है, जो कि पिछले वर्ष को छोड़कर, गन्ने की सबसे ऊंची दर है। हमारी मिलों की आर्थिक स्थिति न बिगड़े इसको ध्यान में रखते हुए जो कि हमारे न्यूनतम मूल्य जो केन्द्र सरकार तय करती है उस पर सारा नियंत्रण जो केन्द्र सरकार के हाथ में है, इसके बाद भी शासन ने किसानों के हित को देखते हुए 20.50 रु0 और 21.50 रु0 का दाम देने का फैसला किया और सरकारी और प्राइवेट मिलों सबने उसे स्वीकार किया। यह प्रसन्नता की बात है कि प्राइवेट मिलें भी हमारा फैसला मानकर इसी दर से पैसा दे रही हैं। अगर हम इससे अधिक देते तो मिलों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती और हमारी मिलें खड़ी हो जातीं। किसानों के हित को देखते हुए हमने क्रशर और कोल्हू पर से सारे प्रतिबन्ध हटा दिए हैं। क्योंकि मिलें 25 से 30 प्रतिशत तक ही गन्ना पेर पाती हैं। बाकी क्रशर और कोल्हू पेरते हैं, अगर इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाता तो गन्ना पेरने की समस्या खड़ी हो जाती। परन्तु इस संबंध में उदारता की नीति अपनायी गयी है ताकि गन्ना आसानी से पेरा जा सके और इस व्यवस्था से किसान सन्तुष्ट है। गत वर्ष जितना गन्ना मिला था पेराई के लिए, इस बार उससे अधिक हो गया है। गन्ना मिल रहा है और हमारे फैसले से पूर्णतया सन्तुष्ट हैं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, दो बातें माननीय मंत्री जी ने बतायीं—एक तो न्यूनतम भाव के बारे में भाषण दिया। न्यूनतम भाव तो सरकार द्वारा नियत स्टेचुएटी रेट है, उससे कम पर कोई मिल गन्ना खरीद ही नहीं सकती। यह आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि गन्ने की उत्पादन लागत को ध्यान में रख कर गन्ने का मूल्य निर्धारित होता है तो इसका आधार क्या है। क्या आपके पास गन्ना शोध केन्द्र से या किसी विश्वविद्यालय से गन्ने के उत्पादन के लागत आंकड़े आये हैं या किसी गन्ना शोध केन्द्र ने यह उत्पादन लागत बताया है? 1980-81 और 1981-82 को उत्पादन मूल्य जो आपके पास आया है, उसका आधार क्या है वह कृपा करके गन्ने के प्रति क्विन्टल उपज की लागत मूल्य बताने की कृपा करें?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मेरे पास जो आंकड़े हैं वह डिटेल ब्योरे में हैं वैसे उत्पादन लागत 11.19 प्रति क्विन्टल है और हमारे विभाग से प्राप्त हुए हैं।

श्री हुकम सिंह—

मुजफ्फरनगर में आपका जो गन्ना शोध केन्द्र है वहां पर सेमिनार हुआ था तो वहां पर खुद मुझे जानकारी करायी गयी थी कि 25 रुपये प्रति क्विन्टल गन्ने का उत्पादन मूल्य है। तो आपने जो गन्ने का उत्पादन मूल्य लिया है या आपके विभाग ने लिया है, वह किसी विश्वविद्यालय से लिया है या किसी गन्ना शोध केन्द्र से?

श्री अध्यक्ष—

जो मूल्य आपने बताया है, इसका आधार क्या है? आपके विभाग ने यह जानकारी कहां से हासिल की, किसी विश्वविद्यालय से या फिर किसी गन्ना शोध केन्द्र से?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, आपरेशन कास्ट, मानव श्रम, बैल, लेबर, मैन्यूफैक्चर, सिंचाई, व्यय इन सबके मेरे पास डिटेल्स हैं।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्पादन लागत है, वह आपकी सब की सब एक किस्म से किसी न किसी तरह से गवर्नमेन्ट के कन्ट्रोल में है। पिछले साल जो उत्पादन लागत थी और उसको देखते हुए जो पिछले साल भाव रखा था उसके मुकाबले में इस साल उत्पादन लागत जिस प्रतिशत से बढ़ी है, उसी तरह उस कीमत से गन्ने की लागत देने में आपको क्या कठिनाई है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, यह तो बता चुका हूं।

श्री रियासत हुसैन—

नहीं, यह नहीं बताया है। पिछले साल के उत्पादन लागत को बेस बना कर आपने दाम मुकर्रर किये थे। इस साल लगभग 30 प्रतिशत उत्पादन मूल्य उसको अब बढ़ गये हैं। तो क्या सरकार उन आंकड़ों के हिसाब से गन्ने का मूल्य बढ़ायेगी ? इसमें क्या हिचकिचाहट है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मैं यह कह चुका हूं कि इसी तरह पिछले साल भारत सरकार ने मूल्य तय किया था, इस साल भी कर दिया है। हमने तो भारत सरकार के फैसले से हट कर साढ़े 20 और साढ़े 21 दिया है।

श्री रियासत हुसैन—

पिछले साल तो उन्होंने 20 और 21 दिया।

श्री राम कुमार आर्य—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जो कि मूल्य इस साल निर्धारित किया है उसमें और इस साल के मूल्य में केवल एक रुपया का अन्तर है तो यह एक रुपये का अन्तर क्यों आ रहा है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह रिकवरी का मामला है।

श्री धम्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, मंत्री जी से मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं कि यह जो साढ़े 20 और साढ़े 21 रुपये की बात है, वास्तव में एक रुपया किराये का मूल्य कटता है। चूंकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि 32 पैसा प्रति क्विन्टल गन्ना में से काटना चाहिए लेकिन

एक रुपया काटा जा रहा है, इस बारे में सरकार क्या कर रही है? दूसरे जो पर्चियों पर मूल्य लिख रहे हैं वह 13 रु0, साढ़े सात रु0 इस तरह से ब्रेक अप करके लिखते हैं। साढ़े सात रु0 के लिए लिख देते हैं अग्रिम मूल्य। इसलिए किसानों में बेचैनी है कि कहीं इसको बाद में दुबारा तो नहीं वसूल करेंगे। अगर सरकार यह निश्चित मूल्य दिला रही है तो दिलवाते इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

यह तो प्राइवेट मिल मालिकों का अपना तिकड़म है बहरहाल इस बात का मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि जो पैसा दे रहे हैं उसमें वापसी का कोई प्रश्न नहीं आता है। इसी तरह से शासन की तरफ से यातायात व्यवस्था 32 पैसा थी, जिसको अब 50 पैसे तय किया गया है और यह जो हमारा दृष्टिकोण और नीति निर्देशन है, वह न केवल सरकारी मिलों पर बल्कि तमाम प्राइवेट मिलों पर भी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको हम पुनः देख लेंगे और उसके अनुरूप कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री बदन सिंह–

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पैरा 4 में यह बताया है कि किसान की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए और उनकी सामान्य खुशहाली के लिए हमने पिछले वर्ष और इस वर्ष भी अपना दायित्व पूरी तौर से निभाया है। तो मा0 मंत्री जी क्या बतायेंगे कि इस लाभ में किसानों की भागीदारी का क्या संबंध है और वह कितना होगा?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं प्रश्न को समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आपने चीनी मिलों में किसानों के भागीदारी की बात कही है, उसके लिए पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत भागीदारी होगी?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, जैसे कि मजदूरों को बोनस वगैरह देते हैं, ठीक उसी तरह से इस वक्त हमारी जो सरकारी मिलें हैं उनमें हम एक नीति तय करना चाहते हैं कि हम किसानों को भी उनमें इसी प्रकार से साझेदार बनायें .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

गन्ना आन्दोलन के सन्दर्भ में मा0 मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि किसानों को शान्तिपूर्ण ढंग से अपना मूल्य मिले और इसी प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में हड़ताल हुई। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटी लेकिन देवरिया जिले में रामकोला बुलन्दशहर में अनूप शहर की फैक्ट्री के मालिक ने गुण्डों को हायर करके एक विधायक, श्री बेनी प्रसाद माधव के ऊपर प्रहार किया और एक नेता बैकुंठ शाही रामकोला के ऊपर लाठियां बरसाईं और एक हरिजन के ऊपर ट्रैक्टर चलवाकर उसकी हत्या करवा दी तो क्या मा0 मंत्री जी उस दोषी मिल मालिक और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, इसका तो इस नियम 51 से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हुकम सिंह–

मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा इसी वक्तव्य के संदर्भ में कि क्या प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई सिफारिश की थी गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में और यदि की थी तो प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से क्या कीमत मांगी थी? दूसरा क्या मा0 मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि उत्पादन लागत इस वर्ष अधिक रही है और अगर सहमत हैं तो अधिक दाम न दिलवाने का क्या औचित्य है?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बता दिया उन्होंने पहले ही।

उत्पादन लागत क्या अभी भी पहले की ही तरह है? यह बतला दीजिये।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इस साल का आंकड़ा मेरे पास है। पिछले दस साल के आंकड़े तो मेरे पास हैं नहीं।

श्री हुकम सिंह—

प्रदेश सरकार की तरफ से गन्ने का क्या भाव मांगा गया था?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ने का भाव तो केन्द्र की सरकार तय करती है। हमारी परवाह ही कौन करता है।

श्री हुकम सिंह—

यह सरकार मिल मालिकों की साजिश से यह सब कर रही है और यह सरकार गन्ने का उचित मूल्य नहीं दे रही है उसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हुकम सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, गन्ना आन्दोलन से संबंधित किसानों पर देवरिया के रामकोला में लाठी चार्ज हुआ और बुलन्दशहर के अनूपशहर में एक आदमी को ट्रक से दबा कर मार डाला गया। तो मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे और संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह जो पूरा वक्तव्य है, इस वक्तव्य में प्रदेश के सभी गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने से संबंधित आपका प्रश्न है जिसका पूरा उत्तर सदन में दे दिया गया है। अब इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न है?

जनपद रामपुर में सालपुर ग्राम के निकट कोसी नदी पर बने पुल के गिरने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री दल सिंगार यादव)—

जिला रामपुर में खोद-टाण्डा मार्ग पर उक्त लोहे का पुल पचास-पचास फीट लम्बे 16 स्पैन का है जिसकी दोनों छोरों पर चौड़ाई 9 फिट है तथा मध्य के दो स्पैन 16 फिट चौड़े हैं। पुल जुलाई, 1932 में नवाबी काल में बनवाया गया था और रामपुर रियासत के भारत गणतंत्र में संविलिनीकरण के पश्चात् इस मार्ग एवं पुल का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 12-13 जनवरी, 1982 की प्रातः एक ट्रक 300 बोरी सीमेन्ट लादे रामपुर की ओर से तेजी से आ रही थी। घना कोहरा होने के कारण ट्रक सर्वप्रथम पुल की बाईं ओर टकरायी तथा तदोपरान्त तेजी से दाईं ओर काटने पर दाहिनी ओर टकराई। इसके फलस्वरूप पहले पुल के ट्रस की मुख्य बीमों में टेढ़ापन आ गया तथा धक्का लगने के कारण पुल लालपुर की ओर के एक एबटमेन्ट के बेयरिंग से सरक गया और ट्रक के साथ नीचे गिर गया। पुल का यह किनारा स्लैब सहित एक ओर जमीन पर तथा दूसरी ओर के खम्बे (पियर) के ऊपर बोल्टों से टिका हुआ है।

इस दुर्घटना में जान की क्षति होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के आवागमन की सुविधा हेतु उप मार्ग (डायवर्जन) बनाया जा रहा है। इस पुल की मरम्मत यथा शीघ्र करा दिया जाना प्रस्तावित है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा सामग्री को बिलकुल छिपाया गया है। इस पुल को मैंने खुद देखा है। क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि सन् 78 में पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा इस पुल के ऊपर लोहे की 14 फुटी चादर डाल दी गयी थी और 9 हैवी आर0 सी0 सी0 कंकड़ डाल दिया गया था जिससे उसका भार 9 टन हो गया और पुल पर तीन तीन इंच सरिया बाहर निकला था और ठोकरें नहीं बनायीं और सरियों का ओवर लैपिंग नहीं किया जिसकी वजह से नौ इंच की प्लेट लोड से नीचे सरक गये और पुल इस तरह से नीचे बैठ गया। इस तरीके से 1978 के वक्त जिन इंजीनियरों ने 9 इंच कंक्रीट डाली और आर0 सी0 सी0 लोहे से ओवर लैपिंग नहीं किया ठोकरों के ऊपर, उसमें जांच करा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात करेंगे?

श्री दल सिंगार यादव–

जिस अधिकारी की संस्तुति पर 9 इंच मोटी कंक्रीट डाली गयी इसकी जांच करवा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
1 फरवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रोत्साहन योजना

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ ।

संलग्नक

जनपदों के नाम जहां शतप्रतिशत भुगतान कर दिया गया:–

1–मुजफ्फरनगर
2–सहारनपुर
3–बरेली
4–लखनऊ
5–फैजाबाद
6–गोरखपुर
7–नैनीताल
8–बस्ती
9–वाराणसी

जनपद जिनका 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है परन्तु 10 प्रतिशत भुगतान विश्लेषण परिणाम प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया।

1–मेरठ
2–गाजियाबाद
3–पीलीभीत
4–शाहजहांपुर
5–देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1310 पर)

संलग्नक-1

माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 80 में विभिन्न बीज भण्डारों की आपूर्ति की गई उर्वरकों की मात्रा (मै0 टन में) जनपद मिरजापुर (कृषि विभाग)

क्रमांक	नाम बीज-भण्डार	आपूर्ति की गई मात्रा यूरिया 46 प्रतिशत	डी0 ए0 पी0 18-46 प्रतिशत
1	जमालपुर	53-315-560	34-463-680
2	पसहां	22-000-000	---
3	पटेहरा	20-765-000	10-000-000
4	चुनार	21-060-000	34-811-240
5	कोलना	62-352-920	22-500-000
6	इमिलिया चट्टी	64-505-640	34-000-000
7	चील्ह (नये प्रभारी)	32-700-000	12-000-000
8	पड़री	40-755-000	11-000-000
9	हलिया	10-195-000	10-000-000
10	पिपरडांड	34-525-000	13-000-000
11	नरायनपुर	141-570-000	71-159-000
12	शाहगंज	10-495-000	12-000-000
13	लोहदी	40-840-000	25-000-000
14	रस्तेगिया	9-250-000	---
15	राजगढ़	42-320-000	23-687-440
16	आमघाट	43-504-200	---
17	लालगंज	11-878-800	---
18	साखड़	50-277-440	11-000-000
19	वफरगोदाम	30-769-880	---
20	विहसड़ा	10-920-560	12-500-000
21	तिसुही	40-000-000	---
22	गैपुरा	12-000-000	22-754-000
23	सेंगराही	10-000-000	---
24	बरौधा	12-000-000	13-000-000
25	मधुपुरा	10-000-000	---
26	अदलपुरा	12-000-000	10-624-320
27	कछवा	---	12-500-000

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 444 विधान सभा (758)--1983--813 ।